मंगलवार,
१५ सितम्बर, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

Preservation 13.3.72

लोक सभा

मंगलवार, १५ सितम्बर, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

रेलों में लाक तथा ब्लाक प्रणाली

* १२७२. **श्री विट्ठल राव :** क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल में रेलों की टक्कर से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है ;

(ख) क्या रेलों के राजकीय निरीक्षकों ने, ऐसी दुर्घटनाओं को बचाने के लिये, अनेक बार, रेलों में लाक तथा ब्लाक प्रणाली अपनाये जाने की सिफ़ारिश की ह ;

(ग) यदि ऐसा है तो सरकार ने 'लाक तथा ब्लाक प्रणाली' प्रचलित करने के कौन से उपाय किये हैं ; तथा

(घ) क्या सरकार, रेलों की टक्कर बचाने के लिये, कोई और प्रयत्न करने का विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) नहीं ।

(ख) हां ।

(ग) राज्यकीय निरीक्षकों ने सिफ़ारिश की हो या न की हो, उन रेलों पर जहां लाक तथा ब्लाक यंत्र नहीं हैं, ऐसे यंत्रों का, एक कार्यक्रम के आधार पर, निधि तथा सामग्री की उपलब्धता के अनुसार, प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(घ) इसकी सूचना सदन पटल पर रख दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २४**]

श्री विट्ठल राव : मैं जान सकता हूं कि कोई ऐसी केन्द्रीय कार्यशाला है जहां सिगनल प्रणाली सम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्रयोगात्मक जांच की जाती है ?

श्री अलगेशन : केन्द्रीय स्टैन्डर्ड कार्यालय के अतिरिक्त और कोई अनुसन्धान शाला नहीं है ।

श्री विट्ठल राव : इस लिये कि भारत की सिगनल प्रणाली सब से अधिक पीछे है क्या सरकार का यह विचार है कि इसके लिये एक पृथक् संगठन बनाया जाय ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सिगनल प्रणाली सब से अधिक पीछे है ? यह तो ठीक वैसा हुआ जैसे किसी बालक से पूछना, "तुम ने कब से अपनी माता को पीटना छोड़ दिया है ?" और यदि वह उत्तर दे "कल" तो

इसका अर्थ है कि उस ने मां का पीटना स्वीकार कर लिया । इस प्रकार के उत्तर निहित प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्नों से सरकार को परेशानी होती है । अस्तु माननीय सदस्य केवल ऐसे प्रश्न ही करें जिन से जानकारी प्राप्त हो और ऐसे प्रश्न न करें जिन में एक न एक मत की स्वीकृति निहित हो ।

श्री विट्ठल राव: रेलवे बोर्ड के सभापति ने इस बात की रिपोर्ट की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी कोई रिपोर्ट है तो उस पर यथास्थान वादविवाद होगा ।

श्री अलगेशन : श्रीमान्, जैसा कि आप कह चुके हैं, इस प्रश्न में निहित उत्तर को स्वीकार न करते हुए मैं यह बता सकता हूं कि यह विषय विचाराधीन है ।

श्री विट्ठल राव : समस्त रेलों में लाक तथा ब्लाक प्रणाली स्थापित करने की प्राक्कलित लागत क्या है ?

श्री अलगेशन : मैं बिना पत्रों को देखे भाले आंकड़े तो नहीं बता सकता हूं परन्तु इतना कह सकता हूं कि यह धन राशि करोड़ों में होगी ।

श्री मुनि स्वामी : प्रश्न के खण्ड (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है "नहीं" । क्या मैं जान सकता हूं कि गत वर्ष इस प्रकार की घटना होने का कोई अवसर आया था ?

श्री अलगशन : हां, श्रीमान् । दुर्भाग्य से रेलों की एक दो टक्करें हुई हैं जिनकी ओर जनता का ध्यान गया है । परन्तु इसके पहले के काल को देखते हुए रेलों की टक्करों की संख्या कम रही है । इसी लिये इस प्रश्न के खण्ड (क) का उत्तर था "नहीं" ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या यह सच है कि यह दुर्घटनायें, रेलों के समय की अनियमितता के कारण, हुई हैं ?

श्री अलगेशन : नहीं, श्रीमान् ।

श्री अच्युतन : क्या मैं जान सकता हूं कि समस्त रेलों में लाक तथा ब्लाक प्रणाली आदिष्ट करन में रुकावट कमी निधि की है या सामग्रियों की ?

श्री अलगेशन : मैं कह चुका हूं कि निधि तथा सामग्रियों की उपलब्धता के अनुसार यह कार्य एक कार्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है ।

बेतवा तथा नर्मदा नदियों पर पुल

*१२७३. **श्री चाण्डक :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झांसी और ललितपुर के बीच, बेतवा नदी पर तथा सागर और नरसिंगपुर के बीच नर्मदा नदी पर पक्के पुल न होने के कारण यात्रियों को बहुत असुविधा होती है ?

(ख) क्या इन पुलों को बनाने की सरकार ने कोई योजना बनाई है ।

(ग) यदि 'हां' तो इनका काम कब से आरम्भ किया जायगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास सम्बन्धी चालू पंच वर्षीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २६ के झांसी-ललितपुर खण्ड में झरारघाट पर बेतवा नदी के ऊपर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २६ के सागर-नरसिंगपुर खण्ड में बरमान पर नर्मदा नदी के ऊपर पुल निर्माण करने का उपबन्ध किया गया है ।

(ग) आशा है कि लगभग एक वर्ष के अन्दर इन पुलों के निर्माण का कार्य आरम्भ हो जायगा ।

मेहसाना का रेलवे स्टेशन

*१२७४. **श्री एम० जे० पारिख :** (क) क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मेहसाना में एक नया रेलवे स्टेशन निर्माण किया जा रहा है ?

(ख) अभी तक कितना धन इस कार्य पर व्यय किया जा चुका है तथा स्टेशन के तैयार हो जाने के लिये कितने और धन की आवश्यकता पड़ेगी ?

(ग) प्राक्कलित लागत कितनी है ?

(घ) इस स्टेशन के निर्माण का कार्य कब आरम्भ किया गया था तथा वह कब तक पूरा हो जाने वाला है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां ।

(ख) अभी तक किये गये व्यय की धनराशि २,७८,७५० रुपये है तथा स्टेशन तैयार हो जाने के लिये आवश्यक अतिरिक्त निधि ४,५५,७०० रुपये होगी ।

(ग) ७,३४,५०० रुपये ।

(घ) यह कार्य १९५१-५२ में आरम्भ किया गया था तथा इस वर्ष के अन्त तक उस कार्य का बहुत बड़ा भाग समाप्त हो जायगा ।

श्री एस० जे० पारिख : मैं जान सकता हूं कि वहां पर डायमण्ड क्रासिंग का अधिष्ठापन किया जा चुका है या नहीं तथा यदि ऐसा है तो उसकी लागत कितनी है ?

श्री शाहनवाज खां : डायमण्ड क्रासिंग्ज़ हैं और उन का संचालन किया जा रहा है ।

श्री एस० जे० पारिख : क्या मैं जान सकता हूं कि उसका प्रयोग किया जा रहा है या नहीं ?

श्री शाहनवाज खां : हां । जहां आवश्यकता पड़ती है उसका प्रयोग किया जा रहा है ।

श्री दाभी : इस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा वाली कौन कौन सी वस्तुओं का प्रबन्ध किया जा रहा है, जैसे जल को ठंडा करने के यंत्र का संस्थापन, तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षा कक्षों का निर्माण इत्यादि ।

श्री शाहनवाज खां : तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षा के बड़े कमरों का निर्माण समाप्त भी हो चुका है । अब उच्च श्रेणी के प्रतीक्षा के बड़े कमरों का निर्माण हो रहा है और मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष उन सब का निर्माण हो जायगा ।

श्री दाभी : जल की व्यवस्था ?

श्री शाहनवाज खां : जल की व्यवस्था भी ।

कुरनूल के निकट सड़क का पुल

*१२७५. **श्री गौडिंलगन गौड :** (क) क्या यातायात मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या, कुरनूल के निकट, तुंगभद्रा नदी पर, एक सड़क का पुल निर्माण करने का विचार किया गया था ?

(ख) यदि ऐसा है तो अब इस विषय की क्या स्थिति है ?

(ग) क्या सरकार ने कुरनूल में आन्ध्र राज्य की राजधानी बनाये जाने के दृष्टिकोण से इस सड़क के पुल के बनाने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ७ (बनारस-कुमारी अन्तरीप मार्ग) को पहले कुरनूल से निकालने का विचार था और कुरनूल के निकट, तुंगभद्रा नदी पर, राष्ट्रीय राजमार्ग का एक पुल निर्माण करने का विचार था । बाद में अस्थायी

रूप से तै किया गया कि राजमार्ग माधवराम और रायचूर से निकाला जाय क्योंकि प्रस्तावित कृष्णा-पेन्नार प्रतियोजना के निर्माण हो जाने पर कुरनूल से होकर जाने वाले मार्ग का एक बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो जायगा । कुरनूल के निकट, तुंगभद्रा नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग निधि से एक पुल निर्माण करने का प्रश्न अब केवल उसी दशा में उत्पन्न होगा जब राष्ट्रीय राजमार्ग को कुरनूल से हो कर निकालने का अन्तिम निर्णय हो जायगा । विचार यह है कि राजमार्ग के इस नक़शे को अन्तिम रूप देने के पूर्व नवोदित आन्ध्र राज्य से परामर्श कर लिया जाय ।

श्री गौडिलिंगन गौड : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि मद्रास के राज्यपाल, जिन्होंने ६ तारीख़ को कुरनूल का निरीक्षण किया है, इस पुल की आवश्यकता के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से विश्वास करते हैं तथा उन्होंने कुरनूल की नगरपालिका को वचन दिया है कि वे रेलवे के केन्द्रीय मंत्री से इस सम्बन्ध में वार्ता करेंगे ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, जो उत्तर मैं ने पढ़ कर सुनाया है उस में मैं विस्तृत रूप से बता चुका हूं, कि जब तक राजमार्ग को कुरनूल से हो कर निकालने का निर्णय न कर लिया जाय ; कुरनूल के निकट एक पुल निर्माण करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा यदि नवोदित आन्ध्र राज्य के परामर्श से यह निर्णय अन्तिम रूप से कर लिया जायगा तब यह प्रश्न उत्पन्न होगा ।

श्री गोडिलिंगन गौड : क्यास रकार को पता है कि कुरनूल के निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी हैदराबाद तथा मद्रास राज्यों के बीच की सीमा है और यह कि यदि यह पुल निर्माण हो जायगा तो दोनों राज्यों के मध्य व्यापार तथा वाणिज्य की उन्नति होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे बता चुके हैं कि यह प्रश्न तभी उठाया जा सकता है जब राजमार्ग सम्बन्धी प्रश्न का निर्णय कर दिया जाय और अभी तक इस प्रश्न का निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री गोंडिलिंगन गौड़ क्या उन को पता है कि यह सीमा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है ।

श्री मुनिस्वामी : यदि तुंगभद्रा नदी पर पुल निर्माण करने का प्रश्न अन्तिम रूप से तै हो जाय तो क्या मैं जान सकता हूं कि उस व्यय की कुल धन राशि क्या होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसे पुल के निर्माण के लिये किया जायगा ?

श्री अलगेशन : अभी मैं पुल की लागत का कोई अनुमान नहीं बता सकता हूं ।

सुपाड़ी

*१२७६. **श्री अच्युतन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस देश में वर्ष १९५१-५२ में प्रयोग के लिये आवश्यक सुपाड़ी की अनुमानित कुल मात्रा ; तथा

(ख) इस देश में इस पदार्थ के मूल्य की नवीनतम प्रवृत्ति क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) लगभग ३३ लाख मन ।

(ख) देशी तथा आयात की गई सुपाड़ियों के मूल्यों में प्रवृत्ति दिखलाने वाली एक तालिका सदन पटल पर रखी है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २५**]

श्री अच्युतन : क्या मैं १९५२-५३ की उपभोग मात्रा तथा आयात के आंकड़े **जान** सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमने उपभोग की जो गणना की है वह अनुमानित है। हम उत्पादन का अनुमान लगाने का प्रयत्न करते हैं और फिर उसमें आयात की गई मात्रा जोड़ देते हैं, तथा निर्यात घटा देते हैं, और यही वे आंकड़े हैं जो मैं ने दिये हैं । यह औसतन उपभोग की अनुमानित वार्षिक-मात्रा है । हमने १९५०-५१ में ३·९७ लाख मन, १९५१-५२ में १·५६ लाख मन तथा १९५२-५३ में ०·५३ लाख मन सुपाड़ी आयात की थी ।

श्री अच्युतन : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने आयात का कोटा या आयात पर शुल्क निश्चित करने से पूर्व इस देश में सुपाड़ी के उत्पादन मूल्य पर विचार किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अन्य पदार्थों की भांति ही, इसके लिये भी एक विशेष पदार्थ समिति बनी हुई है । मुझे पूर्ण निश्चय है कि सभी युक्तियुक्त तथ्यों पर उचित ध्यान दिया जाता है और सभी सुझावों पर विचार किया जाता है ।

श्री अच्युतन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह तथ्य है कि इस देश के सुपाड़ी कृषि करने वालों ने सरकार के पास कोई स्मरण पत्र भेजा है कि स्थानीय उत्पादन इस देश की आवश्यकताओं के लिये काफ़ी होगा तथा आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इन सुपाड़ी उत्पादकों ने अनेक बार अभ्यावेदन किये हैं । उनके विचारों पर विचार हो रहा है और आयात को परिस्थितियों के अनुसार नियमित किया जा रहा है ।

श्री जोकीम आल्वा : सुपाड़ी की किस्म में उन्नति करने के लिये तथा केरला, दक्षिणी कनाड़ा तथा उत्तरी कनाड़ा के सुपारी उत्पादकों को सहायता पहुंचाने के लिये सरकार ने क्या सक्रिय कार्यवाहियां की हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम किसी भी प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं रखते और हम सभी क्षेत्रों पर बराबर ध्यान देते हैं ।

श्री जोकीम आल्वा : यह हमारी अभि-याचना है ।

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैं निर्देश कर चुका हूं कि एक पदार्थ समिति है जो सुपाड़ी आदि की उत्तम खेती के विषय में देख रेख करती है ।

डा० एस० एस० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस तथ्य से अवगत है कि बाज़ार में फुटकर सुपाड़ी बहुत महंगी है, चार रुपय सेर के लगभग ।

कुछ माननीय सदस्य : इससे भी अधिक ।

डा० एस० एम० दास : सरकार क्या करने का विचार कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उत्पादक तथा आयात करने वाले के बीच सदैव झगड़ा चला करता है । मैं स्वीकार करता हूं कि इस समय सुपाड़ी का मूल्य अधिक है । किन्तु यदि हम मूल्य को गिराने के लिये आयात को बढ़ाने का प्रयत्न करें, तो उत्पादक शिकायत करेंगे । हम सब के हितोंका समान निर्णय करना चाहते हैं तथा मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि साफ़ की हुई सुपाड़ी के आन्तरिक मूल्य पर ९,१/२ आने आयात शुल्क लगा देने से दक्षिण तथा पूर्व में बिना साफ़ की हुई सुपाड़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रश्न का अधिक विस्तारपूर्वक उत्तर देने के

लिये, मैं माननीय वाणिज्य मंत्री को निर्देश करना चाहूंगा । किन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि देशी क़िस्मों का मूल्य अभी हाल ही में बढ़ा है । कुछ समय पूर्व आयात किये जाने वाल माल से इसका मूल्य आधा हुआ करता था ; अब यह बहुत अधिक बढ़ गया है ।

श्री मुनिस्वामी : इस दृष्टि से कि इस देश में सुपाड़ी आयात की जाती है, मैं जानना चाहूंगा कि आयात के लाइसेंस किन राज्यों अथवा देश के किन भागों को अधिक दिये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह प्रश्न भी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को निर्दिष्ट करना पड़ेगा ।

श्री अच्युतन : क्या सरकार को ज्ञात है .....

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, श्रीमान्, अगला प्रश्न । मैं चार सहायक प्रश्न के लिये अनुमति दे चुका हूं ।

कुष्ठ रोग

***१२७७. श्री झूलन सिन्हा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि राज्य सरकारों ने केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की अपील पर लापरवाह तथा निराश्रित कुष्ठ रोगियों के लिये उचित निवास स्थान की व्यवस्था करने में कहां तक सहयोग दिया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सदन पटल पर रखी जायगी ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या सरकार हमें यह बता सकेगी कि इन निराश्रित तथा लापरवाह कुष्ठ रोगियों से उत्पन्न होने वाली स्थिति की गंभीरता को संबंधित राज्य सरकारों ने अनुभव कर लिया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी हां, श्रीमान् ।

सरदार ए० ए० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग का समूल नष्ट करने के लिये एक महान आन्दोलन का आयोजन किया है, तथा केन्द्रीय सरकार ने वहां की राज्य सरकार को क्या सहायता दी है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मध्य प्रदेश में, जैसा कि हम जानते हैं, कि केन्द्रीय सरकार तथा निजी एजेंसियों के द्वारा चलाये जाने वाली ऐसी संस्थायें हैं जो इन कुष्ठ रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं । किंतु उन्होंने केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगी है, और इस कारण मैं यह नहीं कह सकती कि हमने क्या सहायता इस संबंध में की है ।

श्रीमती ए० काले : क्या सरकार को ज्ञात है कि होटलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में कुष्ठ रोगी कार्य कर रहे हैं ? यदि ऐसा है, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को निदेश जारी करेगी कि वे नौकरी से अलग कर दिये जायं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो आवारे निराश्रित कुष्ठ रोगियों का है, उन लोगों का नहीं, जो नौकर हैं ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं केन्द्रीय सरकार इन पीड़ित निराश्रितों को निवास स्थान देने के संबंध में कुछ भार वहन करने को तैयार है, और यदि ऐसा है तो कितनी राशि देने को तैयार है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह एक ऐसी समस्या है जिसका निबटारा राज्य सरकारों को ही करना है । प्रत्येक राज्य ऐसे लोगों के रहने के लिये प्रयत्नशील है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या सरकार को इस तथ्य का ज्ञान है कि बहुत से कुष्ठ रोगी

अभी भी गलियों में, कनाट प्लेस के आस पास तथा चांदनी चौक आदि में घूमा करते हैं ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : हां, यह बिल्कुल सत्य है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या यह तथ्य नहीं कि बहुत से कुष्ठ रोगी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में पाये जाते हैं, और क्या भारत सरकार इन देश-व्यापी महत्ता के तीर्थ स्थानों की देख भाल नहीं करेगी जहां इतने कुष्ठ रोगी जमा हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : त्यौहार के अवसरों में या धार्मिक केन्द्रों में ? प्रश्न क्या है ? धार्मिक केन्द्रों में ?

प्रो० डी० सी० शर्मा : जी हां ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : राज्य सरकारें उनको हटाने का प्रयत्न कर रही हैं ?

श्री जे० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार इन सभी कुष्ठ रोगियों को उनके अपने अपने राज्यों में भेजने का प्रबन्ध करेगी जिससे वहां उनकी देख-रेख की जा सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : कनाट प्लेस से ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : सरकार के लिये यह कार्य अपने ऊपर लेना असंभव है । हमने इसके लिये प्रयत्न किया है कि अन्तर्राज्य व्यवस्था की जाय जिससे कि वे एक राज्य से दूसरे राज्य को न जा सकें । किंतु यह कार्य होना यदि असंभव नहीं तो कम से कम अत्यन्त कठिन तो अवश्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विलम्ब से खड़े हुए हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : १२७८ ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं .....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूं ? यातो पहले वाला प्रश्न जारी रखिये अथवा नया प्रश्न चलाइये ?

श्री सारंगधर दास : मैं समझता था कि आपने मुझे अनुमति दे दी है । मुझे खेद है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी थी ।

फ्लाइंग क्लब

*१२७८. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **संचरण** मंत्री अनुपूरक विवरण संख्या ४ का, जिसमें २८ मई १९५२ को फ्लाइंग क्लबों के संबंध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३९ तथा उस पर श्री एस० सी० सामन्त द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में दिये गये आश्वासनों तथा वचनों के संबंधी में की गई कार्यवाही दी हुई है, निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद से विमान चालकों के प्रशिक्षण की तथा जिन संस्थाओं में उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनकी स्थिति क्या है ;

(ख) वे प्रशिक्षण संस्थायें अब किस प्रकार चलाई जा रही हैं ;

(ग) क्या राज्य उन्हें कोई सहायता देते हैं ;

(घ) यदि ऐसा है, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और वे किस प्रकार की सहायत देते हैं ; तथा

(ङ) (१) नका वार्षिक व्यय कितन है (२) सरकार द्वारा इन्हें अपने अधीन लेतें समय इनका प्रारम्भिक व्यय कितना हुआ और (३) यदि सरकार ने इन संस्थाओं को

अपने अधीन ले लिया है, तो प्रति वर्ष कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हवाई कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिये जाने के परिणामस्वरूप इनकी स्थिति में कोई अन्तर नहीं हुआ ।

(ख) ये ग्यारह हैं, जिनमें नौ फ्लाइंग क्लब गैर सरकारी सीमित कंपनियां हैं, और मैसूर गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है और सिविल एवियेशन ट्रेनिंग सेंटर, अलाहाबाद है, जो सरकार की संस्था है और सरकार इसका प्रबन्ध करती है ।

(ग) तथा (घ). कुछराज्य अपने राज्यों में फ्लाइंग क्लबों को तदर्थ आधार पर वित्तीय सहायता देते हैं । एक विवरण जिसमें १९४६-४७ से राज्यों द्वारा दी जाने वाली सहायता दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६,अनुबन्ध संख्या २६]**

(ङ) सरकार ने किसी भी फ्लाइंग क्लब को अपने अधिकार में नहीं लिया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि मार्शल कमेटी ने जो सिफारिशें सरकार के पास भेजी हैं वे क्या हैं और उन पर अमल करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : कमेटी का नाम मास्टर कमेटी है क्योंकि वह श्री एम० ए० मास्टर के नाम पर है । उसने जो सिफारिशें भेजी हैं वह आ गई हैं । उन में से कुछ यह हैं कि सिविल एअर बोर्ड की स्थापना की जाय, और लाइसेन्स जो दिये जाते हैं उस में बजाय ए और बी लाइसेन्स के लाइसेन्स देने का आधार वही होना चाहिये जिस को इन्टर्नेशनल सिविल ऐविएशन ओरगैनाईज़ेशन ने माना है । फ्लाइंग क्लब्स के बारे में उन्हों ने कहा है कि सबसिडी जो दी जाय वह इस आधार पर दी जानी चाहिये कि पाइलट्स 'ए' लाईसेन्स की ट्रेनिंग पर दी जावे और कमर्शियल पाइलट्स या 'बी' लाइसेन्स की ट्रेनिंग पर सबसिडी न दी जावे ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री तो पूरी रिपोर्ट पढ़ते चले जा रहे हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जैसा बयान में लिखा हुआ है कि केन्द्रीय सरकार जो सहायता देती है वह सन् १९५१–५२ में ८,४५,८८२ रु० है, तो राज्य जो खर्च करते हैं उस में और केन्द्रीय सहायता में क्या अनुपात है ?

श्री राज बहादुर : आम तौर से जो नियम इस का स्वीकार किया गया है वह यह है कि जितनी सबसिडी केन्द्र द्वारा मिलती है लगभग उतनी ही सबसिडी राज्य सरकारों से मिलती है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि मैसूर सरकार को जो सहायता दी जाती है वह कितनी है और उस में कितनी वृद्धि करने की आवश्यकता है ?

श्री राज बहादुर : मैसूर सरकार को नहीं, इस विषय में मैसूर फ्लाइंग क्लब को अवश्य सहायता मिलती है जैसा कि स्टेटमेन्ट में लिखा हुआ है :

मैसूर सरकार इस संस्था को चलाती है । केन्द्रीय सरकार इस संस्था को मैसूर सरकार द्वारा दिये जाने वाले अंशदान के अनुसार आर्थिक सहायता देती है ।

श्री हेडा : प्रश्न के पार्ट सी के जवाब में आप ने फरमाया कि सन् १९४६–४७ में स्टेट्स को जो मदद दी गई है सिर्फ उस के आंकड़े दिये हैं । क्या उस के बाद स्टेट्स को कोई मदद नहीं दी गई ? और अगर दी गई है तो उस का उल्लेख यहां क्यों नहीं है ?

श्री राज बहादुर : जी नहीं, सब आंकड़े दिये गये हैं । सन् १९४६-४७ के दिये गये हैं,

सन् १९४७–४८, १९४८–४९, १९४९–५०, १९५०–५१ और १९५१–५२ सब के आंकड़े दिये गये हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार फ्लाइंग क्लबों या इलाहाबाद की संस्था में प्रशिक्षण के लिये कोई वृत्तियां देती है ?

श्री राज बहादुर : मुझे इस का पूरा पता नहीं है । इन प्रशिक्षणार्थियों को सावधानी से चुना जाता है और प्रशिक्षण के लिये सरकार आर्थिक सहायता देती है क्योंकि प्रशिक्षण का खर्चा लिये जाने वाले शुल्क से बहुत अधिक होता है ।

श्री टी० एन० सिंह : इन शिक्षा केन्द्रों में प्रत्येक शिक्षणार्थी पर जो खर्चा पड़ता है उस का सापेक्षिक अनुपात क्या है, यह आप बता सकते हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं इस अनुपात को तो नहीं बता सकता, किन्तु यह अवश्य है कि भिन्न भिन्न फ्लाइंग कलब्स में खर्चे का भिन्न भिन्न परिमाण आता है, और वह विशेष प्रश्न पूछे जाने पर ही बताया जा सकता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि आसाम में क्या कोई फ्लाइंग क्लब खोलने की तजवीज़ है, और अगर है तो उस के खोलने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री राज बहादुर : केन्द्रीय सरकार की ओर से आसाम गवर्नमेन्ट से, जो कि आसाम फ्लाइंग क्लब खोलना चाहती है, यह कहा जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार जो सबसिडी और क्लब्स को देती है वह उन को भी देगी और यह प्रस्ताव सन् १९४८–४९ में ही कर दिया गया था, किन्तु आसाम गवर्नमेन्ट से अभी कार्यवाही इस दिशा में नहीं हुई है ।

श्री जोकीम आल्वा : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि बम्बई फ्लाइंग क्लब के सदस्यों में आपस में झगड़ा है जिस से उड्डयन प्रशिक्षण तथा उस के अन्य हितों को नुकसान होता है, क्या सरकार की इन फ्लाइंग क्लबों की रचना और इन्हें चलाने के मामले में कोई योजना है ?

श्री राज बहादुर : मुझे खेद है कि बम्बई फ्लाइंग क्लब के सदस्यों में आपस में कुछ मतभेद और झगड़ा है जिस के परिणामस्वरूप बम्बई सरकार ने हमें यह सलाह दी कि हम इसे आर्थिक सहायता न दें, और पहिली सितम्बर १९५३ से यह सहायता देनी बन्द कर दी गई थी । हम ने बम्बई फ्लाइंग क्लब को यह सलाह दी कि वह अपनी संस्था के नियम इस प्रकार बनाये जिस से कि क्लब के कार्यों पर केन्द्रीय तथा बम्बई सरकारें काफ़ी नियंत्रण रख सकें ।

कीड़ों द्वारा कृषि-फसलों का नाश

*१२७९. **श्री एस० एन० दास :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कृमियों, पौधों की बीमारियों, कुतर कर खाने वाले पशुओं और कीड़ों आदि द्वारा नष्ट की गई कृषि-फसलों की मात्रा का कोई अनुमान लगाया गया है ?

(ख) क्या यह ठीक है कि कृषि फसलों के इन शत्रुओं द्वारा २० प्रतिशत फसलें नष्ट कर दी जाती हैं ?

(ग) सरकार ने इस नाश को रोकने के लिये पिछले छः वर्षों से क्या कार्यवाई की है ?

(घ) इस नाश को रोकने के उद्देश्य से कीड़ों को मारने वाली कितनी दवाई की आवश्यकता है, क्या इस का हिसाब लगाया गया है ?

(ङ) भारत में कृमि-नाशक दवाई कितनी पैदा की जाती है और दूसरे देशों से कितनी मंगवाई जाती है ?

(च) यदि ऐसी बात है, तो देश में इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाई की जा रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हानि का हिसाब लगाने के लिय विश्वस्त पद्धति न होने से अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ख) कीड़ों और बीमारियों के द्वारा फसलों के नष्ट होने के अनुपात को निश्चित करना अत्यन्त कठिन है ।

(ग) सदन पटल पर विवरण-पत्र रखा हुआ है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २७**].

(घ) जी, हां । लगभग १२,००० टन ।

(ङ) जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

(च) सरकार ने डी० डी० टी० के उत्पादन के लिये एक कारखाना स्थापित किया है । केवल टैक्निकल ग्रेड की कृमिनाशक दवाई के ही आयात की अनुमति देने से देश के अन्दर ही विभिन्न प्रकार की विदेशी कृमि-नाशक दवाइयों को बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है । बहुत सी भारतीय फर्मों ने अनेक प्रकार की कृमि-नाशक दवाइयों को बनाने का काम ले लिया है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय सरकार के किसी विशेषज्ञ ने एक वक्तव्य दिया है, अथवा बम्बई में एक लेख पढ़ा है कि जिस में कहा गया है कि प्रति वर्ष भारत में ९० लाख टन अनाज नष्ट हो जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वक्तव्य में कुछ अतिशयोक्ति नहीं है । मोटे हिसाब से यह पता लगा है कि इन कीड़ों और बीमारियों के कारण लगभग १० प्रतिशत फसलें नष्ट हो जाती हैं । संतोष केवल इसी बात का है कि अमरीका में २० प्रतिशत फसलें नष्ट होती हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनाये गये विभिन्न उपायों के परिणाम स्वरूप जो फल निकला है क्या उस का पता लगाया गया है यदि हां, तो फैली हुई बीमारियों को कितना रोका गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे विश्वास है कि कम से कम पिछले वर्ष जब कि चावलों पर कीड़े लगे थे तब हम ने उन को बड़े प्रभाव-पूर्ण ढंग से नाश किया, और टिड्डी दल का भी नाश किया । सब बातों को यदि देखा जाए तो हम असफल नहीं रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों को नियंत्रण के लिये दिये गये सामान के लिये राज्यों से कुछ शुल्क लिया गया है, अथवा वह सामान निःशुल्क दिये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम अधिक से अधिक सामान लाने ले जाने का भाड़ा लेते हैं । हम अन्य कोई किराया आदि नहीं लेते । यह मैं अपनी स्मरण शक्ति से बतला रहा हूं । परन्तु केन्द्र के पास भी पर्याप्त सामान नहीं है । हम इस सामान को बढ़ाना चाहते हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : सरकारी भण्डारों में अनाज की हानि की ओर विशेष निर्देश करते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि कुतर कर खाने वाले जीवों आदि के द्वारा होने वाली इस हानि को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाईयां की हैं, और वे कहां तक सफल हुई हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किस उपाय से रुपया खर्च किया गया और किस ढंग से सफलता प्राप्त की गई ।

डा० पी० एस० देशमुख : प्रश्न वास्तव में कीड़ों और बीमारियों द्वारा फसलों के नुकसान से सम्बन्धित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अनाज एकत्रित करने से नहीं ।

श्री बूराघस्वामी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि फसलों के इन शत्रुओं द्वारा किस क्षेत्र में फसलों का सब से अधिक नाश हुआ है ? उस क्षेत्र में कुल कितनी मात्रा में फसलें नष्ट हुई हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैं ने पहले ही बतला दिया है इस का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है । कम से कम मुझे तो इस प्रकार का पता नहीं है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार के कीड़ों ने हानि पहुंचाई है ।

निस्सन्देह टिड्डियों के बारे में हम जानते हैं कि किसी दूसरे भाग की अपेक्षा वे राजस्थान में सब से पहले हानि पहुंचाती हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या त्रावनकोर कोचीन के किसी व्यक्ति ने इन कीड़ों और पशुओं को नष्ट करने के लिये कोई योजना अथवा यंत्र प्रस्तुत किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : टिड्डियां, क्या यही हैं ?

कुमारी एनी मस्करीन : कीड़े और मकोड़े ।

उपाध्यक्ष महोदय : साधारणतया ।

डा० पी० एस० देशमुख : यदि माननीय सदस्य का इस वर्ग से अभिप्राय है, तो हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं आई ।

श्री मुनिस्वामी : इस बात की दृष्टि से कि यह बात सरकार के ध्यान में आ चुकी है कि बहुत मात्रा में कृषि फसलें इन कीड़ों के द्वारा नष्ट की जाती हैं, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस बात का पता करने के लिये कोई परीक्षण किया गया है कि सामान्यतया यह नाश किस अवस्था में होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझ सका कि उन का किस क्षेत्र अथवा किस समय से अभिप्राय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब ये कीड़े आते हैं, तो फसलों की ऊंचाई कितनी होती है, और क्या इस से पहले ही वर्षा हो चुकी होती है, और किस प्रक्रम में ?

डा० पी० एस० देशमुख : विभिन्न फसलों में विभिन्न प्रक्रम पर कीड़े लगते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक प्रकार के कीड़ों का अपना समय होता है ।

श्री एस० एन० दास : क्या इन पौधों की बीमारियों को रोकने की दृष्टि से अनुसन्धान करने के लिये प्रबंध किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अनुसन्धान सदा चलते रहते हैं । हमारे पास इस के लिये एक से अधिक संस्थायें हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सामान्य प्रश्न है । वे सामान्य उत्तर दे रहे हैं और किसी व्यक्ति को जानकारी प्राप्त नहीं होती। अगला प्रश्न ।

गाड़ियों का सम्भरण

***१२८०. श्री ए० एन० टामस** : क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि देश के कुछ भागों में गाड़ियां मिल सकती हैं, परन्तु उन के सम्भरण की तुलना में बुक कराने के पर्याप्त प्रबन्ध नहीं हैं ?

(ख) विभिन्न रेलवे परिधि में गाड़ियों के मिलने की क्या स्थिति है ?

(ग) गाड़ियों के सम्भरण को सुधारने और यातायात की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा हाल में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लगभग अगस्त के मध्य से उत्तरी और पूर्वी रेलों की बड़ी लाइन पर और दक्षण रेल की छोटी लाइन पर यातायात

की समस्त मांग से अधिक गाड़ियां मिल सकती हैं।

(ख) उत्तर-पूर्वी रेल को छोड़ कर तमाम रेलों पर मुक्त मार्गों पर अर्थात ऐसे मार्गों पर जिन की लाइन सीमित नहीं है, यातायात कम या अधिक मात्रा में साधारणतया चालू रहता है, सीमित धारिता वाली लाइनों पर यातायात अभ्यंश द्वारा सीमित होता है, यद्यपि इन में से भी कुछ में साधारण माल के लिए डब्बों की मांग को पूरा किया जाता है।

उत्तर-पूर्वी रेल पर उपलब्ध डब्बे हाल की सारी मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वहां डब्बे कम हैं।

(ग) अधिक नये डब्बे और इन्जन खरीदने के लिये आदेश दिया गया है और आदेश देने का विचार है। कठिन मार्गों की लाइनों की धारिता को बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है।

श्री ए० एम० टामस : हम ने पंच वर्षीय योजना के अन्दर देश में ३०,००० डब्बों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि योजना के इस समय के बीच अब तक कितने डब्बे तैयार किये जा चुके हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हों ने योजना की प्रगति को प्रचालित नहीं किया है ?

श्री ए० एम० टामस : अब तक किया गया उत्पादन।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह उस में सम्मिलित नहीं है ?

श्री अलगेशन : देशी कारखानों से प्रति वर्ष ८००० डब्बे खरीदने का आदेश दिया गया है। वे इस मांग को पूरा कर सकते हैं।

श्री पी० सी० बोस : कुछ समय हुआ रेल के प्राधिकारियों ने "डब्बा सम्भरण योजना का अभिनवीकरण" नाम की योजना को चालू करने का प्रस्ताव रखा था। उचित रूप से डब्बे वितरित करने के लिये उस योजना का क्या फल हुआ है ?

श्री अलगेशन : हमें ऐसी किसी योजना का पता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या किसी प्रकार का अभिनवीकरण नहीं किया गया है ?

श्री बर्मन : सरकार ने यह बात मानी है कि उत्तर पूर्वी रेल पर गाड़ियों की कमी है और कई दूसरी रेलों पर कुछ अधिक गाड़ियां हैं, तो क्या सरकार ने ऐसा विचार नहीं किया है कि कुछ डब्बे उत्तर पूर्वी रेल के लिये भेज दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय : ये छोटी बातें हैं, जो वे स्वभावतः ही करेंगे।

श्री अलगेशन : मैं ने प्रश्न के (क) भाग के बारे में बतलाया था कि उत्तर और पूर्वी रेलों की बड़ी लाइन और दक्षिण रेल की छोटी लाइन पर डब्बों का सम्भरण, मांग के बराबर अथवा उस से अधिक है। उत्तर पूर्वी रेल पूर्णतया छोटी लाइन है।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि पश्चिमी रेल पर डब्बे की उपलब्धि की अवस्था संतोषजनक नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वर्णित की गई रेलों के अतिरिक्त सब रेलों पर इस की अवस्था संतोषजनक नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न प्रादेशिक रेलों को गाड़ियां देने की क्या पद्धति है। क्या गाड़ियां वास्तविक आवश्यकता के अनुसार दी जाती हैं अथवा सब रेलों के लिये बराबर ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह रेल की लम्बाई पर निर्भर है अथवा आवश्यकता ? यह बात माननीय सदस्य जानना चाहते हैं।

श्री अलगेशन : निस्सन्देह यह प्रत्येक रेल की आवश्यकता पर निर्भर है, और यह कार्य रेल मण्डल द्वारा किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस आधार पर ?

श्री अलगेशन : आवश्यकता के आधार पर।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि गाड़ियां देते समय, प्राधिकारी प्रस्तुत की गई मांग के अनुसार डब्बे नहीं बांटते ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे देर करते हैं, क्या ऐसी बात है ? प्रश्न क्या है ? माननीय सदस्य को स्वयं इसे समझाना चाहिये।

सरदार ए० एस० सहगल : प्रश्न यह है कि क्या यह तथ्य है कि डब्बे बांटते समय व्यादेश के अनुसार डब्बे नहीं बांटे जाते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कहां ? क्या स्टेशनों में ?

सरदार ए० एस० सहगल : डब्बों के लिये व्यादेश के अनुसार।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे समझना संभव नहीं है। बहुत से प्राधिकारी डब्बे बांटते हैं।

सरदार ए० एस० सहगल : व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यादेश।

श्री अलगेशन : जहां तक इन व्यादेशों का सम्बन्ध है, इन व्यादेशों को सब मामलों में उचित नहीं समझा जा सकता। अभी हाल में ही ऐसी घटनाएं हुई हैं कि हम ने बहुत से डब्बों का सम्भरण किया, तो इन में से बहुत से व्यादेश वापिस ले लिये गये। पता लग गया कि वे झूठे व्यादेश हैं। मैं आंकड़े भी बतला सकता हूं। देहली विभाग में बेजवाड़ा के रास्ते गंतव्य स्थानों के लिये २१८ डब्बों के व्यादेश वापिस ले लिये गये जब हम ने उन्हें डब्बे दिये। और सिकन्दराबाद के रास्ते ७१ डब्बे वापिस ले लिये गये, रायचूर के रास्ते १३२ और होतगी के रास्ते ३७ डब्बे वापिस ले लिये गये। दक्षिण रेल पर भी ऐसी ही बात हुई, और व्यापारियों को कुछ महीनों में ही ३०,००० रुपये समर्पण करने पड़े थे।

श्री के० सी० सोधिया : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या जनता के सामने "अपने डब्बे के स्वामी बनो" की कोई योजना रखी गई है ?

श्री अलगेशन : जी हां। कुछ व्यापारी हितों से इस योजना में उन की सम्मति और प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया है।

श्री टी० के० चौधरी : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि पूर्वी महाखण्ड में गाड़ियों की उपलब्धि पर्याप्त है। परन्तु हम देखते हैं कि कम से कम खानों के लिये गाड़ियों की उपलब्धि खानों द्वारा की गई मांग से आधी है। ऐसा क्यों है ?

श्री अलगेशन : कोयले को उठाने के लिये भी हमारे पास पर्याप्त गाड़ियां नहीं हैं। वास्तव में, एक समय ऐसा था जब कि आवश्यकता की अपेक्षा अधिक गाड़ियां थीं।

श्री पी० सी० बोस : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या रेल अधिनियम के अन्दर कोई ऐसा उपबन्ध है कि उन लोगों को दण्ड दिया जाय, जो गाड़ियों की मांग करते हैं, और उन में सामान नहीं लादते ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैं ने दूसरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए बतलाया, रेल के पास रखी गई धरोहर की रकम जब्त कर ली जाती है।

एर्णाकुलम-क्विलन रेलवे लाइन

*१२८१. **श्री ए० एम० टामस :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्णाकुलम–क्विलन रेलवे लाइन में पटरियां बिछाने के लिये ज़मीन तैयार करने के काम में कितनी प्रगति हुई है।

(ख) एर्णाकुलम और कोट्टयम के बीच इस लाइन के कब से चलाये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या पुल बनाने के सम्बन्ध में कार्य आरम्भ हो गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इस लाइन पर बिजली द्वारा रेलगाड़ी चलाये जाने की सम्भावना की जांच की जा रही है ; तथा

(च) यदि ऐसा है, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शहनवाज खां) : (क) एर्णाकुलम-कोट्टयम लाइन पर १२४ लाख घनफुट ज़मीन तैयार करने का काम किया गया है, अर्थात इस शीर्ष के अन्तर्गत लगभग २५ प्रतिशत काम किया गया है ।

(ख) यह १९५५ से चलाई जायगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) तथा (च). इस मामले की जांच हो रही है । अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि क्या १९५२-५३ के लिये निर्धारित धन इसी वर्ष खर्च कर दिया जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या इस लाइन के लिये काफ़ी जमीन ले ली गई है और इसके निर्माण के लिये उस स्थान पर सामान ले जाया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : इस समय एर्णाकुलम से कोट्टयम भाग, जिसके बीच ३७ मील की दूरी है, के लिये मंजूरी दी गई है और इस ३७ मील में से ३० मील के टुकड़े के लिये ज़मीन ले ली गई है और शेष भाग को शीघ्र प्राप्त कर लिया जायेगा ।

हैदराबाद में सेवा योजनालय

***१२८२. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में सेवा योजनालयों को पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार में मिला दिया गया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या ये केन्द्रीय सरकार के नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) का उत्तर अस्वीकारात्मक है किन्तु सभी कार्यों के हेतु इसकी कार्य प्रणाली अन्य स्थानों के सेवा योजनालयों की कार्य प्रणाली के समान ही है । मैं माननीय सदस्य की सूचनार्थ यह बता दूं कि भाग 'ख' राज्यों के सेवा योजनालयों को सम्बद्ध राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट के रूप में चलाती हैं । इसमें वित्तीय, प्रशासन तथा नीति संबंधी नियन्त्रण और उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का होता है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जान सकता हूं कि क्या सेवा योजनालयों के केन्द्रीय निरीक्षणालय ने हैदराबाद के सेवा योजनालय का निरीक्षण किया है ?

श्री वी० वी० गिरि : इसने उसका निरीक्षण अवश्य किया होगा ।

गारो पहाड़ियों से रेलवे लाइन

***१२८३. सरदार ए० एस० सहगल** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गारो पहाड़ियों की कोयला खानों को मुख्य रेलवे लाइन से मिलाने वाली एक रेलवे लाइन के बनाये जाने के सम्बन्ध में मांग की गई है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि राज्य योजना मंत्रणा बोड ने इस रेलवे लाइन के शीघ्र आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में सिफारिश की है ; तथा

(ग) यदि एसा है तो इस मामल में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) यह बताना अभी जल्दी ह ।

श्री अमजद अली : भाग (क) से उत्पन्न होने वाली बात के सम्बन्ध में मैं जान सकता हूं कि गारो पहाड़ियों के किस स्थान से लाइन आसाम रेलवेज़ की मुख्य लाइन से मिलाई जायेगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : इंजीनियरिंग सम्बन्धी बहुत से पर्यालोकन किये गये थे और तीन भिन्न भिन्न प्रस्तावों पर विचार किया गया था :

(१) दारनगिरि = अमजंगा = पांडू ।

(२) दारनगिरि = उंगनानी = गोल-पाड़ा-चेरी-जेगीद्योपा होंगे-गांव ।

(३) दारनगिरि से ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे पर एक दृढ़ स्थान तक एक सीधी लाइन बनाने का प्रस्ताव ।

श्री अमजद अली : क्या इनमें से किसी को स्वीकार कर लिया गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इंजीनियरिंग सम्बन्धी पर्यालोकन किये गये हैं और रेल मंत्रालय पूरी परियोजना की जांच करने के लिये तयार था । किन्तु ऐसी किसी परि-योजना को आरम्भ करने से पूर्व हम उत्पादन मंत्रालय से यह जानना चाहते थे कि क्या वह इस बात का पता लगायेगा कि क्या वहां अच्छी किस्म का कोयला है और क्या वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । वह मंत्रालय एसा करने को उद्यत नहीं है इसलिये इस मामले में कोई प्रगति नहीं हो सकी ।

श्री अमजद अली : कोयले की खानों से कोयला निकालने के लिये ठके तो पहले ही दे दिये गये हैं । मैं जान सकता हूं कि क्या रेल मंत्रालय ने गारो पहाड़ियों की कोयला खानों से रेलवे लाइन निकालने के सम्बन्ध में अन्तिम आंकड़े तैयार कर लिये हैं?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसे ही आसाम सरकार हमसे इसके लिये कहेगी हम यह करेंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह : आप मिनिस्ट्री आफ प्रोडक्शन से इस सम्बन्ध में जो जांच कराने वाले हैं, उस जांच में आपको कितना समय लगेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : उसकी जांच करने के लिये रेलवे मिनिस्ट्री को कोई समय नहीं चाहिये । वर्क्स, माइन्स एण्ड पावर जो आपकी प्रोडक्शन मिनिस्ट्री है उससे इस बारे में पूछिये ।

भारतीय जहाज़

***१२८५. श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि विदेशी जहाज बन्दरगाह से चलते समय पूरे भरे हुए होते हैं, और भारतीय जहाज कुछ कुछ भरे हुए ?

(ख) यदि ऐसी बात है, तो क्या सर-कार ने इस के कारणों का पता लगाया है और इस मामले में कोई कार्यवाही की है ?

(ग) क्या सरकार ने चलने वाले भारतीय जहाजों और समुद्र तटीय जहाजों की चिरस्थायित्व का अनुमान लगाया है ?

(घ) यदि ऐसा है, तो कितन जहाजों को बिल्कुल ठीक करने और नवीन रूप देने की आवश्यकता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) : आंकड़े बतलाते हैं कि भारतीय नौवहन कम्पनियां विदेशी कम्पनियों की अपेक्षा औसतन अधिक टन माल अपने जहाजों में लदवाती हैं । दूसरे बन्दरगाहों से कितना माल लादा जाता है, इसके विषय में जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(ग) तथा (घ): समुद्रतटीय और विदेश व्यापार में लगे हुए ९७,३२४ सकल टन के ४६ जहाजों की आयु २० वर्ष से अधिक है, और निकट भविष्य में उनको बदलने की आवश्यकता हो सकती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन नौवहन कम्पनियों के पास आधुनिक और कुशल यूनिट्स वाले जहाज़ हैं ? यदि नहीं, तो क्या विदेशी जहाजों से उन्हें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है ।

श्री अलगेशन : समुद्रतटीय व्यापार में नवीन जहाजों द्वारा बदलने के लिये लगभग ३७ प्रतिशत टन की और विदेश व्यापार में लगभग ३ प्रतिशत टनेज की आवश्यकता होती है । जैसा कि सदन को पता है, सरकार ऋण देकर नौवहन कम्पनियों की सहायता कर रही है जिससे कि वे अपने पुराने जहाजों को बदल सकें और नये जहाज खरीद सकें ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि धनाभाव के कारण ये कम्पनियां अपनी विस्तार योजना को चलाने में असमर्थ हैं ? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या पंचवर्षीय योजना में इनको पर्याप्त सहायता मिलेगी अथवा नहीं ?

श्री अलगेशन : इस उद्देश्य के लिये ऋण के रूप में देने के लिये ६ करोड़ रुपये की रकम अलग रखी गई है । निस्सन्देह, नौवहन कम्पनियों को भी इसके अतिरिक्त और तीन करोड़ रुपये की आवश्यकता है । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन सब ४६ जहाजों को बदलने के लिये जो कुल मूल्य लगेगा, वह इस रकम के अन्दर आ जायेगा ।

तामलुक आउट-एजेन्सी

*१२८६. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी रेलवे पर तामलुक आउट-एंजेसीं इस समय कैसे कार्य कर रही है ?

(ख) पंचकुरा रेलवे स्टेशन को मिलाने के लिये उस आउट-एजंसी के पास कितनी यातायात की बसें हैं ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि वर्षा तथा धूप से बचाव करने के लिये यात्रियों और बसों के लिये पंचकुरा रेलवे स्टेशन के आस पास कोई ओसारा नहीं है ?

(घ) क्या सरकार को इस मामले में कोई प्रत्यावेदन मिला है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तामलुक आउट-एजंसी संतोष- पूर्ण कार्य कर रही है ।

(ख) पांच ।

(ग) पंचकुरा रेलवे स्टेशन के साथ बसों के लिये कोई ओसारा नहीं है । स्टेशन की इमारत में ढके हुए विश्राम भवन में यात्रियों के लिये जगह है, जो समीप ही है ।

(घ) जी, हां ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह मैं जान सकता हूं कि क्या आउट-एजंसी की इन

पांच बसों के अतिरिक्त और दूसरी बसें भी चलती हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : सम्भवत: चलती हैं परन्तु मुझे कोई निश्चित पता नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह तथ्य नहीं है कि इस आउट-एजंसी के साथ एक संस्था मिल गई है, जिससे कि संख्या १५ तक बढ़ गई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : उन्होंने इसके लिये इकट्ठे होकर निवेदन किया है, और रेल मंडल ने इसे स्वीकार कर लिया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : अब तक रेल मंडल की ऐसी नीति है कि आउट एजंसियों के लिये अनुज्ञप्ति देने में बाहर के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने बाहर के व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियों की मंजूरी देने के लिये कार्यवाही की है ?

श्री अलगेशन : उनका बाहर के व्यक्तियों से क्या आशय है ?

श्री एस० सी० सामन्त : मेरा अभिप्राय आउट साइडरज़ से उन लोगों से है, जो बाहर के व्यक्ति लाइन पर अपनी गाड़ियां चलाते हैं । लाइन पर बाहर के दूसरे लोग भी अपनी दूसरी बसें चलाते हैं ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जैसा कि आपको पता है, ये अनुज्ञाएं राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं ।

उन्होंने इन कामों के लिये अनुविहित प्राधिकारी निश्चित कर रखे हैं, और वे अपनी सहायता के लिये कुछ सीमा तक रेलों के प्राधिकारियों से भी परामर्श ले लेते हैं । मैं नहीं समझता कि इन अनुज्ञाओं को देने में रेलों का भी हाथ है । साधारणतया जब एक ठेकेदार आउट एजेंसी लेना चाहता है, तो वह अनुज्ञा प्राप्त कर लेता है ।

पानीपत-गोहाना रलवे लाइन

*१२८७. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या उत्तरी रेल पर पानीपत-गोहाना रेल ट्रैक को ठीक करने के लिये निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य के कब लिये जाने की आशा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथ (ख) : प्रश्न पंजाब सरकार के परामर्श के साथ विचाराधीन है ।

सरदार हुक्म सिंह : यदि मुझे ठीक याद है, तो यह १९५३–५४ के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था । क्या सरकार उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिये सक्षम रहेगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह कार्य सम्मिलित किया गया था ? यदि यह कार्य तब सम्मिलित किया गया था, तभी इसके पूरा करने का प्रश्न उठाया जा सकता है ।

श्री शाहनवाज़ खां : रेल प्रशासन की मूल नीति यह थी कि १९४२ में जो भी लाइनें उखाड़ दी गई थीं, उनको बदल दिया जाय, परन्तु तत्पश्चात हमारे पास पंजाब सरकार की ओर से चण्डीगढ़ के रास्ते अम्बाला से काल्का तक मुख्य लाइन को बदल दिये जाने की विनती प्राप्त हुई और इस नवीन कार्य को प्राथमिकता दी गई है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि पुराने रास्तों को बदलने की सूची में इस लाइन का कौनसा नम्बर है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जैसा कि सभासचिव ने बतलाया, राज्य सरकार की विनती पर इस चण्डीगढ़ योजना को प्राथमिकता दी गई थी । मैं माननीय सदस्य को इस की निश्चित प्राथ-

मिकता नहीं बतला सकता । परन्तु इस पानीपत-गोहाना लाइन को बदलने की योजना समाप्त नहीं की गई है, और वास्तव में हम इस के विषय में राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं ।

चंडीगढ़ के लिये रेल-सम्बन्ध का परिमाप

*१२८८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ के लिये रेल संबंध का परिमाप-कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ; और

(ख) क्या इसे मुख्य अम्बाला-कालका लाइन पर लाया जायगा, अथवा इसे पुराने रास्ते के साथ लूपलाइन के द्वारा ही मिला दिया जायगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :(क) तथा (ख) परिमाप-कार्य पूरा हो चुका है और अम्बाला-कालका मुख्य लाइन पर नवीन राजधानी को लाने के लिये प्रस्तावित विकर्षण के निर्माण कार्य को अपने हाथ में लेने का अधिकार रेलवे प्रशासन को दे दिया गया है । और अब यह कार्य प्रगति कर रहा है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या लूप लाइन को बन्द कर देने का विचार है, अथवा वह चलती रहेगी ?

श्री अलगेशन : मैं आपके प्रश्न को ठीक ठीक नहीं समझ पाया ।

सरदार हुक्म सिंह : यदि चन्डीगढ़ को मुख्य अम्बाला-कालका लाइन पर लाया गया तो इस समय वर्तमान जो रास्ता है वह बेकार हो जायगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस रास्ते को लूप लाइन के रूप में उपयोग में लाया जायगा, अथवा इस लाइन को उखाड़ दिया जायगा ?

श्री अलगेशन : मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता । मेरा विचार है कि वह लाइन भी रहेगी, और मैं ऐसा नहीं सोचता कि उसे समाप्त कर दिया जायगा ।

सरदार हुक्म सिंह : चंडीगढ़ को मुख्य लाइन पर लाने के लिये सरकार कितनी देर लगायेगी ?

श्री अलगेशन : हम इस वर्ष की समाप्ति तक इसे पूरा करने की आशा करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कैलंडर वर्ष की समाप्ति तक ?

श्री अलगेशन : जी हां ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इससे आपका आशय निर्माण से है अथवा गाड़ियों के चलने से भी ?

श्री अलगेशन : निर्माण कार्य से, और इसके शीघ्र ही पश्चात् गाड़ियां भी चलने लगेंगी ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या लागत का अनुमान लगाया गया है ?

श्री अलगेशन : जी हां, उत्तरी रेल के काम को आगे बढ़ाने के लिये कहा गया है, जब कि विस्तृत प्राक्कलनों की सूक्ष्म परीक्षा की जा रही है ।

दक्षिण रेलवे कर्मचारी वर्ग को मुअत्तिली

*१२८९. **श्री विट्ठल राव** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे के श्रेणी १ तथा श्रेणी २ के कितने कर्मचारी इस समय मुअत्तिल हैं ?

(ख) उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं ?

(ग) इन कर्मचारियों में से कितने भूतपूर्व मैसूर राज्य रेलवे में सेवायुक्त थे ?

(घ) रेल विभाग में भ्रष्टाचार की जांच के लिये क्या कोई समिति नियुक्त की गई है ?

(ङ) यदि की गई है, तो इसके सदस्य कौन हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) श्रेणी १ अधिकारी: कोई भी नहीं ; श्रेणी २ अधिकारी: दो ।

(ख) अनाज की दुकानों संबंधी सुविधाओं तथा विशेषाधिकार पासों आदि का दुरुपयोग करने के आरोप ।

(ग) दोनों अधिकारियों का संबंध भूतपूर्व मैसूर राज्य रेलवे से है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) एक विवरण, जिस में कि इस समिति के सदस्यों के नाम दिये गये हैं, सदन पटल पर रख दिया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८]**

श्री विट्ठल राव : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन मामलों के संबंध में कोई अभियोग चलाया जायगा ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, जांच हो रही है । एक मामला तो रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है ।

श्री विठ्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि एक विशेष राजनीतिक दल के सदस्यों को इस समिति में क्यों नहीं लिया गया ?

श्री अलगेशन : यह समिति पार्टी लाइनों पर नहीं बनी है । सारे सदन की रचना को ध्यान में रख कर यह समिति इस उद्देश्य से बनाई गई कि अधिकतम परिणाम प्राप्त हों ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, यह अधिकारी कब से मुअत्तिल हैं तथा इनके मामलों का कब फैसला हो जायगा ?

श्री अलगेशन : एक का फैसला तो जल्दी ही हो जायगा । दूसरे की जांच हो रही है ।

श्री शिवनंजप्पा : क्या मैं इन अधिकारियों के नाम तथा पद जान सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह जानना काफी है कि यह दो अधिकारी हैं ।

श्री ए० एम० टामस : क्या यह सत्य है कि इन अधिकारियों की मुअत्तिली तथा उनके मामलों के निर्णयन के बीच . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बात कहना चाहता हूं । यह ठीक है कि इन्हें मुअत्तिल किया गया है । मैं इनके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । मुझे इनकी कोई जानकारी नहीं । जांच हो रही है । हो सकता है कि वह बरी हो जायें अथवा उनकी दोषसिद्धि हो जाये ।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान्, मैं इस मामले के बारे में नहीं पूछना चाहता हूं । क्या यह सत्य है कि रेल अधिकारियों की मुअत्तिली तथा उनके मामलों के निर्णय के बीच तीन वर्ष, चार वर्ष अथवा छै वर्ष भी बीत जाते हैं ।

श्री अलगेशन : मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य यह सूचना कहां से प्राप्त करते हैं । कम से कम इस मामले में तो ऐसा नहीं है । ऐसे मामलों में जो विलम्ब होता है वह केवल प्रशासन के कारण ही नहीं होता है ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने जो विवरण दिया है, उससे पता चलता है कि बारह नामों में से कोई भी सदस्य कम्युनिस्ट दल से संबंध नहीं रखता है । माननीय मंत्री ने बताया कि यह समिति सदन की रचना को ध्यान में रखकर बनाई गई है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह रचना क्या थी ?

श्री अलगेशन : मैं ने समझा था कि समिति में अधिकांश रूप से इसका प्रतिनिधित्व आया है ।

श्री वी० पी० नायर : हम देखते हैं कि सब से बड़े विरोधी पक्ष को इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसका कारण क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का विचार है कि इसे समुचित रूप से सदन का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ।

श्री वी० पी० नायर : किसी कम्युनिस्ट सदस्य को क्यों न लिया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विट्ठल राव ने भी यही प्रश्न पूछा था तथा श्री नायर इसी को विस्तार दे रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर : लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या किया जा सकता है ?

पंडित के० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार की नीति क्या है; क्या ऐसे लोगों को वैभागिक रूप से दंड दिया जाता है अथवा क्या उन के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है यदि उनका अपराध गंभीर रूप का हो ?

श्री अलगेशन : यह बात प्रत्येक मामले के गुण दोषों पर निर्भर है, जहां तक इन दो अधिकारियों का संबंध है वैभागिक कार्यवाही की जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभी बात मामले की गंभीरता पर तथा जांच के परिणामों पर निर्भर है ।

पंडित के० सी० शर्मा : मैं निवेदन करता हूं कि यदि मामले गंभीर रूप के हों तो उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट पर निर्भर है । इस में मुकदमा चलाने अथवा न चलाने की बात कही गई होगी ।

श्री जे० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ अधिकारी इसलिये मुअत्तिल किये गये कि उनकी सहानुभूति कुछ राजनीतिक संघटनों के साथ थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अधिकारियों की भ्रष्टाचारपूर्ण गतिविधियों से संबंध रखता है । मंत्री जी पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं । अब आप ऐसा करके केवल जटिलताएं पैदा कर रहे हैं ।

बेलजियम से रेल डिब्बों के ढांचों का आयात

*१२९०. **श्री विट्ठल राव** : (क) क्या रेल मंत्री १६ अप्रैल १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १०७६ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में रेल डिब्बों के जितने ढांचे बेलजियम से मंगाये गये थे, उन में से कितने प्राप्त किये जा चुके हैं ?

(ख) कितने ढांचे हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड कम्पनी के पास भेजे गये हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी में ढांचों की कमी के कारण डिब्बों का निर्माण १३ से कम करके १० प्रति मास कर दिया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी तक कोई भी नहीं । निर्माताओं के कारखानों में हड़तालें हुई हैं तथा इस कारण से विलम्ब हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) ढांचों की कम प्रदाय को ध्यान में रखते हुए उत्पादन दस डिब्बे प्रति मास तक सीमित रखना पड़ा है ।

श्री विट्ठलराव : क्या सरकार को मालूम है कि हाल ही में एक प्रश्न के उत्तर में उस ने बताया है कि डिब्बों के ढांचों की प्रदाय में वृद्धि की गई है ?

श्री अन्नगेशन : श्री मान्, मुझे याद नहीं कि ऐसी कोई बात कही गई है ।

कलकत्ता बन्दरगाह के कमकर

*१२९१. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कलकत्ता बन्दरगाह अधिकारियों द्वारा अपने अनुसूचित कमकरों पर निम्नतम मजूरी अधिनियम लागू न करने के प्रश्न पर हाल ही में कलकत्ता बन्दरगाह में एक आम हड़ताल हुई थी; तथा ;

(ख) यदि हुई थी, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है तथा उस की उपपत्तियां क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी): (क) २८ अगस्त १९५३ को बन्दरगाह के कुछ भागों में आंशिक रूप से काम बन्द हुआ था ।

(ख) जी नहीं । बन्दरगाह कमिश्नर निम्नतम मजूरी अधिनियम १९४८ को क्रियान्वित करने की आवश्यकता से सचेत हैं तथा वह कमकरों को अतिरिक्त समय के लिये भूतलक्षी प्रभाव से उस दर पर मजूरी देने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि अधिनियम में निश्चित की गई है । तथा यह उस दिन से दी जायेगी जब से कि कर्मचारी इसके ग्राह्य हुए हों ।

माननीय सदस्यों की सूचना के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता के बन्दरगाह न्यासों को अनुदेश दिया गया है कि वह निम्नतम मजूरी अधिनियम १९४८ को पूर्णतयः क्रियान्वित करें । यह लाभ उन सभी श्रेणियों के कमकरों तक पहुंचाया जायेगा जिनके सम्बन्ध में कि निम्नतम मजूरी १९५१ में अथवा उसके बाद निश्चय की गई है । यह लाभ उन कमकरों तक भी पहुंचाया जायेगा जिनके सम्बन्ध में कि अभी निम्नतम मजूरी निश्चित नहीं की गई है । यातायात मंत्रालय से प्रार्थना की गई है कि वह बन्दरगाह कमिश्नरों को अनुदेश दे कि ऐसी सभी श्रेणी के कमकरों को अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित निम्नतम मजूरी दी जाये जिन्हें कि यह देनी अपेक्षित हो । मजूरी सीमा को निबंधित करने का खंड हटाया जा रहा है । हम ने कब से यह निश्चय किया है कि ७५ रुपया प्रति मास अथवा तीन रुपया प्रतिदिन की सीमा को हटा दिया जाये ।

श्री तुषार चटर्जी : मैं सरकार से एक निश्चित उत्तर प्राप्त करना चाहता हूं कि क्या प्राधिकारियों ने वास्तव में इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघन किया था ?

श्री वी० वी० गिरी : उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं ; कुछ बातें चूक गई थीं । कुछ गलतफहमी पैदा हुई थी तथा हमने सारा मामला अब साफ किया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या निम्नतम मजूरी अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिये बम्बई तथा कलकत्ता दोनों जगहों पर हड़तालें हुई थीं । क्या यह केन्द्रीय सरकार की बेखबरी के कारण हुआ है ?

श्री वी० वी० गिरी : यह बेखबरी के कारण नहीं हुआ है; यह मिथ्याशंकाओं के कारण हुआ है ।

श्री लंका सुन्दरम् : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि मद्रास तथा कलकत्ता

के बन्दरगाह प्रन्यासों के अधिकारियों को अनुदेश दिये गये हैं । क्या इसी प्रकार के अनुदेश विशाखापटनम जैसी बन्दरगाहों के अधिकारियों को भी दिये जायेंगे ?

श्री वो० वो० गिरी : मेरा ऐसा ही विचार है, किन्तु मैं इस सम्बन्ध में निश्चित नहीं हूं । मैं इस पर ध्यान दूंगा ।

खाने की चीजें बेचने वालों को लाइसेंस दिया जाना

*१२९२. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या रेलवे प्लेटफार्मों पर खाने की चीजें बेचने वालों को लाइसेंस भिन्न भिन्न रेलों के अपने अपने सदर मुकामों पर ही दिये जाने लगे हैं और क्या सम्बन्धित स्टेशनों के प्राधिकारियों का भी इस मामले में हाथ होता है ;

(ख) प्लेटफार्मों पर यात्रियों को खराब तथा मिलावट वाला खाना दिये जाने को रोकने के लिये क्या तरीका बनाया गया है;

(ग) यात्रियों को उचित मूल्य पर अच्छा खाना दिलवाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित सामान्य नीति के अधीन रहते हुए, खाने की चीजें बेचने वालों को लाइसेंस कुछ रेलों पर हैडक्वार्टर्स कमर्शियल आफिस में तथा कुछ पर डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल या प्रादेशिक कार्यालयों में दिये जाते हैं । किसी भी रेलवे में यह काम स्टेशन प्राधिकारियों के सुपुर्द नहीं है ।

(ख) तथा (ग). स्टेशन मास्टरों, इंस्पेक्टरों तथा रेलवे अधिकारियों द्वारा बार बार किये जाने वाले निरीक्षणों से यात्रियों को दिए जाने वाले खाने की किस्म पर नियन्त्रण रखा जाता है । रेलवे चिकित्सकीय प्राधिकारी भी समय समय पर सब दूकानों, तथा विक्रेताओं और उनके द्वारा बेची जाने वाली चीजों की जांच करते रहते हैं । कीमतें रेलवे प्रशासन द्वारा उस स्थान के चालू बाजार भाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जाती हैं ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या सरकार ने इस बात की वांछनीयता पर विचार किया है कि लाइसेंस केवल ऐसे व्यक्तियों को ही दिये जायें जो कि स्वयं खाने-पीने की चीजें बेचते हैं, न कि बड़े बड़े लोगों को जो कि दूसरे व्यक्तियों को ठेका दे देते हैं और इस प्रकार उन का शोषण करते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : वैसे तो रेलों में इस चीज़ की बिल्कुल मनाई है, परन्तु फिर भी यदि माननीय सदस्य रेलवे की जानकारी में ऐसा कोई विशिष्ट मामला लायें तो इस सम्बन्ध में सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

श्री वो० पी० नायर : खाने पीने की चोज़ों की जांच करने के लिये कितने खाद्य विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं ? ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस की "रिफ्रैशमैंट कार" में खाने-पीने की चीज़ों की कितनी बार जांच की गई है ? प्रायः देखा गया है कि वहां ये चीज़ें खराब किस्म की तथा अत्यधिक महंगी होती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : चार प्रश्न पूछे गये हैं—किस्म खराब होना, कीमत अधिक होना, खाद्य विशेषज्ञों की नियुक्ति तथा खाद्य वस्तुओं की जांच ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : रेलवे निरीक्षक तथा रेलवे अधिकारी व स्टेशन के कर्मचारी समय समय पर जांच करते रहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई खाद्य विशेषज्ञ भी नियुक्त हैं ?

श्री अलगेशन : इस समय तो मैं इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दे सकता। जहां तक ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस में खाद्य वस्तुओं के बेचे जाने का सम्बन्ध है, हमें इस सदन के तथा दूसरे सदन के सदस्यों से शिकायतें मिली हैं। मैं ने तुरन्त ही मामले की जांच कर के ठेकेदारों को यह सूचना दिलवा दी है कि वह प्रबन्ध सुधारें। मेरा ख़्याल है कि कुछ सुधार हो भी रहा है।

श्री थानू पिल्ले : क्या माननीय मंत्री ने ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस में लगने वाले खाने के डिब्बे में खाने पीने की वस्तुओं सम्बन्धी व्यवस्था से अपना संतोष कर लिया है ?

श्री अलगेशन : मैं तो कई बार अपना सन्तोष कर चुका हूं।

श्री थानू पिल्ले : मैं यह जानना चाहता हूं, श्रीमान, कि क्या माननीय मंत्री वहां की व्यवस्था से सन्तुष्ट हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने कहा है वह तो पूर्णतः सन्तुष्ट हैं। हालत में कुछ सुधार हो रहा है।

श्री ए० एन० सिंहालंकार : क्या यह सच है कि रेलवे में बड़े ठेकेदारों द्वारा, जिन्हें कि लाइसेंस दिये जाते हैं, दूसरे लोगों को ठेका दिया जाना न केवल एक सामान्य बात हो गई है बल्कि एक नियम सा बन गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा कि मैं ने पहले कहा, हमें विशिष्ट मामले बतलाये जायें, अस्पष्ट बातों से काम नहीं चलेगा।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सरकार को मालूम है कि कंप्लेंट बुक कंट्रैक्टर्स के पास रखी जाती हैं और उस पर जो कंप्लेंट की जाती हैं, क्या उन पर भी कभी गौर किया गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : बहुत जोर से गौर किया जाता है।

श्री रघुनाथ सिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि रेलवे में जो फूड मिला करती है और दूध मिलता है, उस में पानी का अंश कितना होता है ?

श्री जांगड़े : अभी माननीय पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी ने कहा कि प्लैटफार्म पर खाने की वस्तुओं की जो कीमत होती है वह स्थानीय बाजार के भाव के बराबर होती है। क्या सरकार को मालूम है कि ईस्टर्न रेलवे के प्लेटफार्म पर बिकने वाली चीज़ों की कीमत बाजार के भाव से दुगुनी होती है ?

श्री शाहनवाज़ खां : मैं ने कहा है कि जहां तक मुमकिन हो सकता है चीज़ों की कीमत लगभग जो बाजार की कीमत है, वह होती है। लेकिन यह खास तौर पर कहना कि जितनी बाजार में कीमत है वही स्टेशन पर होगी, यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि स्टेशन वालों को खास हिसाब किताब रखना पड़ता है और कई जगह पर शायद कीमत थोड़ी ज्यादा होगी।

सरदार हुक्म सिंह : साधारणतया यह कह दिया जाता है कि बड़े ठेकेदारों द्वारा दूसरे लोगों को ठेका दिया जाना प्रतिषिद्ध है। क्या सदन यह समझे कि ऐसे कोई ठेकेदार नहीं हैं जो दूसरे लोगों को ठेका दे देते हैं और उन से बहुत ज्यादा शुल्क वसूल करते हैं ? क्या अब इन बेचने वालों को सरकार सीधे ही लाइसेंस देती है ?

श्री शाहनवाज़ खां : हां, कुछ बेचने वालों को सीधे भी लाइसेंस दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा-सचिव पहले ही कह चुके हैं कि सामान्य रूप से तो ऐसा होता नहीं है, परन्तु फिर भी यदि कोई विशिष्ट मामला उन्हें बतलाया गया तो वह इस सम्बन्ध में कोई मामूली नहीं बल्कि सख़्त कार्यवाही करेंगे।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या यह बात सही है कि सोनपुर रेलवे स्टेशन पर जो

छोटे छोटे बैंडर हैं, वे कांट्रेक्टर के जरिये रखे गये हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : मुझे हिन्दुस्तान के हर एक स्टेशन पर क्या क्या हो रहा है, यह मालूम नहीं है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या माननीय मंत्री महोदय इन सारी चीज़ों के बारे में जो कि इस हाउस के सामने आई हैं, उन के लिये एक कमेटी बिठा कर तहकीकात करने की कोशिश करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कमेटी ?

रेल तथा संचार मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : खाना साधारणतः इतना खराब नहीं होता जितना कि बतलाया जाता है, क्योंकि ठेकेदारों की बिक्री बहुत ज्यादा होती है । अतः यह कहना ठीक नहीं है कि खाना खराब होता है । यदि खाना वास्तव में इतना ही खराब होता तो माननीय सदस्यगण या यात्री उसे लेते ही क्यों ।

कुछ माननीय सदस्य : तो क्या वे भूखे रहें ?

श्री एल० बी० शास्त्री : भूखे रहने की भी क्या ज़रूरत है ? वे दूध या फल वगैरह पर रह सकते हैं । फिर भी मैं सदन को यह बतला दूं कि भोजन सम्बन्धी व्यवस्था, ठेकेदारों तथा खाने-पीने की चीज़ें बेचने वालों को लाइसेंस देने का सारा मामला अखिल-भारतीय रेल प्रयोक्ता परिषद् की अगली बैठक में रखा जायेगा । ख्याल है कि उक्त परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जायगी और उन पर अमल करने की कोशिश की जायेगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या इसका शनलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न का घंटा समाप्त हुआ ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं ने १५ दिन पूर्व एक ऐसे ही प्रश्न की सूचना दी थी---यह प्रश्न 'टाइम्स आफ़ इंडिया' के बारे में था--परन्तु अभी तक उसका उत्तर नहीं दिया गया है; न ही मुझे उस का कोई जवाब दिया गया है । मैं जानना चाहती हूं कि ऐसा क्यों है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता । मेरी समझ में मैं तो इन बातों में विभेद करता नहीं हूं । फिर भी मैं इस बारे में जांच करूंगा ।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): मैं उस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मुझे इस बात की भी सूचना नहीं दी गई कि उक्त प्रश्न प्राप्त हो गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कभी-कभी....

श्री एस० एल० द्विवेदी : मेरा प्रश्न सब से पहले भेजा गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद माननीय सदस्य को यह पता न हो कि माननीय सदस्या ने अपने प्रश्न की सूचना कब दी--हो सकता है कि उन्हों ने ही सूचना पहले दी हो ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : विशेषतः इस सत्र में सदस्यों को उन के प्रश्न स्वीकार न किये जाने की कोई सूचना नहीं दी गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, निस्सन्देह, इस मामले की जांच करूंगा । मैं इस सम्बन्ध में एक अधिक अच्छा तरीका लागू करना चाहता था; परन्तु मेरा ख्याल था कि जब तक नया तरीका लागू न हो तब तक वर्तमान तरीका ही चालू रहे । हो सकता है कि आने वाले नये तरीके को ध्यान में रखते हुए कभी कभी वर्तमान तरीके को भी छोड़ दिया गया हो । अब मैं प्रस्तावित तरीके के बारे में कुछ बतलाता हूं । जैसा कि चैकों के सम्बन्ध में होता है कि जब कोई चैक मंजूर नहीं किया जाता तो उस के पीछे १, २, ३ आदि नम्बर दे कर कुछ मद दे दिये जाते हैं जिन में वे कारण होते हैं

जिन के आधार पर चेक का रुपया नहीं दिया गया, उसी प्रकार इन प्रश्नों के सम्बन्ध में भी एक ऐसा ही तरीका अपनाया जाये और प्रश्नों के साथ एक स्लिप लगा दी जाये जिस में वे कारण दिये हों जिन से कि अमुक प्रश्न स्वीकार नहीं किये गये। हम वे मद तैयार कर रहे हैं जिन के अन्तर्गत प्रश्नों को अस्वीकार किया जा सकता है। इस दौरान में वही पुराना तरीका चालू था। फिर भी हमें कभी कभी माननीय सदस्यों से ये शिकायतें मिलती रहती हैं कि उन के प्रश्न का जवाब——हां या ना में—— नहीं दिया गया। मैं इस की भी जांच कर लूंगा। परन्तु मुझे इस बात का अफ़सोस है कि यह मामला मेरी सूचना में एक ऐसे वक्त लाया गया है जबकि वर्तमान सत्र खत्म होने ही वाला है। कुछ भी हो, मैं इस की जांच तो करूंगा ही।

श्री गिडवानी : बहुत से ऐसे प्रश्नों को जिन के उत्तर देने में कुछ असुविधा हो सकती है, 'तारांकित' से 'अतारांकित' किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को यकीन दिला सकता हूं कि जहां तक संसद् के कर्मचारी वर्ग का सम्बन्ध है, वे किसी दल का पक्षपात नहीं करते। कभी कभी माननीय सदस्य सभी प्रश्न पूछना चाहते हैं। परन्तु हो सकता है कि उन प्रश्नों का सम्बन्ध ऐसे विषयों से हो जिन के बारे में इस बात पर मतभेद हो कि वे प्रश्न तारांकित होने चाहियें या अतारांकित। हां, यदि कोई विशिष्ट मामला मेरी जानकारी में लाया जाये——कि सदन के हित में इसे तारांकित प्रश्न माना जाये——तो मैं इस पर विचार करूंगा और यह बतलाऊंगा कि उस सम्बन्ध में क्या किया जाये।

श्री गिडवानी उठे——

उपाध्यक्ष महोदय : उदाहरण के तौर पर, आज जो प्रश्न पूछे गये उन्हीं में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन के (क) से लेकर (ज) तक भाग हैं और वे इतने बड़े हैं कि चार प्रश्नों में ही एक पृष्ठ भर जाता है।

श्री ए० के० गोपालन : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा टाइम्स आफ़ इण्डिया सम्बन्धी प्रश्न का जो उदाहरण दिया है उस के अलावा एक और भी उदाहरण है जिस में मेरे मलाबार की बाढ़ सम्बन्धी एक ऐसे ही अल्प सूचना प्रश्न को अस्वीकार कर दिया गया था। उस के बाद बाढ़ के सम्बन्ध में कई अन्य सूचना प्रश्न और साधारण प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। तो ये दो उदाहरण हैं। वैसे तो अन्य उदाहरण भी हैं जिन से यह पता लगता है कि हम लोगों द्वारा रखे गये कुछ प्रश्न तो स्वीकार नहीं किये गये परन्तु दूसरे लोगों द्वारा पूछे गये प्रश्न स्वीकार कर लिये गये। क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक प्रश्नों का सम्बन्ध है, यह विभेद क्यों बरता जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं साम्यवादी दल के नेता को विश्वास दिलाता हूं कि जान बूझ कर ऐसा कोई विभेद नहीं किया जाता। हो सकता है कभी कभी ऐसी बात हो जाती हो, परन्तु हमारा इरादा वैसा नहीं है। मैं इस की जांच करूंगा। प्राथमिकता क्रम के अनुसार, जब एक प्रश्न स्वीकार कर लिया जाता है तो दूसरे प्रश्न——प्रश्नों की सूचना दिये जाने के क्रमानुसार——बाद में आते हैं। अब जब कि आपने ये दो उदाहरण दिये हैं, मैं इस की जांच करूंगा। हां, कभी कभी यह ज़रूर होता है कि किसी विषय विशेष के बारे में यह समझ लिया जाता है कि यह एक राज्य विषय है और इसलिये इस की ओर राज्य का ध्यान दिलाया जाये तो अधिक अच्छा होगा। फिर उस विषय पर बहुत से प्रश्न आ जाते हैं। जब मैं यह देखता हूं कि इस बात के बावजूद भी अमुक विषय का सम्बन्ध किसी राज्य से है, माननीय सदस्यों को इस में अत्यधिक अभिरुचि है, तो मैं यह सोचता हूं कि उन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जा सकता है। यही कारण हो

सकता है कि बाद में उन प्रश्नों में से एक स्वीकार हो गया हो जब कि पहले सब प्रश्न अस्वीकृत कर दिये गये हों । फिर भी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूगा कि इस मामले में किसी प्रकार का भेद-भाव न किया जाय । वैसे हमारा इरादा कभी भी यह नहीं होता कि किसी प्रकार का भेद-भाव किया जाये ।

श्री ए० के० गोपालन : केवल प्रश्नों के सम्बन्ध में ही नहीं वरन अन्य मामलों में भी भेद-भाव बरता जाता है । अभी दो समितियों की नियुक्ति की गई थी--एक 'भ्रष्टाचार विरोधी समिति' और दूसरी रेलों के लिये केन्द्रीय मंत्राणा बोर्ड । जब कि सदन में यह कहा जाता है कि समितियों में सब दलों को लिया जाता है, इन दो समितियों में --विशषकर रेलवे बोर्ड में--इस ओर से किसी को भी नहीं लिया गया । हमारे पास यह विश्वास करने का कारण है कि केवल प्रश्नों के मामले में ही नहीं वरन् अन्य बातों में भी भेद-भाव बरता जाता है । सदन में एक दूसरा प्रश्न पूछा गया था-- यह एक समिति के विषय में था जिसके बारे में कि यह कहा गया था कि यह सदन के सभी दलों का प्रतिनिधित्व करती है जब कि वास्तव में ऐसा नहीं था । इसलिये जहां तक इन प्रश्नों तथा समितियों की नियुक्ति का प्रश्न है, हमें विश्वास है कि भेद-भाव किया जाता है । हम जानना चाहते हैं कि कोई भेद-भाव किया जाता है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल संसद् तथा संसद् सचिवालय की ओर से बोल सकता हूं जिनसे कि मेरा सम्बन्ध है । जहां तक प्रश्नों की ग्राह्यता का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बतला चुका हूं कि किस प्रकार प्रश्न विशेष जो कि प्रारम्भ में बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझे जाते तथा कम ध्यान देने योग्य प्रतीत होते हैं, किन्तु जो बाद को, जब कि रिपोर्ट प्रकाशित होती है तथा अन्य चीजें सामने आती हैं, महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं, उनकी अनुमति दे दी जाती है । जहां तक समितियों का प्रश्न है, मुझे संसद् द्वारा नियुक्त किसी ऐसी समिति के विषय में ज्ञात नहीं है जिसमें इस प्रकार की चीज़ हुई हो । यदि यह सरकार के लिये कहा था, तो निश्चय ही सरकार इस पर ध्यान देगी । मुझ पर किसी समिति का उत्तरदायित्व नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं उन सदस्यों में से नहीं हूं जो बहुधा प्रश्न पूछा करते हैं । किन्तु जब मैंने दो अल्पसूचना प्रश्नों का नोटिस दिया था तो मुझे बतलाया गया कि वे प्रश्न अस्वीकार कर दिये गये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि किस प्रक्रिया द्वारा हम इसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं ? अभी हाल में अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय चल रहे थे । विदेशों में प्रचार किया जा रहा है । सरकार से सही सूचना ज्ञात करने के लिये हम किस प्रकार इस बारे में प्रश्न उठा सकते हैं ? जब ये प्रश्न सरकार के हित में पूछे जाते हैं, तो वे अस्वीकृत कर दिये जाते हैं । किस प्रकार हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सदन में तत्काल उठा सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : संसद् की बैठक तीसरी अगस्त से हो रही है । अब उसे डेढ़ मास हो चुका है । वह अल्प-सूचना प्रश्न २५ दिन पहले पूछा गया था । कोई भी अल्प-सूचना प्रश्न स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है । मंत्री जी को यह कहने का अधिकार है कि "मुझे समय चाहिये" । माननीय सदस्य के पास दीर्घ सूचना प्रश्न पूछने के लिये पर्याप्त समय था और मैंने अवश्य ही उसकी अनुमति दे दी होती । किन्तु अन्य प्रश्नों के लिये माननीय सदस्यों को मंत्रियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है । उनका यथा समय उत्तर दे दिया जायेगा ।

जहां तक प्रथा का प्रश्न है, यदि किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती तो

कई तरीके हैं, संकल्प तथा अन्य चीजें, जिन के द्वारा यह बात प्रकाश में लाई जा सकती है । यदि कोई प्रश्न उत्तर के लिये अत्यन्त आवश्यक समझा जाता है तो सम्बन्धित माननीय सदस्य हमेशा मुझे लिख देते हैं अथवा जबानी बतला देते हैं । यदि वह प्रश्न किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित होता है जिस पर कि माननीय मंत्री सूचना संकलित नहीं कर सकते तो उस आधार पर उस प्रश्न को अस्वीकृत कर दिया जाता है । यह बात नहीं है कि माननीय सदस्य के पास इसका कोई इलाज न हो । किन्तु किसी प्रश्न विशेष के प्राप्त होने पर मंत्री जी की यह धारणा हो सकती है कि जन हित में उसका उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है । हम किसी मंत्री को अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिये मजबूर नहीं कर सकते । माननीय सदस्यों को विदित होना चाहिये कि हो सकता है कि किसी प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति न हो, किन्तु माननीय मंत्री समयाभाव अथवा अन्य कारणों से उसका उत्तर देना ठीक न समझें । ऐसी दशा में कोई भ्रमोत्पादक धारणा बना लेने की आवश्यकता नहीं है । यदि किसी सदस्य को पर्याप्त अवसर नहीं मिलता तो वह सदा ही मेरे पास आ सकता है अथवा मुझे लिख सकता है । मैं अवश्य ही इस मामले को देखूंगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं एक विशिष्ट बात की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक अल्पसूचना प्रश्न का उत्तर देना स्वीकार कर लिया था । मैं आपके पास आया और यह सूचना आपको दी तथा आपने कहा कि आप प्रश्न की अनुमति दे देंगे । किन्तु अभी तक वह प्रश्न सदन के सम्मुख नहीं आया है । क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम कि इस बारे में माननीय सदस्य के पास प्रधान मंत्रीजी से प्राप्त कोई पत्र है या नहीं । किन्तु कभी कभी यह मामला बड़ा जटिल हो जाता है । किसी मंत्री से बातचीत होने पर माननीय सदस्य यह समझ सकते हैं कि मंत्री जी प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे । वह यही धारणा लिये हुए वहां से आते हैं जब कि मंत्री जी को दूसरी ही धारणा होती है । बीच में मैं फंस जाता हूं । अब मैं अगला प्रश्न लूंगा—अल्प-सूचना प्रश्न ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

कलकत्ते के तीन दैनिक पत्रों का प्रकाशन बन्द होना

१०८. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) कलकत्ते के तीन दैनिक पत्रों, नामतः 'टाइम्स आफ इंडिया', 'नव भारत टाइम्स' और 'सतयुग' का १ सितम्बर, १९५३ से यकायक प्रकाशन बन्द कर दिये जाने से जो सहस्रों कर्मचारी बेकसूर बेरोज़गार हो गए हैं उस पर विचार करने के लिए क्या कोई अधिकरण नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या सरकार इस बात के लिये कोई कदम उठा रही है कि इन पत्रों के कर्मचारियों को पुनः अपने काम पर लगा दिया जाए अथवा अधिकरण के निर्णय तक वैकल्पिक रोज़गार दिलाने की बात पर भली भांति विचार किया जाए; और यदि हां, तो क्या ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) : (क) जी हां । उक्त तीनों दैनिकों का प्रकाशन बन्द कर दिये जाने से बेकार हुए लोगों को मुआवजा दिलाने और । अथवा राहत दिलाने और । अथवा अन्य देय राशि का भुगतान करने का मुद्दा पश्चिमी बंगाल सरकार ने न्याय निर्णयन के लिए एक औद्योगिक न्याया-धिकरण को सौंप दिया है ।

(ख) सरकार को इन कर्मचारियों से सहानुभूति है जो एकाएक बेकार हो गए हैं

और उसे आशा है कि वहां के प्रबन्धकगण उन्हें वैकल्पिक रोज़गार दिलाने पर तत्काल तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे । मुझे विश्वास है कि इस मामले पर राज्य सरकार गौर कर रही है ।

श्री एन० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को यह पता है कि इन अखबारों के प्रबन्धकों ने विज्ञापकों को एक परिपत्र में यह लिखा था कि बिजली की कमी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण उन्हें अखबारों का प्रकाशन स्थगन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है ?

श्री वी० वी० गिरी : यह सूचना तो मुझे माननीय सदस्य से ही मिल रही है ।

श्री एन० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि इन कम्पनियों में गत अगस्त मास में कलकत्ते में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई थीं तथा अपनी कार्य-बाही का क्षेत्र विस्तृत करने के लिए छपाई की मशीनों आदि के बड़े-बड़े आर्डर दिए गए थे ? यदि हां, तो इस प्रस्तावित विस्तार के बावजूद भी इन अखबारों का प्रकाशन बन्द कर देने के क्या कारण हैं ?

श्री वी० वी० गिरी : अखबार के मालिकों का यह कहना है कि वे आर्थिक नुकसान पर चल रहे हैं ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को विदित है कि यह सारा घोटाला दो या तीन व्यक्तियों की उच्छृखल महत्वाकांक्षा का परिणाम है जो कि आगामी सामान्य निर्वाचनों से पूर्व जनमत को एक विशिष्ट विचारधारा में प्रवृत्त करने के प्रयोजन से भारतीय प्रेस के समस्त अखबारों पर नियंत्रण करना चाहते हैं ?

श्री वी० वी० गिरी : सूचना बड़ी रोचक है किन्तु मैं इस का उत्तर नहीं दे सकता ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या सरकार को त्रिवेंद्रम में पारित किए गए कार्यकारी पत्र-कारों के संकल्प का पता है जिस में औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन करने की प्रार्थना की गई थी जिस से कि पत्रकार भी श्रमिकों की श्रेणी में समझे जाएं तथा वे सहायता के लिए उपयुक्त न्यायाधिकरण के पास जा सकें ?

श्री वी० वी० गिरी : उस विषय पर सहृदयतापूर्वक विचार किया जा रहा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि जो रुपया इन अखबारों में विनियोजित था वह अब सीमेंट के उत्पादन में लगाया जाएगा क्योंकि इस में लाभ अधिक है ? क्या सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था है जो छंटनी होने से पूर्व सारे मामले की तहकीकात कर सके ?

श्री वी० वी० गिरी : हमें इस पहलू पर कोई सूचना नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि इन में से एक अखबार ने अपना कलकत्ता संस्करण केवल कुछ मास पूर्व ही प्रकाशित करना प्रारम्भ किया था तथा कई सौ कर्म-चारियों को नियुक्त किया था ? क्या सरकार ने अखबार के मालिकों को बतला दिया है कि कर्मचारियों के प्रति उन का इस प्रकार का व्यवहार अत्यन्त निन्दनीय है ?

श्री वी० वी० गिरी : मुझे विश्वास है कि पत्रकार संघ ने पश्चिमी बंगाल सरकार तथा वहां के मुख्य मंत्री से प्रतिनिधान किया है ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को विदित है पश्चिमी बंगाल का श्रम विभाग यह सोचता प्रतीत होता है कि कम से कम जहां तक इन तीनों अखबारों के कुछ कर्म-चारियों का सम्बन्ध है, यह मामला राज्य

सरकार की अपेक्षा भारत सरकार के क्षेत्र में आता है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : प्रत्यक्षतः समस्त मामला अत्यन्त निन्दनीय प्रतीत होता है । यह ऐसी चीज़ है जिस की सामान्यतः पूरी-पूरी जांच होनी चाहिए--यद्यपि यह एक छोटा सा मामला है, चाहे भारत सरकार इसे व्यवहृत करे अथवा पश्चिमी बंगाल सरकार, क्योंकि इस के सम्बन्ध में उन में कोई मतभेद नहीं है ।

हमारी कठिनाई यह है कि जब यह मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है ऐसी दशा में एक प्रकार की प्रतिरोधी जांच प्रारम्भ करना हमारे लिए कठिन है । ठीक-ठीक तथ्यों को जानने के लिये सरकार एक पूरी जांच किया जाना पसन्द करेगी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार यह बात सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाएगी कि, कम से कम इस न्यायाधिकरण के प्रयोजन के लिये, पत्र कार "कमकरों" की परिभाषा के अन्तर्गत आ जाएं जो कि न्यायालय सम्मुख उपस्थित होने के अधिकारी हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मझे विदित है, विधि में परिवर्तन किये बिना ऐसा नहीं किया जा सकता । इस विधि में परिवर्तन करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं किन्तु रातोंरात तो ऐसा नहीं किया जा सकता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : चूंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम पत्रकारों पर लागू नहीं होता और परिणामस्वरूप यह सम्भव है कि वे औद्योगिक न्यायाधिकरण के सम्मुख उपस्थित न हो सकें, क्या उन के विशिष्ट मामले में कोई जांच की जाएगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि अन्य जांच से संघर्ष में आए बिना यह सम्भव हो तो हम अवश्य ही इस पर विचार करेंगे ।

डा० लंका सुन्दरम् : माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य की दृष्टि में क्या मैं जान सकता हूं कि वह इस मामले को प्रेस कमीशन के सुपुर्द करने को तैयार हैं जिस की कि आजकल बैठक हो रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह हम कैसे कर सकते हैं ?

श्री के० के० बसु : क्या सरकार का इरादा वर्तमान जांच को समाप्त कर के एक विशेष जांच कराने का है जैसा कि ट्राम के किरायों की जांच के सम्बन्ध में किया गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं तत्काल इस का उत्तर नहीं दे सकता । यह बहुत कठिन है ।

श्री वी० वी० गिरि : इस प्रश्न पर समुचित रूप से विचार किए बिना इस का उत्तर देना बहुत कठिन है ।

श्री पी० सी० बोस : जैसा कि समाचार है, यदि कम्पनी अपना सारा कारोबार बन्द कर रही है तो यदि जांच के परिणामस्वरूप उसे मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया तो क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई इरादा नहीं है ।

श्री जोकीम अल्वा : क्या श्रम मंत्रालय इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपना मत प्रेस कमीशन के समक्ष रक्खेगा और क्या उस का इरादा काफी अधिकार ग्रहण करने का है जिस से कि कलकत्ते की घटना दिल्ली में आवर्तित न हो ?

श्री वी० वी० गिरी : निश्चय ही इस पहलू पर विचार किया जाएगा ।

श्री ए० के० गोपालन : क्या सरकार को यह विदित है कि जो कर्मचारी बेरोज़गार हो गए थे उन्हों ने राज्य सरकार से यह प्रतिनिधान किया है कि यदि वह उन की सहायता करे तो वे इसे सहकारी आधार पर चलाने को तैयार हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मझे कोई सूचना नहीं है ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार की औद्योगिक कम्पनियां जो अपने कर्मचारियों को जो छंटनी करने का निर्णय देती हैं उनके लाभ हानि के हिसाब के सम्बन्ध में अपनी संतुष्टि करने की कोई प्रक्रिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार को अपने दृष्टिकोण से इस समय वचनबद्ध कराने की क्या आवश्यकता है ? वह इस पर गौर करेगी ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : न्यूजपेपर्स ऐम्प्लाईज़ में जो लोग इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्दर वर्कमेन नहीं कहे जाते हैं और जिनका मामला इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने नहीं है, ऐसे कर्मचारियों के मामले की जांच करा कर उचित कार्रवाही करने में सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि यह वही प्रश्न है जो अभी पूछा जा चुका है । मैं इस पर और अधिक प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा ।

बंकसोमुलिया कोयला खान के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

११९. **श्री विट्ठल राव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बंकसी-मुलिआ कोयला खान के श्रमिक १ सितम्बर, १९५३ से हड़ताल पर हैं ;

(ख) ऐसे श्रमिकों की संख्या क्या है ;

(ग) श्रमिकों की मांगें क्या हैं ;

(घ) श्रमिकों की मांगों के सम्बन्ध में समझौता अधिकारी तथा प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने क्या कार्यवाही की ;

(ङ) क्या १ सितम्बर, १९५३ को पुलिस ने श्रमिकों पर गोली चलाई थी जिसके फलस्वरूप एक श्रमिक की मृत्यु हो गई थी तथा अनेक घायल हो गये थे ; तथा

(च) हड़ताल समाप्त करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां, १ से ७ सितम्बर, १९५३ तक श्रमिक हड़ताल पर थे ।

(ख) लगभग १०,००० ।

(ग) जिन श्रमिकों ने हड़ताल की थी उनकी ज़रूरी मांगें यह थीं :—

(१) निकाले गये श्रमिकों को फिर से रख लिया जाये ।

(२) श्रमिकों के लिये टबों की दरों का निर्धारण ।

(३) श्रमिकों को सताया न जाये ।

(घ) इस झगड़े में समझौता अधिकारी (केन्द्रीय), आसनसोल, ने हस्तक्षेप करके पक्षों के बीच समझौता करा दिया । दिनांक ६ सितम्बर, १९५३ के समझौते की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २९]**

(ङ) पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी क्योंकि लगभग ४००० श्रमिकों की एक भीड़ ने पोनिएटी वर्कशाप में ज़बर्दस्ती काम बन्द कराना चाहा, क्वार्टरों पर हमला किया तथा पुलिस के आदमियों को लाठियों से मारा । गोली चलाये जाने के फ़लस्वरूप एक ट्राम चलाने वाले की मृत्यु हो गई तथा

दो अन्य घायल हो गये। एक पुलिस अधिकारी, तीन पुलिस इन्स्पेक्टर तथा चार पुलिस वाले भी घायल हुये ।

(च) उत्पन्न नहीं होता । जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बतलाया गया है हड़ताल ७ सितम्बर, १९५३ को समाप्त हो गई थी ।

श्री विट्ठल राव: क्या हड़ताल का कारण यह था कि समझौता पंचाट के अन्तर्गत ३६ घन फुट टबों को भरवाने की बजाय श्रमिकों से ४२ घन फुट टबों को भरने के लिये कहा गया था ?

श्री वी० वी० गिरि: मुझे यह ज्ञात नहीं है। फिर भी, दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है ।

श्री विट्ठल राव: क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यदि प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने शीघ्र ही कार्यवाही की होती तो झगड़ा कब का निबट गया होता तथा पुलिस द्वारा गोली चलाने की भी नौबत न आती ?

श्री वी० वी० गिरि: इस विशेष मामले में प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने शीघ्रता से कार्यवाही की ।

श्री विट्ठल राव: क्या कोयला खान श्रमिकों की शिक़ायतों की जांच करने के लिये औद्योगिक अधिकरण बना दिया गया है ? यदि नहीं, तो देर लगने के क्या कारण हैं ?

श्री वी० वी० गिरि: इसके सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय किया जा रहा है तथा यह शीघ्र ही बना दिया जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या यह विशेष कोयला खान, कोयला खानों के उस ब्रिटिश वर्ग की है जो सब से अधिक लाभांश बांटता है, और इस बात के दृष्टिगोचर, यदि सरकार को स्थिति का ज्ञान होता तो क्या श्रमिकों की आर्थिक मांगें पूरी की जा सकती थीं ?

श्री वी० वी० गिरि: सरकार इस मामले में काफ़ी जागरूक थी तथा मैं इस सम्बन्ध में ब्यौरा भी रख सकता हूं ।

उड़ीसा में बाढ़

१२८. श्री संगण्णा: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह मालूम है कि उड़ीसा के दक्षिण में गोदावरी नदी में, पूर्व में सुवर्ण-मुखी नदी में तथा पश्चिम में महानदी में बाढ़ें आ जाने के फलस्वरूप सम्बद्ध प्रदेशों में खेतों में मुख्य फ़स्लों को अपार हानि पहुंची है ?

(ख) क्या सरकार के पास उड़ीसा सरकार ने इस प्रकार की कोई रिपोर्ट भेजी है कि सहायता दी जाये तथा राज्य से बाहर भेजे जाने वाले चावल के कोटे में कमी की जाये ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर "हां" हो तो सरकार इस मामले में क्या करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (डा० पो० एस० देशमुख): (क) तार द्वारा भेजी गई राज्य सरकार की एक रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३०**]

(ख) जी नहीं ।

(ग) मुख्यतः इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकार से है, जो पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

डा० पो० एस० देशमुख: श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को संक्षेप में यहां पढ़ कर सुनाता हूं ।

गोदावरी की सहायक नदियों में बाढ़.—गोदावरी नदी मद्रास में है । उसकी सहायक

नदियों—सबेरी तथा सिलेरी—ने उड़ीसा के कारापुट ज़िले के एक भाग को हानि पहुंचाई है। दो गांव पानी में थे। गांव वालों को राज्य सरकार ने वहां से ठीक समय पर हटा लिया तथा उनके खाने का भी उचित प्रबन्ध कर दिया। अनेक कच्चे घर, पुलिस चौकियां तथा सेवाश्रम स्कूल बह गये। पक्के घरों को भी हानि पहुंची। अनुमान लगाया जाता है कि गैर-सरकारी सम्पत्ति को १०,००० रुपये की हानि पहुंची है। मोटू इन्डस्ट्रीज़ के लगभग सारे इमारती बांस तथा बीड़ी की पत्तियां नष्ट हो गईं। इन्डस्ट्रीज़ के सचिव ने एक लाख रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया है। पीड़ित व्यक्तियों के लिये राज्य सरकार ने डाक्टरी सहायता तथा कीटाणुनाशक पदार्थों का प्रबन्ध कर दिया है तथा साथ ही गांव वालों के लिये अस्थायी झोंपड़ियां भी बना दी हैं। घरों को फिर से बनाने के लिये ५००० रुपये दिये गये हैं तथा ८०० रुपये की नक़द सहायता दी गई हैं। इसके अलावा ३०,००० रुपये के ऋण दिये गये हैं।

सुवर्णरेखा में बाढ़.—सुवर्णरेखा में बाढ़ आ जाने का असर १०,००० एकड़ भूमि में खड़ी फ़स्ल पर पड़ा है। इसका असर ठीक ठीक कितने व्यक्तियों पर हुआ है यह तो पता नहीं। पूर्णतः या अंशतः ६९ कुटुम्बों के मकानों तथा १५ श्रमिक झोंपड़ियों को हानि पहुंची है। मकानों को हानि पहुंचने का प्रभाव ३६८ व्यक्तियों पर पड़ा था। राज्य सरकार ने ३००० रुपये लगा कर रियायती दरों पर चावल बेचने का प्रबन्ध किया है तथा ७ परिवारों को, जिनके लिये रोटी का प्रबन्ध करने वाला कोई पुरुष सदस्य नहीं है, ३०० रुपये लगाकर मुफ्त में चावल देने की व्यवस्था की है। बहुत अधिक पीड़ित व्यक्तियों को तुरन्त सहायता के लिये ४९ रुपये दिये गये थे। तकावी ऋण के रूप में राज्य सरकार ने २४,००० रुपये की मंजूरी दी है।

महानदी में बाढ़.—बालीकुडा पुलिस स्टेशन में गालाधरी के स्थान पर दरार पड़ जाने के फलस्वरूप लगभग ३०० एकड़ में खड़ी फसल पर प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार ने आपातिक व्यय के लिये १,००० रुपये तथा तक़ावी ऋण के रूप में ३०,५०० रुपये की अतिरिक्त राशि देने की मंजूरी दी है। महानदी की शाखाओं से भी हानि होने की सूचना प्राप्त हुई है। राज्य सरकार को अभी तक पूर्ण विस्तार में सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कलेक्टरों द्वारा तुरन्त सहायता तथा ऋण देने को मंजूरी दे दी गई है। खर्च का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

न तो इस मंत्रालय से और न ही वित्त मंत्रालय से बाढ़ सहायता के लिये उड़ीसा सरकार ने किसी प्रकार की प्रार्थना की है।

श्री संगण्णा: उड़ीसा सरकार को जो हानि हुई है क्या सरकार का विचार उसे पूरा करने का हैं?

डा० पी० एस० देशमुख: जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, सहायता का प्रश्न उड़ीसा सरकार द्वारा मांग कर पर ही उठेगा।

श्री संगण्णा: क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सम्पत्ति को भी हानि पहुंची है, तथा यदि "हां" तो क्या उनकी सहायता के लिये सरकार का कुछ राशि देने का विचार है जैसे कि बाढ़ग्रस्त अन्य राज्यों में उन के लिये दी जाती है?

डा० पी० एस० देशमुख: हम ने जो सिद्धान्त स्वीकार कर लिये हैं उन्हीं के अनुसार व्यवहार किया जायेगा।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सौराष्ट्र में मोटे अनाज का मूल्य

*१२८४. **डा० एम० एम० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस उद्देश्य से कि किसानों को उनकी फसल के लिये उचित दाम मिल सकें, मोटे अनाज के न्यूनतम दाम निर्धारित करने का निश्चय करने से पूर्व क्या सौराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया था ;

(ख) क्या मोटे अनाज के न्यूनतम दाम निर्धारित कर दिये गये हैं ; तथा

(ग) यदि हां, तो आस पास के राज्यों के गैर-राशन क्षेत्रों में प्रचलित दामों की तुलना में यह कैसे बैठते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) मोटे अनाज के लिये सौराष्ट्र सरकार द्वारा अब तक कोई न्यूनतम दाम निर्धारित नहीं किये गये हैं। कुछ समय पूर्व जब सौराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया था तो उन्होंने बतलाया था कि इस वर्ष बाजरे की फ़सल बहुत ही अच्छी होने के कारण इस बात की सम्भावना है कि फ़सल कट जाने पर बाजरे के दामों में मन्दी आ जाये। उन को सलाह दी गई थी कि यदि ऐसा होता है तो दामों के बनाये रखने के लिये ९ रुपये ८ आने प्रति मन के हिसाब से बाजरा खरीद लें। सौराष्ट्र सरकार अब भी इस मामले पर विचार कर रही है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे लेखा मार्जन कार्यालय, दिल्ली

*१२९३. **श्री राम जी वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, १९५३ में रेलवे लेखा मार्जन कार्यालय, दिल्ली, के संचालक के कार्यालय का विकेन्द्रीकरण किया गया था ;

(ख) इस कार्यालय के विकेन्द्रीकरण किये जाने के क्या कारण थे ;

(ग) उक्त कार्यालय के कर्मचारियों को काम पर लगाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है; तथा

(घ) उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट कार्यालय के कर्मचारियों की ज्येष्ठता निर्धारित करने के सबन्ध में क्या नियम हैं यदि वे अन्य कार्यालयों में स्थायी रूप से नियुक्त कर दिये जायें ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, दो अवस्थाओं में, अगस्त १९५२ तथा जुलाई, १९५३ में।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३१**]

(ग) ऐसे व्यक्तियों को छोड़ कर जो दोनों रेलों में स्वेच्छा से काम पर लग जाना चाहते हैं, मध्य तथा पश्चिम रेलवे सेक्शनों के कर्मचारियों को अन्त में उत्तर रेलवे में काम पर लगा लिया जायेगा।

(घ) मामला विचाराधीन है।

बीकानेर डिवीजन में रेलों का समय पर न चलना

*१२९४. **श्री पी० एल० बारूपाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बीकानेर व जोधपुर से आने वाली गाड़ी

के यात्रियों को यदि अजमेर या उस से आगे जाना हो तो उन को दिन भर फुलैरा स्टेशन पर ठहरना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन गाड़ियों का समय बदला जा सकता है ; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि पिछले दो महीनों से उत्तरी रेलवे के बीकानेर डिवीज़न में रेल कर्मचारियों की कमी के कारण गाड़ियां ठीक समय पर नहीं चल रही हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां उन यात्रियों को ठहरना पड़ता है जो २०६ आगरा डाउन ऐक्सप्रैस से फुलैरा आते हैं ।

(ख) फुलैरा पर ठीक मिलान देने के लिये गाड़ियों के समयों को १ अक्तूबर, १९५३ से इस प्रकार बदला जा रहा है :

२०६ डाउन फुलैरा आना : ७-२४ बजे ।

२३१ अप फुलैरा जाना : ७-५७ बजे ।

(ग) जी नहीं ।

राजस्थान में टिड्डी नाशक कार्यवाही

*१२९५. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में टिड्डियों से होने वाली क्षति से बचाने के काम में कुल कितने कर्मचारी लगे हुए हैं ;

(ख) इन में से अधिकारी कितने हैं और स्टाफ़ के आदमी कितने ; तथा

(ग) इस काम पर वार्षिक व्यय कितना होता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सेवायुक्त व्यक्तियों की संख्या कोई ८०० के लगभग है, इस में केन्द्रीय सरकार की ओर से राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किया गया राजस्व स्टाफ़ भी सम्मिलित है ।

(ख) अधिकारियों की संख्या ९ है और शेष ७९१ अन्य श्रेणियों के हैं ।

(ग) १९ लाख रुपया ।

मदरास के लिए चावल

*१२९६. **श्री रघुरामय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मदरास सरकार ने भारत सरकार से गोदावरी में बाढ़ आ जाने के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई मांग के कारण और अधिक चावल आवंटित किये जाने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो कितनी परिमात्रा मांगी गई है ; तथा

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) २२,००० टन ।

(ग) भारत सरकार ने यह परिमात्रा देना स्वीकार कर लिया है ।

कलकत्ते से अयस्क का निर्यात

*१२९७. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है जिस से कि वह बिहार तथा उड़ीसा से आने वाले धातु अयस्क की और अधिक परिमात्रा की व्यवस्था कर सके ; तथा

(ख) क्या सरकार उड़ीसा के तट पर किसी स्थान पर एक पत्तन बनाने का विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस

*१२९८. **श्री वाघमारे :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह बात मालूम है कि धनबाद के प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६ के अन्तर्गत 'अखिल भारतीय रेलवे साचविक कर्मचारी संघ' की ओर से नियमों के अनुसार हड़ताल की नोटिस प्राप्त होने के बाद भी औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा २२ (क) के अन्तर्गत समझौता कार्यवाहियां प्रारम्भ नहीं की हैं ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार धनबाद के प्रादेशिक श्रम आयुक्त को औपचारिक समझौता कार्यवाहियां प्रारम्भ कर देने के लिये आवश्यक हिदायतें जारी करने की प्रस्थापना करती है, तथा

(ग) यदि नहीं, तो उस के कारण ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) : (क) और (ख). अखिल भारतीय रेलवे साचविक कर्मचारी संघ, जमालपुर, ने २४ जुलाई, १९५३ को रेल मंत्री को एक हड़ताल नोटिस भेजा था और उसकी एक प्रति प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), धनबाद को भी भेजी थी । नोटिस के प्राप्त होने पर, प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने जमालपुर वर्कशाप का दौरा किया और संघ की मांगों के सम्बन्ध में स्थानीय रेलवे अधिकारियों से चर्चा की । उसने संघ के मंत्री से भी भेंट की और उसे बताया कि संघ की मांगों को रेलवे कर्मचारियों के कष्टों की जांच करने के लिये भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये गये न्यायाधिकरण के समक्ष रखा जा सकता है और साथ ही यह भी बताया कि संघ सब से पहले विभागीय रीति से इन झगड़ों को सुलझाने का प्रयत्न करे ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

रलवे कर्मचारियों की धीमे काम करो हड़ताल

*१२९९. **श्री वाघमारे :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवेज़ के साचविक कर्मचारी अखिल भारतीय रेलवे साचविक कर्मचारी संघ, जमालपुर, के आदेशानुसार अपने वेतन क्रमों के पुनरीक्षण तथा अन्य मांगों के सम्बन्ध में की गई 'धीमे काम करो' हड़ताल को चालू रख रहे हैं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो झगड़े के निपटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

सिंगापुर में भारत जाने वाले यात्री

*१३००. **प्रो० मैथ्यू :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में छपी पी० टी० आई० की इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि भारत, और विशेष रूप से मद्रास आने वाली सैंकड़ों यात्री सिंगापुर में फंस गये हैं और, विशेष रूप से भारतीय सुरक्षा सेनाओं को कोरिया ले जाने के लिये दो जहाज़ों के आज्ञप्त कर लिये जाने के कारण, कम से कम छै सप्ताहों तक उन को यात्रा साधन मिलने की कोई आशा नहीं है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या उस अवधि को जिस में यात्रियों को यात्रा साधन प्राप्त करने के लिये प्रतीक्षा करनी होगी, कम करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किये जाने की प्रस्थापना की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, सरकार ने इस रिपोर्ट को समाचार पत्रों में देखा है ।

(ख) आवश्यक कार्यवाहियां की जा चुकी हैं और आशा है कि १ अक्तूबर तक सिंगापुर से मद्रास तक की नियमित सेवा फिर से चालू कर दी जायेगी ।

पसुमलाई में डाकखाना

*१३०१. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ३० अगस्त, १९५३ की रात में किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने मद्रास राज्य में मदुरा ज़िले के पसुमलाई डाकखाने पर हमला किया था और उक्त डाकखाने से नक़दी तथा डाक के टिकट उठा ले गये थे ?

(ख) यदि ऐसा है, तो सरकार को हुई अनुमानित हानि कितनी है ?

(ग) चोरी होने के कारण क्या थे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डाकखाने पर कोई हमला नहीं किया गया था । ३० अगस्त, १९५३ को चोरी अवश्य हुई थी ।

(ख) ४११ रुपये ६ आने ९ पाई की रक़म के खोये जाने की सूचना मिली है ।

(ग) चोरी, उसकी जांच की जा रही है ।

चिकित्सकीय शिक्षा सम्बन्धी विश्व सम्मेलन

*१३०२. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि 'चिकित्सकीय शिक्षा सम्बन्धी विश्व सम्मेलन' में, जो कि हाल ही में लन्दन में हुआ था, भारत सरकार की ओर से कितने प्रतिनिधि भेजे गये थे ?

(ख) क्या उक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण

*१३०३. **श्री झुनझुनवाला** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थापित किये गये औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरणों की संख्या तथा उन स्थानों के नाम जहां से वह कार्यवाही करते हैं ;

(ख) क्या आसाम राज्य के लिये कार्य करने वाला न्यायाधिकरण कलकत्ता में बैठता है ;

(ग) क्या यह सच है कि आसाम राज्य से तुलनात्मक रूप से अधिक संख्या में मामले आ रहे हैं ; तथा

(घ) क्या न्यायाधिकरण की कोई बैठक गौहाटी में अथवा आसाम के किसी अन्य नगर में करने की कोई प्रस्थापना है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) और (ख). जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, दो न्यायाधिकरण, एक धनबाद में और दूसरा कलकत्ता में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं और केन्द्रीय कार्यक्षेत्र में आने वाले विवाद अधिनिर्णय, के लिये उनके पास भेजे जाते हैं । औद्योगिक विवाद (अपील न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत एक श्रम अपील न्यायाधिकरण, जिसका मुख्य कार्यालय कलकत्ता में है, स्थापित किया गया है, तथा दो दूरस्थ बैंचें देश भर के सभी न्यायाधिकरणों के पंचाटों की अपीलें सुनने के लिये लखनऊ तथा बम्बई में स्थापित की गई हैं ।

(ग) जी नहीं, ३१ अगस्त, १९५३ तक अपीलों की ४९३ की सम्पूर्ण संख्या

में से इस वर्ष केवल २२ अपीलें आसाम से अपील न्यायाधिकरण के समक्ष बायर की गई हैं ।

(घ) यह ज्ञात हुआ है कि अपील न्यायाधिकरण की मुख्य कार्यालय स्थित बैंच जितनी जल्दी सम्भव हो सका, आसाम में किसी उपयुक्त स्थान पर अपनी बैठक करने की प्रस्थापना करती है ।

खाद्य सहायता

*१३०४. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार सरकार ने उत्तरी बिहार के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में खाद्यान्नों की बिक्री के लिये कोई सहायता दिये जाने की मांग की है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या निश्चय किया है ;

(ग) क्या चालू वर्ष १९५३ में किसी अन्य राज्य सरकार की ओर से भी खाद्य सहायता दिये जाने की मांग की गई है ; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो उन राज्य सरकारों के नाम तथा उन की मांग के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का निर्णय ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख). सहायता के लिये कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं । बाढ़ पीड़ितों क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर बेचे गये खाद्यान्नों के कारण हुई हानि में से हिस्सा बंटाने के सम्बन्ध में एक आवेदन बिहार सरकार से प्राप्त हुआ था और वह विचाराधीन है ।

(ग) और (घ). जी हां । पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बम्बई, मैसूर तथा त्रावनकोर-कोचीन राज्यों की इच्छा थी कि केन्द्रीय सरकार उन को दिये गये आयातित खाद्यान्नों के लिये कुछ आर्थिक साहाय्य दे । त्रावणकोर-कोचीन की प्रार्थना के अतिरिक्त, अन्य सभी की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई है ।

'एस० एस० चन्द्रावती' में घटना

*१३०५. **श्री एम० डी० जोशी** : (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ महीने पहले पश्चिमी तट पर मालवान के निकट बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के सवारी स्टीमर "एस० एस० चन्द्रावती" के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात सरकार को विदित है ?

(ख) दुर्घटना के समय जहाज़ पर कितने यात्री सवार थे ?

(ग) क्या कोई मृत्यु हुई थी ?

(घ) जहाज़ को कुल कितनी हानि पहुंची ?

(ङ) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच करने का निश्चय किया है ?

(च) क्या यह सच है कि मालवान बन्दरगाह का द्वार पथरीला और जहाज़ों के प्रवेश के लिये खतरनाक है ?

(छ) क्या यह सच है कि वहां पर जहाज़ को प्रवेश का ठीक-ठीक रास्ता बताने के लिये प्रकाश-स्तम्भ सम्बन्धी पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किया गया है ?

(ज) यदि सच है, तो मालवान बन्दरगाह में जहाज़ों के सुरक्षापूर्वक आने जाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) १९२ ।

(ग) कोई मृत्यु नहीं हुई ।

(घ) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) भारतीय व्यापारिक नौवहन अधिनियम, १९२३ की धारा २४७ के अनुसार दुर्घटना के कारणों की एक प्रारम्भिक जांच की जा चुकी है, और जांच के प्रतिवेदन का परीक्षण हो रहा है ।

(च) बन्दरगाह का प्रवेशद्वार निःसन्देह पथरीला है, पर अच्छे मौसम में जहाजों के प्रवेश के लिये इसे खतरनाक नहीं कहा जा सकता । बरसात के दिनों में बन्दरगाह बन्द रहता है ।

(छ) तथा (ज). दुर्घटना ने अतिरिक्त प्रकाश का उपबन्ध करने और विद्यमान प्रकाश व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता सुस्पष्ट कर दी है । इसके लिये योजना बनाई जा रही है, किन्तु चूंकि बन्दरगाह छोटा सा है और प्रकाश स्थानीय प्रकाश होगा, इसलिये इस कार्य के निष्पादन का वित्तीय उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा ।

कलकत्ता बंदरगाह प्रन्यास

*१३०७. **पंडित लिंगराज मिश्र** : (क) क्या **यातायात मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कलकत्ता और विशाखापटनम से निर्यात होने वाले खनिज अयस्कों का तीन-चौथाई से अधिक उड़ीसा राज्य से आता है ?

(ख) क्या कलकत्ता बन्दरगाह प्रन्यास के आयुक्त वर्ग में उड़ीसा वाणिज्य मण्डल का एक प्रतिनिधि रखे जाने के प्रयोजन से सरकार के पास यह अभ्यावेदन भेजा गया है कि वह कलकत्ता बन्दरगाह प्रन्यास अधिनियम, १८९० के नियम ५ और ६ के अधीन कार्यवाही करे ?

(ग) क्या अभ्यावेदन पर विचार किया गया है और कुछ निर्णय किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) यह सच है कि कलकत्ता और विशाखापटनम् से अयस्क के निर्यात का अधिकांश प्रतिशतक उड़ीसा से ही जाता है ।

(ख) हां ।

(ग) अभ्यावेदन विचाराधीन है ।

उदयपुर-बांसवाड़ा टेलीफोन लाइन

*१३०८. **श्री भीखाभाई** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उदयपुर और बांसवाड़ा के बीच की टेलीफ़ोन लाइन का पुनर्व्यवस्थापन कार्य कब शुरू किया जायगा ।

(ख) अब तक पुनर्व्यवस्थापन कार्य में देर क्यों हुई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) उदयपुर और डूंगरपुर के बीच की लाइन का पुनर्व्यवस्थापन कार्य इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक शुरू कर दिया जायगा । बांसवाड़ा तक लाइन ले जाने की योजना का परीक्षण हो रहा है ।

(ख) स्वीकृति देने से पहले सम्बन्धित योजनाओं के वित्तीय प्रभावों पर पूरा विचार करना होता है ।

उत्तरी बिहार में बाढ़

*१३०९. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** बिहार में बाढ़ के बारे में ३ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये अल्पसूचना प्रश्न संख्या ५ का निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार के सहायता सम्बन्धी आवेदन पर विचार हो चुका है और उस विषय में निर्णय किया जा चुका है ; तथा

(ख) तत्काल सहायता के लिये क्या अब तक कुछ प्रबन्ध किये गये हैं और यदि हां, तो क्या ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) बिहार सरकार का आवेदन अभी विचाराधीन है ।

(ख) ३ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ के उत्तर में ही सदन को बता दिया गया था कि राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल सहायता देने के लिये क्या प्रबन्ध किये हैं ?

गंगा पुल परियोजना

*१३१०. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे कि क्या बिहार में मोकामेह में बनने वाले गंगा पुल की परियोजना की सविवरण प्रविधिक योजनाओं और प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

(ख) क्या कार्य निष्पादन के लिये कोई संगठन बना दिया गया है और उसमें व्यक्ति रख लिये गये हैं ?

(ग) यदि हां, तो उस संगठन का स्वरूप और ढांचा क्या है ?

(घ) इसमें अन्तर्ग्रस्त कुल प्राक्कलित व्यय—परियोजना के महत्वपूर्ण भागों के पृथक् पृथक् आंकड़े बताते हुए—कितना है ?

(ङ) इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अधिकांश योजनायें तैयार हैं, पर प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।

(ख) केन्द्रीभूत संगठन खड़ा किया जा चुका है और शेष भी क्रमशः बनता जा रहा है ।

(ग) से (ङ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३२]

उदयपुर में रेलवे प्रशिक्षण स्कूल

६५८. **श्री बलवन्त सिंह महता** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मुख्य इंजीनियर पश्चिमी रेलवे को उदयपुर में एक रेलवे प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने के सम्बन्ध में जांच करके रिपोर्ट देने के लिये वहां भेजा गया था ?

(ख) यदि सच है, तो उन्होंने किस स्थान का सुझाव दिया था और किस कारण ?

(ग) प्रस्तावित इमारत पर कितना धन व्यय होने की आशा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) मुख्य इन्जीनियर, पश्चिमी रेलवे ने फतहपुर की सिफ़ारिश की थी, क्योंकि वह स्थान सर्वाधिक उपयुक्त था । सुधार प्रन्यास ने घरेलू तथा बगीचे में काम आने के लिये पर्याप्त पानी देने का वचन दिया था और वह प्रस्तावित बस्ती के किनारे अन्तर्भूमि मल-निःसरण प्रणाली बनाने को भी तयार था ।

(ग) स्कूल की इमारत, क्वार्टरों तथा सहायक निर्माण कार्यों की लागत लगभग ६७.५ लाख रुपये है और ज़मीन की ७ लाख रुपये ।

रेलवे लाइनों में दरार

६५९. **श्री राम दास** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जालंधर छावनी और होशियारपुर शहर के बीच वाली रेलवे लाइन में गत तीन वर्षों में वर्षा के कारण कितनी बार दरारें हुईं थीं ;

(ख) क्या ये दरारें प्रति वर्ष उसी स्थान पर हुईं थीं ; तथा

(ग) सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). एक बार १९५१ में और एक बार १९५३ में । दोनों बार एक ही स्थान पर एक दरार हुई थी । १९५२ में कोई दरार नहीं हुई ।

(ग) इस शाखा पर रेल पथ के किनारे के संरक्षण का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग

६६०. **श्री राम दास** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब राज्य के राष्ट्रीय राज मार्गों के नाम क्या हैं ;

(ख) उनमें से किस किस पर बरसात में यातायात में बाधा पड़ती है ; तथा

(ग) सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३३]**

(ग) कई पुलों के निर्माण के लिये प्राक्कलन स्वीकृत किये गये हैं, और उन पर काम हो रहा है । कुछ और पुलों के प्राक्कलनों को या तो तयार किया जा रहा है या उन पर विचार हो रहा है ।

मंडी के टेलीफोन विभाग का कर्मचारीवर्ग

६६१. **श्री गोपी राम** : (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मंडी और सुन्दरनगर (हिमाचल प्रदेश) के टेलीफोन विभाग का समग्र कर्मचारीवर्ग विभाग के एकीकरण के बाद केन्द्रीय भारतीय डाक तथा तार विभाग में खपा दिया गया है ?

(ख) क्या यह सच है कि कर्मचारी अभी विलयन से पहले के राज्य वाले ही वेतन ले रहे हैं ?

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में कर्मचारियों के वेतन प्रमापों का पुनरीक्षण करना चाहती है ?

(घ) क्या यह सच है कि विलयन से पूर्व कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन स्थायी सेवा में थे, और अब वे काम के अनुसार वेतन पाने वाले (वर्क चार्ज्ड) कर्मचारियों की श्रेणी में गिने जा रहे हैं ।

(ङ) यदि सच है, तो क्यों ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां ।

(ख) उनके वेतन केन्द्रीय वेतन प्रमापों में निश्चित करने के लिये आदेश निकाल दिये गये हैं ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न के पूर्वार्द्ध के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है । उत्तरार्द्ध का उत्तर नकारात्मक है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

टास्क वर्क संदेशवाहक

६६२. **श्री रामानन्द दास** : (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ज्येष्ठ टास्क वर्क संदेशवाहकों को, जो ५० रुपये प्रति मास निर्वाह-भत्ते की एकीकृत राशि और टास्क वर्क सम्बन्धी आय प्राप्त करते हैं, जमादार की श्रेणी में पदोन्नति होने पर १५-२० रुपये मासिक की हानि उठानी पड़ती है ?

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार

इस अनियमितता को दूर करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करना चाहती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां । पर होने वाली हानि १० रुपये मासिक से अधिक नहीं होती, क्योंकि जमादार के प्रमाप का न्यूनतम वेतन ४० रुपये है ।

(ख) यह बात पहले से ही सरकार के विचाराधीन है ।

मुन्शी-मारकर्स

६६३. **श्री रामानन्द दास** : क्या **संचरण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि तारघरों में मुन्शी-मारकरों का दर्जा चौथे से तीसरा कर दिया गया है ?

(ख) क्या यह दर्जे की उन्नति सब तारघरों में समानरूप से की गई है ?

(ग) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

अभ्रक की खानों में काम करने वाले संघ

६६४. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **श्रम** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार के क्षेत्र की अभ्रक की खानों में काम करने वाल संघों की संख्या व उनके नाम क्या हैं ?

(ख) प्रत्येक संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है ?

(ग) केन्द्रीय अभ्रक परामर्शदात्री समिति तथा केन्द्रीय श्रम परामर्शदाता बोर्ड में उनका प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है ?

(घ) उपरोक्त दोनों बोर्डों में या किसी एक बोर्ड में कौन कौन से संघों के प्रतिनिधि हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) : (क) दो ; अभ्रक श्रमिक संघ तथा अभ्रक मज़दूर संघ ।

(ख) सूचना प्राप्य नहीं है ।

(ग) केन्द्रीय अभ्रक परामर्शदात्री समिति में किसी अभ्रक मज़दूर संघ के प्रतिनिधि नहीं रक्खे गये हैं ।

केन्द्रीय श्रम परामर्शदाता बोर्ड जैसी कोई संस्था काम नहीं कर रही है । न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत एक केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड बनाया गया है । प्रत्येक अनुसूचित वृत्ति के सम्बन्ध में, जिसमें अभ्रक के कारखानों की वृत्तियां भी सम्मिलित हैं, इस बोर्ड के लिये किये जाने वाले नाम निर्देशन, राज्य सरकारों के परामर्श से किये जाते हैं ।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

पटसन की कृषि

६६५. **श्री वी० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में बिहार राज्य में कितने एकड़ भूमि में पटसन की कृषि हुई है और अनुमानतः उत्पादन कितना होगा ?

(ख) प्रति एकड़ उत्पादन व्यय कितना होता है ।

(ग) कोसी, बलान तथा गंडक नदियों में बाढ़ आने के कारण इस वर्ष पटसन के बह जाने से अनुमानतः कितनी क्षति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) बिहार राज्य में (सँविलीन प्रदेशों को अपवर्जित करते हुए) १९५३-५४ में **पटसन के अखिल भारतीय प्रथम प्राक्कलन**

के अनुसार पटसन का कृषि क्षेत्र ३,३०,००० एकड़ है । १९५३-५४ के बिहार के पटसन के प्राक्कलित उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं । क्योंकि ऐसे आंकड़े पटसन के अखिल भारतीय अन्तिम प्राक्कलन में सम्मिलित किये जाते हैं जिसके प्रकाशित होने की तिथि ७ नवम्बर, १९५३ है ।

(ख) पटसन के उत्पादन की लागत जैसा खेत हो और जिस प्रकार की पटसन हो उसके अनुसार भिन्न भिन्न होती है । भारत की केन्द्रीय पटसन समिति ने बिहार राज्य के पुर्निया केन्द्र के कुछ आंकड़े एकत्रित किए हैं जिन से प्रकट होता है कि १९५२ में पटसन के उत्पादन की औसत लागत लगभग १७ रुपये १४ आने प्रति मन थी । १९५३ के आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं ।

(ग) अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

बीकानेर शहर में टेलीफोन

६६६. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **संचरण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि क्या बीकानेर शहर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि डेढ़ लाख की जनसंख्या के शहर में केवल एक सार्वजनिक टेलीफ़ोन केन्द्र है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : आजकल बीकानेर में निम्नलिखित स्थानों पर चार सार्वजनिक टेलीफ़ोन केन्द्र कार्य कर रहे हैं :

(१) विभागीय टेलीग्राफ़ कार्यालय, बीकानेर—२४ घण्टे खुला रहता है ।

(२) रेलवे स्टेशन—बीकानेर—२४ घण्टे खुला रहता है ।

(३) शहर का डाकखाना, बीकानेर—१० बजे सुबह से ५ बजे शाम तक खुला रहता है (बन्द होने पर निर्धारित विलम्ब शुल्क देकर काल बुक किये जा सकते हैं) ।

(४) गंगाशहर—१० बजे सुबह से ५ बजे शाम तक (बन्द होने पर निर्धारित विलम्ब शुल्क देने पर काल बुक किये जा सकते हैं) ।

भीमसार डाकखाना (बीकानेर) में एक और सार्वजनिक टेलीफ़ोन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ।

रेलवे कार्यालय, कलकत्ता

६६७. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **रेल मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में '३, कोयलाघाट स्ट्रीट' पर स्थित रेलवे कार्यालय के कर्मचारियों को रेलों के पुनर्वर्गीकरण के समय यह आश्वासन दिया गया था कि उन का स्थानान्तरण बिना उन की इच्छा के नहीं किया जायगा ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या तब से ऐसे आश्वासन के विपरीत कोई स्थानान्तरण किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पुनर्वर्गीकरण के समय, यह आश्वासन दिया गया था कि कलकत्ते का कोई भी अद्योषित कर्मचारी जब तक कि वह ऐसे स्थानान्तरण की इच्छा प्रकट न करे, गोरखपुर या दिल्ली स्थानान्तरित न किया जायगा ।

(ख) नहीं, श्रीमान्,

पशु

६६८. **पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि भारत में पशु सुधार के लिये केन्द्रीय सरकार ने, राज्यों को अनुदान

देकर, या स्वयं १५ अगस्त, १९४७ से ३१ मार्च १९४८ तक, तथा, १९४८-४९ से लेकर १९५१-५२ के वित्तीय वर्षों में, कितना धन व्यय किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :

वर्ष	व्यय की गई या संमोदित धन राशि
१९४७-४८ (१५-८-४७—३१-३-४८)	३०,२०,३४४
१९४८-४९	५२,४०,०६३
१९४९-५०	३९,३४,९९९
१९५०-५१	३५,९०,३२०
१९५१-५२	५०,८१,७२४

गोड्डा के लिए डाक ले जाना

६६९. **श्री भागवत झा :** क्या **संचरण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सन्थाल ज़िले के एक पर्गना मुख्यालय, गोड्डा, की डाक डुम्का हो कर ले जायी जाती है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या यह सच है कि इस कारण डाक पहुंचने में कई घण्टे का विलम्ब हो जाता है ?

(ग) क्या यह सच है कि गोड्डा बार एसोसियेशन तथा अन्य संस्थाओं ने पटना के प्रधान डाक-नियंत्रक को, कई बार, गिरीडीह से डाक, सीधे गोड्डा ले जाने के लिये लिखा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) हां ।

(ख) गोड्डा की दूसरे स्थानों से आने वाली डाक से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये १२ घण्टे का निलम्बन हो जाता है । इस विलम्ब को दूर करने के आदेश दिये गये हैं ।

(ग) एक शिक़ायत श्री भागवत झा, आज़ाद संसद् सदस्य से तथा दूसरी गोड्डा की जनता से प्राप्त हुई है । गोड्डा बार एसोसियेशन की कोई शिक़ायत नहीं आई है ।

राजपूताना मरुभूमि

६७०. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजपूताना मरुभूमि के आगे बढ़ने की गति को पूर्णतयः रोकनें के लिये अपेक्षित समय का कोई प्राक्कलन किया गया है ?

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली कुल धन राशि कितनी है ?

खाद्य तथा कृषिमंत्री (श्री किदवई) : (क) सूचना प्राप्य नहीं है ।

(ख) १९५२-५३ में ७०,००० रुपया । १९५३-५४ का आय-व्ययक आगणन ४ लाख रुपया है । इस आयव्ययक आगणन के स्थान पर होने वाले वास्तविक व्यय की धन राशि अभी तक प्राप्य नहीं हुई है ।

इलाहाबाद के टेलीप्रिंटर कनक्शनों का यथास्थापन

६७१. **सरदार ए० एस० सहगल :** क्या **संचरण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहबाद के टेलीप्रिंटर कनेक्शन, २३ अगस्त, १९५३ के तूफ़ान में टूट जाने के पश्चात्, यथास्थापित किये जा चुके हैं ?

(ख) क्या दूर संचार सुविधाओं के साथ-साथ इलाहबाद की अन्य सभी लाइनें यथास्थापित की जा चुकी हैं ?

(ग) इस क्षति के कारण होने वाली हानि का प्राक्कलन क्या था ?

(घ) इन सब संचार के साधनों को यथास्थापित करने में कितना समय लगा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) लगभग ६,००० रुपया ।

(घ) संचार की प्रधान लाइनों के यथास्थापन में १६ से ले कर २४ खण्टे तक तथा स्थानीय टेलीफ़ून लाइनों के यथास्थापन में एक से पांच दिन तक का समय लगा है ।

ग्रामों में मनी आर्डरों का देर से भुगतान

६७२. **श्री जांगड़े** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न प्रयोगात्मक ग्रामीण डाकखानों में मनीआर्डरों के क़ाग़ज़ पहुंच जाने पर भी डाक विभाग के लेखा कार्यालय अथवा उप-कार्यालय लगभग १५ दिनों तक मनी आर्डरों की रक़म नहीं भेजते हैं ?

(ख) यदि 'हां' तो इसके क्या कारण हैं ।

(ग) क्या यह सच है कि तार मनी-आर्डरों की रक़म भी दस दिन तक नहीं मिलती ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान २५-७-५२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५४२ के खण्ड (ख) के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(ख) तथा (ग). ग्रामों में स्थित डाकखानों द्वारा भुगताये जाने वाले साधारण तथा तार के मनीआर्डर अपने अपने लेखा कार्यालयों द्वारा भेजे जाते हैं जो साधारणतयः ऐसे मनीआर्डरों की निष्कृति के लिये अपेक्षित रक़म भी भेज देते हैं । कभी कभी निम्नलिखित कारणों से मनी आर्डरों के साथ रक़म नहीं भेजी जाती है :—

(१) जब बहुत से शाखा डाकघर एक ही हरकारे की लाइन में होते हैं और जब उस लाइन पर स्थित सब डाकघरों को भेजी जाने वाली रक़म निर्धारित सीमा से अधिक होती है तो प्रत्येक डाकखाने को भेजी जाने वाली रक़म कम करनी पड़ती है । ऐसी दशा में भी निष्क्रति के लिये भेजी जाने वाली अपेक्षित रक़म का शेष भाग, जल्दी से जल्दी विभागीय अधिकारियों द्वारा भेज दिया जाता है ।

(२) कभी कभी मनीआर्डरों का भुगतान इस लिये निलम्बित हो जाता है कि यह एक नियम है कि अतिरिक्त विभागीय डेलिवरी एजेन्टों को निर्धारित सीमा से अधिक रक़म न दी जाय ।

हरकारों द्वारा डाक भेजने के स्थान पर मोटरों द्वारा डाक भेजने का प्रबन्ध करने के उपाय किये गये हैं क्योंकि मोटरों द्वारा अधिक रक़म भेजी जा सकेगी । नक़द रक़म संभरण करने के लिये और अधिक विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं जिससे निलम्बन को घटाया जा सके ।

रेलगाड़ियों में भीड़ की अधिकता

६७३. **श्री हेडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व बरसी छोटी लाइन पर भीड़ की अधिकता को कम करने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सामान्यतः मेलों के अवसरों के अतिरिक्त बरसी छोटी लाइन पर अधिक भीड़ नहीं रहती है । ऐसे अवसरों पर भीड़ में कमी करने के लिये यात्रियों के उपयोग

के लिये विशेष डिब्बों की व्यवस्था की जाती है। इस रेल को १ जनवरी, १९५४ से सरकार अपने हाथ में ले रही है, जब कि तृतीय श्रेणी के अतिरिक्त डिब्बे इस रेल पर उपयोग के लिये उपलब्ध हो सकेंगे ।

स्टेशनों पर या रेलगाड़ियों में खाने पीने की चीजें बेचने के ठेके

६७४. **श्री गिडवानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स वल्लभदास ईश्वर दास बहुत सी रेलों के विभिन्न स्टेशनों पर टी स्टालों, उपाहार गृहों, मद्यपान गृहों तथा भोजन गाड़ियों आदि के ठेके लेते हैं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो ऐसे स्टेशनों की संख्या तथा उन रेलों के नाम क्या हैं जहां माल बेचने के ठेके उन्होंने लिये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) केन्द्रीय रेलवे.—चाय तथा भोजन स्टाल, ९ स्टेशनों पर, उपाहार गृह ६ स्टेशनों पर, मद्यपान गाड़ियां बम्बई-पूना मेल तथा बम्बई-पूना एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ, तथा उपाहार गाड़ी देहली और बलहरशाह के बीच ग्राण्ड ट्रंक एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ हैं ।

पूर्वी रेलवे.—चाय तथा मिठाई के स्टाल ८८ स्टेशनों पर, चाय गृह १ स्टेशन पर, उपाहार गृह १८ स्टेशनों पर तथा भारतीय ढंग की भोजन गाड़ी हावड़ा और मुगलसराय के बीच तूफान एक्सप्रेस पर हैं ।

उत्तर रेलवे.—चाय, मिठाई तथा प्लेटफार्म पर माल बेचने का ठेका १० स्टेशनों पर, उपाहार गृह ८ स्टेशनों पर तथा भारतीय ढंग की भोजन गाड़ी मुगलसराय से देहली के बीच तूफान एक्सप्रेस पर हैं ।

बनस्पति तेल के कारखाने

६७५. **श्री जांगड़े :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७, १९४८, १९४९, १९५०, १९५१ तथा १९५२ के वर्षों में वनस्पति तेल के कारखानों की कितनी संख्या थी और १९५३ में कितनी है ?

(ख) उक्त वर्षों में वनस्पति तेल का प्रति सेर, प्रति मन अथवा प्रति टन क्या भाव रहा है ?

(ग) इन वर्षों में इन कारखानों में वनस्पति तेलों में रंग डालने के लिये कौन कौन से और कितने प्रयोग किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :

(क)

वर्ष	कारखानों की संख्या
१९४७	२४
१९४८	२७
१९४९	४२
१९५०	४५
१९५१	४६
१९५२	४९
१९५३	४९

(ख)

वर्ष	बम्बई में प्रति टन का औसत मूल्य रुपये
१९४७	१८५५
१९४८	२०६५
१९४९	२२०५
१९५०	२४१५
१९५१	२५१४
१९५२	२०८३
१९५३ (जून १९५३ तक)	२३२७

(ग) कुछ नहीं ।

पटना से जयनगर को एक्सप्रेस गाड़ी

६७३. **श्री एस० एन० दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि पटना से दरभंगा जाने वाले यात्री को उत्तर पूर्वी रेलवे की यात्री गाड़ी से कम से कम लगभग नौ घंटे समय लगता है, जब कि यह फ़ासला सौ मील से अधिक नहीं है ;

(ख) इस दूरी को तय करने में इतना अधिक समय लगने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या रेलवे के इस क्षेत्र पर पटना से जयनगर के लिये एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की व्यवस्था का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि ऐसा है, तो इस प्रस्ताव को कब से कार्य रूप में परिणत किया जायगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पटना (महेन्द्रघाट) तथा दरभंगा के बीच गाड़ी या स्टीमर से लगने वाला न्यूनतम समय ८ घण्टे २५ मिनट है ।

(ख) पटना (महेन्द्रघाट) तथा दरभंगा के बीच यात्रा में वर्तमान में ८ घंटे २५ मिनट समय लगने के मुख्य कारण निम्नं हैं :—

(१) पटना के लिये समस्तीपुर पर आवश्यक कनेक्शनों को जारी रखना ।

(२) यात्रियों की सुविधा के लिये सभी स्टेशनों पर गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था करना ।

(३) दरभंगा-समस्तीपुर क्षेत्र पर बड़े बड़े यात्री गाड़ियों के चलाने पर निर्बन्धन ।

(४) सोनपुर तथा पलेज़ाघाट के बीच घाट क्षेत्र के ऊपर धीमी गति ।

(५) पलेज़ाघाट पर उतर कर नदी को बाहर ले जाने वाले स्टीमर द्वारा पार करना ।

१-१०-५३ से किसी प्रकार आशा की
ाट) से दरभंगा के बीच कुल यात्रा समय में एक घंटा पच्चीस मिनट की कमी हो जायगी ।

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस

६७७. **श्री जांगड़े :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नागपुर से होकर जाने वाली बम्बई से हावड़ा तक एक जनता एक्सप्रेस और डोंगरगढ़ से रायगढ़ तक एक लोकल गाड़ी चलाना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) सन् १९४७ से १९५३ तक नागपुर-कलकत्ता लाइन पर कितनी जनता एक्सप्रेस यात्री गाड़ियां अथवा लोकल गाड़ियां कहां से कहां तक पुनः चालू की गई या नई चलाई गईं ?

(ग) क्या अभी तक हावड़ा-नागपुर जनता गाड़ी के लिये डिब्बे, इंजन तथा कोचेज़ उपलब्ध नहीं हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, जब काफ़ी डिब्बे तथा इंजन इस कार्य के लिये उपलब्ध हो जायेंगे ।

(ख) नागपुर-हावड़ा लाइन पर १९४७ से १९५३ तक प्रति दिन २९० अतिरिक्त रेल मील तक निम्न गाड़ियां पुनः चलाई गई, चालू की गईं, अथवा बढ़ाई गई थीं :—

(१) खड़गपुर तथा चक्रधरपुर के बीच दोनों ओर से एक लाइट पार्सल शटल गाड़ी चलाई गई है ।

(२) नागपुर तथा कम्पटी के बीच दोनों ओर से एक लोकल गाड़ी तथा आमगांव से गोंडिया तक एक लोकल गाड़ी पुनः चलाई गई है ।

(३) एक नागपुर-गोंडिया लोकल गाड़ी आमगांव तक बढ़ा दी गई है ।

(ग) वे अभी तक उपलब्ध नहीं हैं ।

उत्तरी बिहार को मालगाड़ी के डब्बों की पूर्ति

६७८. **श्री झलन सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जैसा सामान्य स्थिति सुधरने के सम्बन्ध में बताया गया है, उत्तरी बिहार को मालगाड़ी के डिब्बों की पूर्ति में काफ़ी सुधार हो गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : उत्तर पूर्वी रेलवे में चालू माल गाड़ी के डिब्बों की पूर्ति की स्थिति में मांग को पूरा करने के सम्बन्ध में काफ़ी सुधार नहीं हुआ है । जहां तक बड़ी लाइन से उत्तरी बिहार को सवारियों के आने जाने का प्रश्न है, उसके लिये गंगा नदी के पार जाने के लिये मुकामेह घाट, मनिहारी घाट, सकरी गली घाट, तथा भागलपुर में नावों का प्रबन्ध है किन्तु मन्डुआडिह में पार जाने के साधन अभी सीमित ही हैं ।

धूम्रपान पर प्रतिबन्ध

६७९. **प्रो० डो० सो० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री उन राज्यों के नाम बताने की कृपा करेंगी जिन्होंने किशोरों द्वारा धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने के विषय में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित कर दिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रखी जायगी ।

दरभंगा रेल स्टेशन पर प्रतीक्षालय

६८०. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि उत्तर पूर्वी रेलवे के दरभंगा स्टेशन पर वर्तमान प्रतीक्षालय में ठहरने की जगह की कमी के कारण उच्च श्रेणी के यात्रियों को कठिनाई उठानी पड़ती है ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि वहां एक नया प्रतीक्षालय बनवाया गया था ; किन्तु उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी तक उच्च श्रेणी के यात्रियों को स्थानाभाव के कारण हुई असुविधा के सम्बन्ध में कोई भी शिक़ायत नहीं प्राप्त है ।

(ख) नहीं । नए प्रतीक्षालय का अब उपयोग किया जाने लगा है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लक्ष्मीपुर हाट हाल्ट

६८१. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पूर्वी रेलवे की बेहरवा लूप लाइन पर लक्ष्मीपुरहाट हाल्ट को तोड़ देने के प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्यावेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है; तथा

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया गया है कि इस हाल्ट से लाभ उठाने वाले ४४ ग्रामवासियों के अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल के उस क्षेत्र के सभी अफ़सरों ने हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन के रूप में परिवर्तित कर देने की प्रार्थना का भी समर्थन किया है ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) किये गये अभ्यावेदनों पर सरकार पहले से ही विचार कर रही हैं ।

(ख) बहुत से लोगों द्वारा हस्ताक्षर किये गये अभ्यावेदन, पश्चिमी बंगाल के

मुख्य मंत्री के सचिव तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के शरणार्थी पुनर्वास आयुक्त द्वारा, रेल प्रशासन के पास पुरःप्रेषित कर दिये गये थे ।

रेल कर्मचारियों का स्थायीकरण

६८२. **श्री पुन्नूस:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में सब रेल के अस्थायी कर्मचारियों की संख्या जिन्हें स्थायी किया गया ;

(ख) इनमें से केन्द्रीय रेलवे के भूतपूर्व उत्तर-दक्षिण रेल क्षेत्र के लोगों की संख्या ; तथा

(ग) क्या पिछले वर्ष ५,००० कर्मचारियों को प्रति माह स्थायी करने का सरकार का आश्वासन रेल मण्डल ने कार्यान्वित कर दिया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) १९५२-५३ में भूतपूर्व इंडियन गवर्नमेंट रेलवेज़ (भूतपूर्व राज्य रेलवेज़ को छोड़ कर) के ९४८२ अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया था । भूतपूर्व इंडियन स्टेट्स रेलवेज़ के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) १३७२, किन्तु यह संख्या भाग (क) के उत्तर में दी गई संख्या में सम्मिलित नहीं है ।

(ग) १९५२-५३ में रेलवे पूर्व-निश्चित लक्ष्य के अनुसार ५,००० कर्मचारियों को प्रतिमास स्थायी करने के सम्बन्ध में अधिकाधिक अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बना रही है । किन्तु वास्तव में स्थायी किये गये कर्मचारियों की संख्या ५,००० प्रति मास से कम है जिसका प्रमुख कारण यह है कि १९४९ में स्थायीकरण से प्रतिबन्ध हटा लेने के पश्चात् यथासम्भव स्थायीकरण हो चुका था तथा न्यायनिर्णायक के पंचाट को कार्यान्वित किया गया था । वर्तमान में प्रारम्भिक श्रेणी में भर्ती के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों में स्थायीकरण पुनर्वर्गीकृत रेलों के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की संयुक्त ज्येष्ठता सूची का निर्णय न हो सकने के कारण रुका हुआ है ।

GIPD—HS—431PSD—23-2-54—285

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
१५ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, १५ सितम्बर, १९९३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९.४३ म० पू०

संपदा शुल्क विधेयक—समाप्त

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें संपदा शुल्क के संशोधित रूप पर आगे विचार करना चाहिए। विधेयक के तृतीय वाचन पर नौ सदस्य बोल चुके हैं। यह गत रात्रि को ही समाप्त हो जाना चाहिये था किंतु अभी अनेक सदस्य इस पर बोलने के इच्छुक हैं। क्या माननीय सदस्य अपने भाषणों को संक्षिप्त करेंगे ?

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली): श्रीमान्, वित्त मंत्री ने जिस भांति इस कठिन विधेयक को पार लगाया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संसद के इतिहास में यह सबसे अधिक जटिल और कठिन विधेयक है वैधानिक व्यवस्था के माध्यम से जिस शांति

तथा निपुणता के साथ यह व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी। वह श्लाघनीय है।

हमें इस बात का खेद है कि वित्त मंत्री ने अपील अधिकरण स्थापित करने की हमारी युक्ति को स्वीकार नहीं किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह शीघ्र ही अपनी भूल को अनुभव करेंगे। नियन्त्रक को अपरिमित अधिकार दिये जाने की स्थिति में किसी स्वतंत्र अधिकरण की नितांत आवश्यकता थी।

दूसरा खेद इस बात का है कि वित्त मंत्री ने हमारे सुझाव को स्वीकार नहीं किया कि शुल्क का भुगतान वस्तु के रूप में किया जाय। इंगलैंड में ऐसा करने की अनुमति है। करदाता और राजस्व दोनों की दृष्टि से यह अपेक्षणीय है। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री शीघ्र ही यह अनुभव करेंगे कि इस तरह का उपबन्ध आवश्यक है।

छूट का सीमित क्षेत्र, रहने के मकानों पर शुल्क में छूट न देना और शेयरों के हस्तांतरण पर निर्बन्धन भी खेद के विषय हैं। खंड ८० के उप-खंड (२) में शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित उपबन्धों के गंभीर प्रभाव की ओर मैं निर्देश करता हूं। मान लीजिये एक व्यक्ति कुछ शेयरहस्तांतरित करताहैउदाहरणार्थ, वह टाटा के एक हज़ार शेयरों को एक लाख रुपये में 'क' को देता है और दो वर्षों बाद 'क' किसी बैंक में जाकर व्यापार के लिये अग्रिम रुपया मांगता है, स्वभावतः बैंक कहेगा :

[श्री एन० सी० चटर्जी]

"अपना नाम समवाय की पुस्तकों में लिखाइये और तभी हम तुम्हें आवश्यक रूपया दे सकते हैं।" वह व्यक्ति समवाय के पास पहुंचेगा और प्रस्तुत अधिनियम गंभीरतापूर्वक कहेगा : 'क' को इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके हस्तांतरण करने वाले की संपदा की ओर से संपूर्ण संपदा शुल्क का भुगतान कर दिया है। यह एक असाधारण आदेश है जिसका अर्थ है कि एक जीवित व्यक्ति जिसने शेयरों को प्राप्त कर लिया है उसे हस्तांतरण के परिणामों के उपभोग से बंचित किया जा रहा है ? यह उचित नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : यह सिद्ध करना पर्याप्त है कि उसने मूल्य दिया है।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं जानता हूं कि निर्देशक के समक्ष यह जताना पड़ता है किंतु यथार्थ व्यवहार में निर्देशकों का व्यवहार विचित्र होता है। इसे समाप्त कर देना चाहिये। हमें आश्वासन दिया गया है कि सरकारी श्रेष्टि-चत्वरों ने इसका अनुमोदन किया है।

इसमें एक प्रसन्नता की बात भी है। देश के लाखों मनुष्य जिन के पास स्वर्अर्जित संपदा है और जो मिताक्षरा विधि से शासित हैं उन्हें भी इस थोड़ी करमुक्ति से लाभ होगा। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वयोवृद्ध और अनुभवी व्यक्ति पागलों की भांति बातें कर रहे हैं। संसद में इस तरह की चर्चा उचित नहीं है। पंडित ठाकुर दास भार्गव के इस कथन से मैं आश्चर्यान्वित हो गया कि वित्त मंत्री ने संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध कार्य किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। समानता का यह अर्थ नहीं है कि वर्गीकरण न होना चाहिये। समानता का सिद्धांत अमरीका से ग्रहण किया गया है। अमरीका के उच्चतम न्यायालय ने बार-बार इस बात को दोहराया है कि विधिगत मौलिक समता का तात्पर्य है विधि की समान सुरक्षा किंतु उस में यह अर्थ कदापि नहीं है कि वर्गीकरण होना ही न चाहिये वर्गीकरण बुद्धिपूर्वक और युक्ति संगत होना चाहिये।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : उच्चतम न्यायालय ने भी वर्गीकरण के सिद्धांत को स्वीकार किया है।

श्री एन० सी० चटर्जी : उदाहरण के लिये मिताक्षरा, पिता और पांच पुत्रों सहित एक संयुक्त परिवार है। इस परिवार के पास तीन लाख रुपये की संपत्ति है। यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो संपदा कुछ भी शुल्क नहीं देगी। किंतु दायभाग हिंदू अथवा ईसाई की स्थिति में और पिता और पांच पुत्रों तथा तीन लाख रुपयों की संपत्ति को दशा में यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो संपदा को २३,००० रुपये देने पड़ेंगे। मंत्री महोदय ने जो कुछ किया है वह विषमता दूर करने के लिये ही किया है। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने जो कुछ किया है वह अनुचित है किंतु प्रस्तुत विषय से उसका संबंध अवश्य है। यह अनुचित नहीं है। कोई यह नही कह रहा है कि "क्योंकि तुम एक विशेष धर्म के अनुयायी हो अतः तुम पर कर का अधिक भार लादा जा रहा है।"

हमें खेद है कि अनुसूची में निम्न स्तर खंड स्वीकृत नहीं किया गया। मेरा विश्वास है कि निम्न स्तर-खंड में पांच प्रतिशत कम कर दिया जायगा। बढ़े हुए संपदा शुल्क ने इंगलैंड में पिछले कुछ वर्षों में अनेक संपदाओं पर बुरा प्रभाव डाला है। पूंजी और समवायों के निर्माण में इसने किसी सीमा तक अवरोध उत्पन्न कर दिया है। मुझे भय है कि कहीं भारत में भी ऐसा न हो जाय। पंच वर्षीय योजना के सबंध में हम बहुत अंशों तक गैर-सरकारी

उद्योगों पर निर्भर हैं। हम ने सोचा कि कुछ ऐसे संरक्षण जारी किये जाने चाहिये जिन से पूंजी निर्माण के लिये सरल स्थिति हो सके।

फिर धर्मार्थ न्यास आदि के विषय में कुछ और बातें हैं। हमारी आशा है कि समय सीमा नहीं होनी चाहिये। हम आशा करते हैं कि आस्ट्रेलिया के परिनियम की भांति धार्मिक संस्था को दिया गया दान–कानूनी अवधि के अतिरिक्त–पूर्णतया करमुक्त होना चाहिये।

भावी विधान व्यवस्था के संबंध में मैं वित्त मंत्री से एक बात और कहना चाहूंगा। नवीन साहसपूर्ण धन्दों में पूंजी विनियोग को कर से मुक्त रखना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो इस देश में पूंजी का विकास कुण्ठित न होगा। पाकिस्तान तथा अन्य देशों में ऐसा किया गया है। वित्त मंत्री से इतना और कहने की मेरी इच्छा है कि वर्तमान में जो दरें निश्चित की गई हैं उन में कुछ ऐसा स्थायित्व होना चाहिये। वित्त मंत्री ने कहा कि इसे परिवर्तन करने की कोई मंशा नहीं है। उन्हें यह कहना चाहिये कि कम से कम १० या १५ वर्षों तक यही विधि रहेगी। संसद् को किसी समय किसी भी विधि में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। किंतु यदि वर्तमान वित्त मंत्री घोषणा कर दें तो यह मानते हुए कि सरकारी प्रशासन में एक तारतम्य रहता है। हम यह कह सकते हैं कि भविष्य के वित्त मंत्री, भले ही वह कोई महानुभाव हों, इस घोषणा पर अवश्य ध्यान देते और देश असुरक्षा की भावना से त्रस्त नहीं रहता। मेरे माननीय मित्र श्री गाडगील ने कहा कि संसद के सदस्यों को अविलम्ब यह संपदा शुल्क विधेयक स्वीकृत कर देना चाहिये, उन्हें शीघ्र ही प्राणों का विसर्जन कर संपदा शुल्क की अदायगी करते हुए स्वर्ग का अधिकारी बनना चाहिये। हम शीघ्र मरेंगे, शुल्क की अदायगी करेंगे और स्वर्ग में जायेंगे। किंतु प्रश्न यह है कि क्या हमें श्री गाडगील वहां मिलेंगे ?

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : सबसे पहिले मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं जिन्होंने इतनी योग्यता से इस विधेयक को प्रस्तुत किया है और आगे बढ़ाया है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि यद्यपि इस विधेयक के सिलसिले में बहुत से सुझाव रखे गये, परन्तु माननीय मंत्री जी ने उन में से बहुत थोड़े से संशोधनों को ही माना है। मैंने भी थोड़े से सुझाव रखे थे और उन में से कुछ के मान लिये जाने पर मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

इस अवसर पर मैं एक बात की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। विधेयक के कई खंडों की भाषा इतनी कठिन व जटिल है कि आम लोगों के लिये उसका समझना बहुत मुश्किल है। मैं यह चाहता हूं कि इस विधेयक को क्रियान्वित करने वाले अधिकारी उसी भावना से लागू करें जिस भावना से सदन ने इसे स्वीकार किया है। माननीय मंत्री ने कहा था कि विधेयक की भाषा इसलिये कुछ टेढ़ी मेढ़ी है क्योंकि लोगों के कर से बचने के तरीके भी टेढ़े-मेढ़े होते हैं। मैं उनकी कठिनाइयों को समझता हूं, फिर भी मैं यह चाहता था कि इसकी भाषा अधिक सरल रखी जाये। खैर, अब विधेयक के तीसरे वाचन के अवसर पर मैं इतना ही चाहूंगा कि कम से कम इसके द्वारा लोगों को तंग या परेशान न किया जाये। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री कर देने वाले लोगों की सुविधा के लिये व्याख्यात्मक पुस्तिकायें आदि छपवाने की व्यवस्था करेंगे ताकि वे लोग समझ सकें कि यह कानून किस तरह लागू होगा और उसके क्या क्या प्रभाव होंगे।

दूसरे वाचन के समय मैं ने कहा था कि ऐसी संपदाओं के बारे में हमारे सामने काफ़ी कठिनाइयां आयेंगी जो कि क़ानून के अन्दर आने से थोड़ा ही बच जाती हैं। उन संपदाओं के बारे में भी कठिनाइयां आयेंगी जो छूट

[श्री तुलसीदास]

की सीमा के अन्दर आती हैं। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की संपतियों के लिये बहुत सरल सी प्रक्रिया होनी चाहिये ताकि लोगों में यह संदेह न रहे कि उन्हें अपनी संपत्तियों के संबंध में हमेशा कठिनाई होती रहेगी। माननीय मंत्री ने कहा था कि उन्हें मध्य वर्ग के लोगों की संपत्ति से ही सब से अधिक आय होने की आशा है क्योंकि अधिकतर संपत्तियां मध्यवर्ग की ही होंगी। मैं यहां सिर्फ इतना कहूंगा कि इसी वर्ग के लोगों को वित्त मंत्री की सहानुभूति की सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि इन संपत्तियों के बारे में प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाये।

नियंत्रित कम्पनियों के बारे में मैं ने पिछले अवसर पर अपने विचार प्रगट किये थे परन्तु मुझे खेद है कि उस समय वित्त मंत्री मौजूद नहीं थे। मैं एक बात फिर दोहराना चाहता हूं कि नियंत्रित कम्पनियों के बारे में विधेयक में जो खंड रखे गये हैं वे बहुत जटिल हैं। इंगलैंड के अधिनियम की, जिसकी यहां नक़ल की गई है, कुछ धाराओं को इस विधेयक में पूरी तरह नहीं अपनाया गया है। इसके स्थान पर केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा नियम बनाने के अधिकार की व्यवस्था की गई है। मैं आशा करता हूं कि कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद, इंग्लैंड के अधिनियम की वे धारायें भी इसमें शामिल कर ली जायेंगी।

अब मैं नये उपक्रमों के बारे में कुछ कहूंगा। मुझे मालूम है कि जब यह प्रश्न उठा था तो माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि गैर-सरकारी उद्योगों को बहुत काफ़ी रियायतें दी जा चुकी हैं। आगे चल कर उन्होंने कहा था कि चूंकि यह विधेयक एक स्थायी क़ानून का रूप ग्रहण करेगा इसलिये वह इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करना चाहते जो अस्थाई महत्व की हो या जिससे केवल कुछ समय के लिये ही औद्योगिक विकास में उन्नति हो। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि परिस्थितियां आगे चल कर बदल जायें और फिर यह अफसोस हो कि जितना औद्योगिक विकास हुआ है उससे सरकारी क्षेत्र पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। यदि सरकार की यही नीति है तो उसे स्पष्ट कर देना चाहिये कि वह गैर-सरकारी क्षेत्र को अपना कर्त्तव्य निभाने देना चाहती है या नहीं। वित्त मंत्री का वक्तव्य योजना आयोग के उद्देश्यों से बिल्कुल विपरीत है। योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र पर कुछ ज़िम्मेदारी डाली गई हैं। और इसलिये मैं समझता हूं यह कहना अनुचित होगा कि गैर-सरकारी क्षेत्र को कोई सहायता देने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को बहुत सी रियायतें दी जा चुकी हैं परन्तु उसने कुछ करके नहीं दिखाया। मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय ने इस बात को कहना क्यों आवश्यक समझा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते हैं कि गैर-सरकारी उपक्रम तब ही फल-फूल सकते हैं जब कि उनके लिये अनुकूल परिस्थितियां पैदा की जायें। इसके बावजूद भी, ग़ैर-सरकारी उपक्रमों ने पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित उत्पादन-लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। यदि मंत्री महोदय का अभिप्राय यह है कि देश में नये उपक्रम हाथ में नहीं लिये गये हैं तो मैं कहूंगा कि इसका कारण, जसा कि वह स्वयं भी जानते हैं, यह है कि देश में पूंजी उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से मेरा कहना है कि सरकार को चाहिये कि, जब तक वर्त्तमान परिस्थितियां चलती रहें, वह नये उपक्रमों के साथ विशेष व्यवहार करती रहे।

अभी हाल ही में एक परिषद् में बेकारी की समस्या पर बोलते हुए वाणिज्य मंत्री ने.....

श्री सी० भट (भड़ौच) : माननीय सदस्य फिर ग़ैर-सरकारी व सरकारी क्षेत्र तथा योजना आयोग पर बहस कर रहे हैं।

श्री तुलसीदास : मैं केवल वही कहना चाहता हूं जो कि वाणिज्य मंत्री ने बेकारी पर वाद-विवाद के उत्तर में कहा था उन्होंने स्वयं कहा है कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में अधिक पूंजी विनियोग की आवश्यकता है। मैं यह भी चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस बात को स्मरण रखें कि यह एक नया विधान है और लोगों को इसे समझना चाहिये। उन्हें सरल भाषा में आसान तरीके से इस विधेयक के उपबन्ध समझाने चाहिए ताकि वे जान सकें कि यह विधेयक क्या है।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि इस समय वित्त मंत्री को बधाई देना मेरा कर्त्तव्य है। वास्तव में इस क़ानून का बनना एक बहुत बड़ी घटना है। किन्तु मैं स्पष्ट शब्दों में यह कह देना चाहता हूं कि जहां तक दरों और छूट की सीमा का संबंध है, इस पक्ष में बहुत असंतोष है। आर्थिक स्थिति ऐसी है कि सरकार को अधिकाधिक रुपये की आवश्यकता पड़ेगी और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये वित्त मंत्री को एक अन्य विधेयक द्वारा छूट की सीमा को घटाना पड़ेगा और करों की दरों को बढ़ाना पड़ेगा। मेरे विचार में यदि वित्त मंत्री छूट की सीमा को ७५,००० रुपये से १०,००,००० तक बढ़ाने की अपेक्षा दर को घटा देते तो स्थिति संतोषजनक हो जाती और असमानता दूर हो जाती। इस लिये मेरा निवेदन है कि जहां तक इस कानून के प्रशासन का संबंध है, वित्त मंत्री को बहुत सावधान रहना पड़ेगा।

अब मैं स्थापना के विषय को लेता हूं एक पत्र में, जो कि हम में परिचालित किया गया है, बतलाया गया है कि मुख्य कार्यालय में चार उच्च पदाधिकारियों को प्रतिवर्ष ७५,००० रुपये वेतन दिया जायगा और अन्य २३ पदाधिकारियों को प्रतिवर्ष ५२,००० रुपये वेतन मिलेगा। श्रेणी ४ के कर्मचारियों पर ७००० रुपये व्यय होंगे। मेरा निवेदन है कि इस कानून से हमें बहुत अधिक आय होने की आशा तो है नहीं, क्योंकि धनवान लोग कर देने से बचने के लिए हर कोशिश करेंगे। अतः आय कम होने और प्रशासन व्यय अधिक होने से राज्य के खज़ानों को कोई अधिक लाभ नहीं होगा। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि उन्होंने इन पदाधिकारियों के लिये जो वेतन श्रेणियां निश्चित की हैं, उन्हें कम करके उस स्तर पर लाया जाये, जो कि हमारे ग़रीब देश के सामर्थ्य से बाहर न हो।

जैसा कि एक कांग्रेस के सदस्य न कहा है, कोई व्यक्ति आय-कर अधिकारी को नाराज़ करने का साहस नहीं कर सकता। यह इसलिये है कि क्योंकि उसके हाथ में शक्ति होती है। किंतु नियन्त्रक और बोर्ड के पास तो इस से अधिक शक्ति होगी।

सम्पदा शुल्क से बचने के लिये धनी लोग नियंत्रक अधिकारियों से मिल कर अपनी सम्पत्ति के मूल्य को कम से कम लगाए जाने का प्रत्येक प्रयत्न करेंगे। यदि ऐसा करने से भी वे विमोचन सीमा तक न आ सके तो वे सम्पत्ति को दर के निचले क्रम तक ले आने का प्रयत्न करेंगे।

वास्तव में इन सब तरीकों का पहले से ही अनुसरण हो रहा है। मैं इन का वर्णन केवल इस कारण कर रहा हूं कि वित्त मंत्री भविष्य में कोई कार्यवाही करते समय बहुत सावधानता से काम लें।

इस सम्बन्ध में मैं श्री गाडगील का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ग़रीबों

[श्री एस० एस० मोरे]

के प्रति इतनी सहानुभूति दिखाई है। बोझ अधिकांश में ग़रीबों पर ही है तथा हमें इसे अवश्य ही हल्का करना है। यह उस समय तक नहीं हो सकता जब तक आप धनियों पर उन की पूरी समर्थता के अनुसार कर न लगाएं। अन्यथा ग़रीबों को यह बोझ सहते रहना होगा तथा इस देश में कभी आर्थिक समता नहीं हो सकेगी। इस का परिणाम यह होगा कि आम जनता कभी न कभी विद्रोह करेगी तथा वह अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा नहीं करती रहेगी। यह सर्वथा स्पष्ट है।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : मुझे खेद है कि और सदस्यों की भांति मैं माननीय मंत्री को बधाई नहीं दे सकता। हम ने इस देश में देखा है कि अधिक उत्पादन के होते हुए भी बेकारी दिन प्रति दिन बढ़ती ही गई है। सरकार के इस दावे के बावजूद भी खाद्य का उत्पादन बढ़ गया है तथा और आयात की आवश्यकता नहीं, हमारे लोग भूख से व्यथित हैं। यदि माननीय मंत्री अनुभव करते कि मुख्य सिद्धान्त यह है कि धन समृद्धि की असमता को दूर किया जाय तथा राष्ट्रीय समृद्धि के विकास के लिये उन लोगों पर बोझ डाला जाय जो इस के सहने के योग्य हैं तो मैं भी उन्हें बधाई देता। हमारे संविधान में भी यही व्यवस्था है। अतएव इस या किसी भी और विधान को इस प्रकार का बनाया जाना चाहिये जिस से देश के अधिक से अधिक लोगों को अधिकाधिक लाभ पहुंचे। निहित स्वार्थों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री स्वतंत्रता से पहले कई बार कह चुके हैं कि निहित स्वार्थों को समाप्त किये बिना स्वतंत्रता नाम की स्वतंत्रता ही होगी। हमारे वित्त मंत्री ने भी अभी कल ही कहा है कि ऐसे समाज के बनने में कई वर्ष लग जायेंगे जिस में सम्पदा शुल्क की आवश्यकता नहीं रहेगी।

हमारे देश में दो महत्वपूर्ण प्रकार के निहित स्वार्थ ह एक तो सामन्तवादी तथा दूसरे विदेशी निहित स्वार्थ। एक ओर तो हमारी भूखी नंगी जनता है तथा दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जिनके पास असीम धन है। अतएव हमें इस बात की अच्छी प्रकार से छान बीन करनी है कि किसी विधान विशेष से इन निहित स्वार्थों के समाप्त करने में कितनी सहायता मिलती है। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था का यह एक विचित्र पहलू है कि लोग धन एकत्र करने की धुन में रहते हैं, परन्तु उसे उत्पादन के काम में नहीं लाते। इस का परिणाम यह है कि राष्ट्रीय समृद्धि में कोई वृद्धि नहीं हो पाती। मेरा कहना है कि वित्त मंत्री ने क्रमबद्ध प्रणाली के निश्चित करते समय ऐसे लोगों को ध्यान में नहीं रखा। उन्हों ने इन के प्रति कुछ नरमी का व्यवहार किया है। हम जानते हैं कि जिस अन्तिम रूप में इस विधेयक को पारित किया जायगा, उस से उन लोगों को बहुत ही रियायत मिलेगी जिन्हों ने असीम धन को गुप्त रूप से एकत्र कर रखा है।

ग्रेट ब्रिटेन में 'शीघ्र उत्तराधिकार' को केवल भूमि तथा व्यापार तक सीमित रखा गया है। मूल विधेयक में व्यवस्था यही थी, परन्तु अब इसे प्रत्येक कार की सम्पत्ति पर लागू कर दिया गया है। यदि सरकार सच मुच ही राष्ट्रीय धन दौलत को बढ़ाना चाहती है तो इस के लिए उसे तत्परता से काम करना होगा। हमारे देश में बड़े बड़े ज़मींदार तथा उद्योगपति हैं जो सोने के बर्तनों में खाना खाते हैं तथा चित्रों के चौखटे सोने के बनवाते हैं। सरकार को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जिस से धन को इन अनावश्यक वस्तुओं पर व्यय होने से बचा कर इस का राष्ट्रीय विकास में प्रयोग किया जा सके।

अब मैं कुछ शब्द विदेशी निहित स्वार्थों के बारे में कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में

मैं आप के सामने कलकत्ता एलेक्ट्रक सप्लाई कम्पनी का उदाहरण रखना चाहता हूं । यह कम्पनी इंग्लैंड में निगमित है तथा भारतीयों के इस में ५ लाख रुपये के 'शेयर' हैं । जहां भारतीय शेयरों पर कोई ५२,००० रुपये का शुल्क देना होगा, वहां ब्रिटिश जनता के शेयरों पर ३७,००० रु० ही शुल्क रूप से देना होगा । जब कि सारा लाभ भारत में ही कमाया जाता है । दुर्भाग्य से हम कानून के अन्तर्गत उसे नहीं छू सकते ।

हम चाहते हैं कि अधिक धन के प्राप्त करने में माननीय मंत्री के सामने राष्ट्रीय विकास का आदर्श हो तथा केवल राजस्व को बढ़ाने का ही नहीं । अभी कल ही रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि हमें अधिक से अधिक विदेशी पूंजी का स्वागत करना चाहिये तथा इस के लिए लाभ के स्थानान्तरण पर कोई रोक नहीं रहनी चाहिये । मुझे खेद है कि माननीय वित्त मंत्री का विदेशी पूंजी के प्रति कुछ नरम बर्त्ताव है । इस सम्बन्ध में मैं विदेशियों के हमारे विभिन्न राज्यों में निहित स्वार्थों की चर्चा करना चाहता हूं । खण्ड २० में हम ने विदेशी हितों पर करारोपण सम्बन्धी एक उपखण्ड रखा है ।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जहां तक दोहरे करारोपण का सम्बन्ध है, हम ब्रिटेन के सामने झुक गए हैं । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के १९५३ के परिपत्र संख्या ८९८ में कहा गया है कि अभी तक इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के साथ बातचीत पूरी नहीं की गई । इसलिए यह निश्चय किया गया है कि कर संग्रह में और देरी न की जाय बल्कि १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्षों के लिए ५० प्रतिशत छूट, धारा ४९० के अधीन दी जाय । उस में यह भी कहा गया है कि १९५२-५३ के लिए संशोधित धारा ४९ घ के अधीन १०० प्रतिशत छूट दी जाय ।

पिछले चार वर्षों में राष्ट्र मण्डल के इतने सम्मेलनों में हमारे प्रतिनिधि गए हैं । हमारे वित्त मंत्री तथा अन्य विशेषज्ञों ने इस सम्बन्ध में बातचीत की ही होगी । परन्तु ब्रिटेन इस सम्बन्ध में कोई भी रियायत देने के लिये तैयार नहीं है ।

वित्त मंत्री का कहना है कि ५ या ६ लाख रुपये के मूल्य की सम्पत्ति वालों से उन्हें अधिक कर मिलने की आशा है । परन्तु हम ब्रिटेन के ७५ वर्ष के अनुभव से लाभ नहीं उठा रहे हैं जहां भेंट या न्यास के संबंध में विमुक्ति का काल दो से बढ़ा कर पांच वर्ष कर दिया गया है । हम कहते हैं कि हमारे देश के लिए यह नया कानून है और हम यह अवधि दो वर्ष ही रखना चाहते हैं । पहले पहल यह विधेयक १९४६ में रखा गया था । जो लोग इस कर से बचना चाहते हैं उन्हें चेतावनी मिल चुकी है । हमें आशा थी कि वित्त मंत्री ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि इस कर से बचा न जा सके ।

काका साहिब की पुस्तक में मैं ने पढ़ा कि १९४८ में अर्थ शास्त्र के वेत्ताओं ने यह सुझाव दिया था कि अधिक आय वालों पर कर की दर अधिक होनी चाहिये । परन्तु यह सुझाव माना नहीं गया । वित्त मंत्री कहते हैं कि इस में प्रशासन सम्बन्धी कठिनाई है । मैं पूछता हूं कि कठिनाई क्या है ? आय-कर विभाग में बड़े अनुभवी अधिकारी हैं । मैं यह भी सुन रहा हूं कि उन्हें इस प्रकार के विधान तथा उस की कार्यान्विति के अध्ययन के लिए बाहर भेजना चाहिये । वित्त मंत्री को चाहिए कि इन अधिकारियों को इस काम के लिये इंगलैण्ड, अमरीका, आस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैंड भेजें ।

वित्त मंत्री ने परिसीमन सम्बन्धी उपबंध भी इस में ठीक नहीं रखे हैं । उन्होंने ६० वर्ष के स्थान में १२ वर्ष की अवधि रहने दी है ।

[श्री के० के० बसु]

वित्त मंत्री को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि मध्यवर्ग के लोग केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के हाथों तंग न आ जायें। और जो भी धन इकट्ठा हो वह राष्ट्र के कल्याण के लिये लगाया जाय।

प्रो० अग्रवाल (वर्धा) : इस अवसर पर, जब कि इस विधेयक के सम्बन्ध में हमारा काम समाप्त प्राय है, वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। इस विधेयक का लाभ धन के अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत होगा।

जिन लोगों पर इस विधेयक का प्रभाव पड़ेगा उन से मैं यह कहना चाहता हूं कि अब हमारे लोगों की जीवित रहने की अतीव उत्कंठा होगी। मैं आशा करता हूं कि वे समाज के कल्याण के लिए जियेंगे न कि उस के शोषण के लिए।

मैं सदन को फिर इस बा ं याद दिलाना चाहता हूं कि यह विधेयक उतना क्रान्तिकारी नहीं जितना कि इसे समझा जा रहा है। संसार के सभी देशों में यह कानून था और भारत में भी बहुत पहले ऐसा कानून बन जाना चाहिये था। इस के बाद और भी ऐसे ही कानून बनने चाहिएं। मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने कम्पनी विधि संशोधन विधेयक भी रखा है।

मेरा विचार है कि दायभाग परिवारों के लिए एक लाख की जो विमुक्ति परिसीमा रखी गई है उसे अमीरों के लिए रियायत नहीं समझना चाहिये बल्कि वह तो मध्यवर्ग के लिए एक रियायत है कई माननीय सदस्यों ने मकान, बीमा आदि के लिए विमुक्ति दिये जाने के लिये कहा है। मेरा विचार है कि पहले ही कई विमुक्तियां दी जा चुकी हैं और हमें और विमुक्तियां नहीं मांगनी चाहियें। उन का कहना है कि लोगों को अपना एक स्तर बनाना पड़ता है, और प्रतिष्ठा रखनी पड़ती है। परन्तु जब तक धनी और निर्धन के बीच इतना बड़ा अन्तर है, प्रतिष्ठा आदि की बात करना बेकार है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि हम सब ऐसा वातावरण बनाएंगे जिस से रक्तहीन क्रान्ति हो सके।

इस देश में प्रति व्यक्ति की आय केवल २५५ रुपये के लगभग है ! अतः इतने निर्धन देश में एक लाख रुपये की छूट सामान्य बात नहीं है। और अधिक रियायत मांगना लाखों देशवासियों के हित में उचित नहीं होगा। श्रीमान, मुझे विभिन्न व्यापार संघों के इन संकल्पों को देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि दर बहुत अधिक है। मैं समझता हूं कि दर बिल्कुल साधारण है। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह आशा थी कि दर अधिक नहीं तो कम से कम ५० प्रतिशत तो होगी ही। अतः मेरा देश के सब धनियों से यह अनुरोध है कि वे इस विधेयक को अपना मित्र समझें क्योंकि सरकार शांति पूर्वक और लोक-तंत्रात्मक तथा संवैधानिक ढंग से आर्थिक और समाजिक समानता लाने का प्रयत्न करके देश और धनियों दोनों की भलाई कर रही है। अब आर्थिक विषमताओं को दूर करने का समय आ गया है। यदि हम देश में लोकतंत्र को स्थायी बनाना चाहते हैं, यदि हम वस्तुतः लोकतंत्रात्मक रीति से सामाजिक और आर्थिक क्रांति लाना चाहते हैं तो ऐसे विधान अधिकाधिक बनने चाहिए और हमें इस में हृदय से सरकार का हाथ बटाना चाहिए।

सरकारी अधिकारियों को बड़ी ईमानदारी और कार्यकुशलता से इस को लागु करना चाहिए। अधिकारियों को किसी को तंग

नहीं करना चाहिए । अत : मैं पुनः सद्भावना और सहयोग पूर्ण वातावरण बनाने का अनुरोध करूंगा जिस से आर्थिक सनानता और आर्थिक क्रांति को प्रोत्साहान मिलेगा और कड़वाहट नहीं पैदा होगी ।

मैं इस विधेयक को एक अनुरोध और एक चुनौती समझता हूं । यह धनियों से एक अनुरोध है कि वे स्वेच्छा से अपने धन का त्याग कर दें । हमें यह एक चुनौती है कि यदि हम अब भी धनी और निर्धन के बीच की इस खाई को पाटने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो यह स्वर्ण अवसर हमारे हाथ से निकल जायेगा ।

मुझे आशा है कि इस विधेयक से देश में एक रचनात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण उत्पन्न होगा ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"अब वादविवाद समाप्त किया जाये । "

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह कि :

"अब वाद विवाद समाप्त किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान् इतने कठिन परिश्रम के पश्चात् मैं वाद-विवाद की समाप्ति पर पहुंचा हूं । श्रीमान् गत सांयकाल तक इस विधेयक की विभिन्न अवस्थाओं में चर्चा पर सदन के इक्यानवे घंटे लग चुके हैं और इस में हमें आज का डेढ़ घंटा और जोड़ना है । इस के अतिरिक्त प्रवर समिति की इक्कीस बैठकों और इस विधेयक में रुचि रखने वाले सदस्यों की मेरे और मेरे सहयोगियों के साथ तथा परस्पर अनौपचारिक चर्चा में न मालूम कितना समय लगा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रवर समिति में कितने दिन लगे थे ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान् इक्कीस बैठकें ।

जब यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया था तो इस में ७४ खंड थे; अब ८५ हैं। अब इस में ८५ खैड हैं और उस के बाद से यह लग भग ५० प्रतिशत बढ़ गया है । कुल ७५६ संशोधनों की पूर्व सूचना दी गई थी जिन में से ३८७ वस्तुतः प्रस्तुत की गई थीं । ५२ संशोधन स्वीकार किये गये हैं । इन में से केवल ३२ संशोधनों द्वारा विधेयक में सारभूत परिवर्तन किये गये हैं और इन में १७ संशोधन रियायतों के रूप में हैं । शेष संशोधनों में से १० प्रारूपण के सम्बन्ध में हैं ७ परीणामिक और तीन मुद्रण की अशुद्धियों को ठीक करने के लिय हैं । मैंने ये आंकड़े इस लिये बताये हैं क्योंकि मैंने यह आलोचना कहीं देखी थी कि मूल विधेयक का प्रारूपण करने वालों ने बहुत ध्यान से काम नहीं किया श्रीमान् मैं इस बात को अनुभव करता हूं कि यदि हमारे पास और समय होता तो हम कुछ एक खंडों को और अधिक सरल बना सकते थे । जिस माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान "मृत्यु तथा उपहार शुल्क विधि " विषयक न्यूजिलैंड के अधिनियम की ओर आकर्षित किया था, वह उसकी धारा ५ (३) और धारा १६ (३) को देखें । प्रत्येक खंड लगभग १२ या १४ पंक्तियों का है और मैं यह चाहता हूं कि वह बाद में व्यक्ति गत रूप से मुझे यह बतलायें कि क्या वह उन खंडों को पूर्णतया समझ सकें हैं । मैं इन्हें पढ़ कर नहीं सुनाता ; मैं उनका उल्लेख केवल इस लिये कर रहा हूं कि आप चाहे कितना ही प्रयत्न करें किन्तु इस प्रकार के विधान को ऐसी भाषा में लिखना जिसे

[श्री सी० डी० देशमुख]

कि एक जनसाधारण भी समझ सके, सम्भव नहीं है ।

मैंने जो आंकड़े बतलाये हैं उन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सदन के सभी भागों ने इस विधेयक में कितनी रुचि ली है और उन्होंने इस के निर्माण में कितनी शक्ति लगाई है । विधेयक के आकार को बढ़ाने के अतिरिक्त उन्होंने इस में बहुत से परिवर्तन करवाये हैं और बहुत सी चीजें निकलवा दी हैं, जिन से कि यह और सुधर गया है ! श्रीमान्, हमें विदित है कि इस विधान को पारित करने के लिये सभी दलों के प्रतिनिधि इस सदन की आठ दिन तक प्रातः और सांय बैठकें होती रहीं । इस से मैं इस परीणाम पर पहुंचता हूं कि यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस देश के लोग सच्चे हृदय से इस प्रकार के विधान को विधि-ग्रन्थ में सम्मिलित करवाना चाहते हैं । मुझे आशा है कि यह विधेयक जिस प्रकार सूक्ष्म परीक्षा के पश्चात् बनाया गया है उस से इस में कोई कमी नहीं रही होगी । श्रीमान्, मैं विशेष रूप से यह कहूंगा कि इस विधेयक पर वाद विवाद का स्तर बहुत ऊंचा रहा है और मैं सदन के सभी भागों का बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मतभेद और कुछ एक अत्यन्त विवादास्पद विषयों के होते हुए भी सरकार के साथ सहयोग, धैर्य और नम्रता से काम लिया है । श्रीमान, विशेष रूप से इस में विलम्बकारी हथ कंडों का सर्वथा अभाव रहा है । जिन माननीय सदस्यों ने वाद विवाद में भाग लिया है उनका मैं धन्यावाद करता हूं मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार ने इस विधेयक के सम्बन्ध में सदन को जो आश्वासन दिये थे उन्हें वह पूरा कर सकी है ।

यद्यपि हमने इस विधि को यथा सम्भव अधिक से अधिक पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है । किन्तु हम में से किसी को भी यह मिथ्या भ्रम नहीं है कि इस समय बनाई हुई यह विधि सदा इसी प्रकार रहेगी । कर सम्बन्धी सभी विधियों की यही विशेषता है, और इस में, हमारी यह विधि भी सम्मिलित है, कि ये बदलती रहती है इस लिये नहीं कि ये विधियां अपूर्ण होती हैं किन्तु इस कारण क्योंकि वित्तीय तथा आर्थिक अवस्थायें बदलती रहती है और दुर्भाग्य से इस कारण भी जैसा कि मैं ने कल बताया था क्योंकि कर से बचने वाले अपने दायत्व से बचने के नये ढंग निकाल लेते हैं । हम ने अपने देश के आयकर अधिनियम का १९२२ में पुनरीक्षण किया था और फिर १९३९ में किया था उस के बाद कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता जब हमने किसी न किसी उपबन्ध में कोई परिवर्तन न किया हो और आय-कर अधिनियम को संशोधित करने के लिये एक व्यापक विधेयक बनाने की आवश्यकता बहुत दिनों से अनुभव की जा रही है । ब्रिटेन के सम्पदा शुल्क अधिनियम में जो कि वस्तुतः वित्त अधिनियम का ही एक अंश है, १८९४ के बाद से जब कि वहां यह शुल्क लगाया गया था बहुत से परिवर्तन किये जा चुके हैं । मैंने इस बात का उल्लेख इस लिये किया है क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ उपबन्धों विशेष रूप से बोर्ड के अपीलीय अधिकारी बनाने क सम्बन्ध में उपहारों के लिये छूट की सीमा के सम्बन्ध में, कर को शेष भूराजस्व के रूप में उगाहने के लिये बनाये गये उपबन्ध के सम्बन्ध में, उपहारों और दान धर्मस्व आदि के लिये दी गई अवधि के सम्बन्ध में और इसी प्रकार के अन्य उपबन्धों के औचित्य पर सन्देह प्रकट किया है । मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यदि वे इन उपबन्धों को गलत समझते हैं तो इन विषयों पर सार रूप में और प्रक्रिया के रूप में पुनर्विचार करने के

पर्याप्त अवसर मिलेंगे और विशेष रूप से अपीलीय न्यायाधिकरण के विषय में मैं सदन को पहले ही यह अश्वासन दे चुका हूं कि यदि हम यह अनुभव करेंगे कि विधेयक में अपनाई गई प्रणाली सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही है तो सरकार इस में उपयुक्त संशोधन करने से नहीं झिझकेगी।

वादविवाद में माननीय सदस्यों ने कई बार वर्तमान आय-कर प्रशासन की भूल-चूक का उल्लेख किया है और सम्पदा शुल्क के प्रशासन में भी उन्हीं भूलों के दोहराये जाने की आशंका प्रकट की है । उन्होंने विशेष रूप से इस विधेयक में नियंत्रक को दिये हुए स्वविवेक का प्रयोग करने के विशाल अधिकारों का उल्लेख किया है । इस बात से किसी का मत भेद नहीं हो सकता कि किसी भी कर सम्बन्धी विधि, वास्तव में किसी भी विधि को सफलता पूर्वक प्रवर्तित करने के लिये सब से पहिले एक कार्य कुशल और ईमानदारी प्रशासन की आवश्यकता होती है । किन्तु मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि इस विधि का एक मात्र उद्देश्य यह कि सरकार कुछ व्यक्तियों से मृत्यु पर मिलने वाली सम्पति पर कर ले सके । स्पष्ट है कि किसी सरकारी अभिकरण को इसे निर्धारित करने और वस्तुतः इसे एकत्रित करने की शक्ति मिलनी चाहिये । अतः यद्यपि मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि इस अभिकरण को मनमानी शक्तियां नहीं मिलनी चाहिएं, मुझे आशा है कि कोई भी इस बात से असहमत नहीं होगा कि यदि इस अभिकरण को पग पग पर और प्रत्येक बात पर उच्च अधिकारियों से पूछना पड़े और न्यायालय इस की पड़ताल करे तो यह अपना कार्य नहीं कर सकता ।

इसके साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि शासन का जनता के प्रति यह कर्तव्य है कि विशेष रूप से ऐसे दुख और शोक के समय किसी को तंग न किया जाये और कठिनाई न हो तथा मानवोचित सहानभूति प्रदर्शित की जाये । हमारा यही उद्देश्य है और सदा यही उद्देश्य रहेगा ।

एक माननीय सदस्य ने प्रशासन करने वालों को प्रावैधिक प्रशिक्षण देने का उल्लेख किया था । सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि हम छै चुने हुए व्यक्तिओं का एक दल प्रशासन के वास्तविक ढंग का अध्ययन करने के लिये ब्रिटेन भेज रहे हैं । (एक माननीय सदस्य : मनोविनोद के लिए ।)

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यहां प्रशिक्षण नहीं हो सकता ? मु सुनाई नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इसे सुनने की आवश्यकता नहीं ।

श्री सी० डी० देशमुख : एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि हमें जन-साधारण के लिए एक व्याख्यात्मक पुस्तिका निकालनी चाहिए । मैं पहले ही यह आश्वासन दे चुका हूं कि हम सरल से सरल भाषा में ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे ।

प्रशासन की उत्तमता के सम्बंध में यह जो बार बार अशंका प्रकट की गई है मुझे उसकी बड़ी चिन्ता हैं । और मेरी निजी रूप से भी यही इच्छा है कि कर प्रशासन और भावी करदाताओं में परस्पर सदभावना और सहयोग पैदा किया जाय और प्रशासन अपनी आलोचनाओं की ओर तथा उसके नियमों और विनयमों को सुधारने के लिए दिय गये विशिष्ट सुझावों की ओर ध्यान दे।

अब म उन विस्तृत उपबन्धों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता जिनकी ओर कुछ माननीय सदस्यों ने निर्देश किया है, क्योंकि जैसा आपने बताया है उन पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है । ये विषय हमारी मानसिक

[श्री सी० डी० देशमुख]

पृष्ठ भूमि में रहेंगे और यदि वास्तविक अनुभव ने यह बताया कि हमने गलती की है तो हम उन सुझावों को याद कर सकते हैं जो आज यहां रखे गये हैं और सारे प्रश्न का पुनरिक्षण कर सकते हैं।

इस विधेयक को प्रस्तुत करने में हमारे दो उद्देश्य हैं, एक सम्पत्ति के वर्तमान असम वितरण को कुछ सीमा तक दूर करना और दूसरे राज्यों को उनकी योजनाओं के विकास के लिये वित्तीय सहायता देना। इस विधेयक को अन्तिम रूप में पारित करते हुए मुझे सन्देह नहीं कि सभा के सब भाग मेरे सहित यह आशा करेंगे कि इस व्यवस्था के सफल प्रशासन से हम अपने उद्देश्यों को कुछ सीमा तक प्राप्त कर सकेंगे। हमारी आवश्यकताओं के प्रसंग में हमारे संसाधनों में इस व्यवस्था से जो वृद्धि होगी वह महत्व-पूर्ण नहीं। और यह श्री सारंगधर दास द्वारा प्रस्तुत किये गये कारण से नहीं कि हमारे वर्तमान व्यय का ४०, अथवा ४५ प्रतिशत अनावश्यक भार है। मैं आग्रह पूर्वक इस मत से असहमत हूं और मैं पूरे उत्तरदायित्व की भावना से कहता हूं कि अधिकांशतया इस देश में सार्वजनिक व्यय अपव्यय नहीं होता यद्यपि मुझे ऐसे बहुत से उदाहरण पता हैं जहां फजुलखर्ची होती है और जिसे हम सदा दूर करने का प्रयत्न करते हैं।

फिर सामाजिक अर्थ सम्बन्धी परिणामों के सम्बन्ध में मैं प्रत्याशा करता हूं कि अन्त में विन सम्बन्धी प्रतिफल बहुत मसत्वतूर्ण होंगे। म प्रत्याशा करता हूं कि स्पष्ट आमोद जो धन की असमानता से सम्बन्धित है, स व्यवस्था के फलस्वरूप कम होगा तथा हतोत्साहित होगा। मैं महत्व-पूर्ण व्यापारियों से मिल चुका हूं जिन्हों मझ विश्वास दिलाया है कि व सम्पदा शुल्क का लगाना सवथा उपयक्त समझते हैं और वे समझते हैं कि अत्याधिक धन उन के बच्चों के लिये न छोड़ा जाए जिससे उन के बच्चों में कार्य करने का उत्साह नष्ट हो जाता है।

मैं श्री चटर्जी से इस बात पर सहमत हूं कि इससे बड़ी सम्पदाओं के टुकड़े हो जायेंगे। परन्तु मुझे उस से भय नहीं। हम हृदय से यही परिणाम तो चाहते हैं। मुझे धनियों से पूंजी निर्माण की आशा नहीं। मझे साधारण व्यक्ति से पूंजी निर्माण की आशा है जो कि साधारण व्यक्ति के हित के लिए वस्तुतः बचत है। यद्यपि मुझ पर कोमल हृदय इत्यादि होने का आरोप लगाया जाएगा, परन्तु मैं ने स्वयं धनाढ्यों और विशेष अधिकार वालों में इस विषय में वास्तविक भावना के उद्गम का अनुभव किया है। यदि यह भावना जीवित रही और इसका पोषण किया गया तो मृत्यु और मृत्यु सम्बन्धी शुल्कों का भय नहीं होगा, क्योंकि यश और प्रसिद्धि पीछे बची रहती है, और मैं आशा करता हूं कि यह ऐसे समाज में जहां धनी निर्धनों के हित का समर्थन करते हैं, अमर हो जाएगी।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : श्रीमान् एक सूचना सम्बन्धी प्रश्न है। किसका अधिक भय होगा मृत्यु अथवा मत्यु शुल्क का।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं कहता हूं कि किसी का भी नहीं क्योंकि मैं मृत्यु और मृत्यु शुल्क के भय दोनों का अन्त करता हूं।

स जीवति यशो यस्य कीर्तियस्य च जीवति

वह जीता है जिसका यश और कीर्ति जीवित है।

उपाध्यक्ष महोदय : त्यागाय संवृत्तायो-वाम्।

श्री सी० डी० देशमुख : इससे यह अभिप्राय है कि धन का संग्रह केवल दूसरों

को देने के लिये किया जाता है । इसी कारण यहां पर त्यागी हैं । प्राचीन भाष्यकारों ने कीर्ति की यह परिभाषा की है :

दानाद्वि प्रभवाद्कीर्ति शौर्याद्वि प्रभावद्यशः

कीर्ति वह है जो दान, भेंट और सहृदयता से उत्पन्न होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पूर्त से ।

श्री सी० डी० देशमुख : और प्रसिद्धि वह है जो साहस, निर्भीकता, शूरवीरता और बहादुरी इत्यादि से उत्पन्न होती है इसलिये मैं आशा करता हूं कि उन व्यक्तियों के लिये साहस और सहृदयता संकेत शब्द होगा जिनकी कर्मशीलता के कारण उनका भाग्य उन से प्रसन्न हुआ है और जब ऐसा हुआ तो भारत में वास्तविक जनतन्त्र के आधार पर अहिंसापूर्ण क्रान्ति का निष्पादन होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा के समक्ष मतदान के लिये इस प्रस्ताव को रखने में मझे बहुत प्रसन्नता है ।

प्रश्न यह हैं :

"कि संशोधित रूप में विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सम्पदा शुल्क दर विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं सम्पदा शुल्क अधिनियम १९५३ के प्रयोजनों के लिये सम्पदा शुल्क के दर निर्धारण सम्बन्धी विधेयक वापस लेने की अनुमति मांगता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री ने अनुसूचि के पारित होने तक प्रतीक्षा की। अब प्रश्न यह है :

"कि वित्त मंत्री को सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ के प्रयोजनों के लिये सम्पदा शुल्क की दरें निर्धारित करने के लिये, विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

१९५३-५४ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अनुपूरक मांगों पर चर्चा करेगी ।

कई कटौती प्रस्ताव रखे गए हैं । मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस समय चर्चा कहां तक हो सकेगी । कटौती प्रस्ताव दो विषयों के सम्बन्ध में है एक कोरिया में सैनिक टुकड़ी भेजने और उस पर व्यय तथा दूसरे चीनी के आयात के सम्बन्ध में । विदेश कार्य और कोरिया में सैनिक टुकड़ी भेजने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये एक पूरा दिन रखा गया है । चीनी के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि कुछ समय पूर्व उस पर दो घंटे वाद विवाद हो चुका है, जब माननीय मंत्री ने बताया था कि मूल्यों को कम रखने के लिये दो लाख टन चीनी आयात की जा रही है ।

जिन सेवाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव गत आय व्ययक सत्र में पारित हो चुके हैं, उन पर तब तक चर्चा नहीं हो सकती जब तक कि अनुपूरक मांगों द्वारा अतिरेक अनुदानों की मांग न की गई हो ।

उन सब विषयों के सम्बन्ध में चर्चा हो सकती है जिन पर गत आय व्ययक में विचार न किया गया हो ।

कुछ सांकेतिक कटौतियां हैं जिन में विषय की ओर ध्यान दिलाने के लिए मांग में १०० रु० की कमी की गई है । इन कटौतियों को एकत्र नहीं किया जा सकता । कुछ बचत के

[उपाध्यक्ष महोदय]

लिए कटौतियां हैं। उन पर चर्चा यथा सम्भव निश्चित होनी चाहिये। यदि यह सामान्य रूप से स्वीकार किया जाए कि वैदेशिक कार्यों पर वाद विवाद के लिये निश्चित दिन को कोरिया सम्बन्धी विषयों पर—न कि इस सम्बन्धी मांग पर—चर्चा की जाए तो हम इस समय अन्य मदों पर चर्चा कर सकते हैं।

रक्षा संघठन मंत्री (श्री त्यागी) : श्रीमान्, यह स्वीकार किया गया है।

मांग सं० १२—रक्षा सेवायें प्रभावी-सेना

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :—

"कि ३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में रक्षा सेवाएं प्रभावी-सेना के सम्बन्ध में जो व्यय होगा उसे पूरा करने के लिए राष्ट्रपति को ६० लाख रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये।"

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, जैसा कि आपने कहा है यदि आप अनुज्ञा दें तो मैं सभा को जानकारी देने के लिये एक छोटा वक्तव्य दूंगा। परन्तु मैं नहीं समझता कि उसमें चर्चा के लिये कोई गुंजायश है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या कोरिया सम्बन्धी कटौती प्रस्तावों पर अब चर्चा की जाए।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, मैं नहीं समझता कि उनके विषय में चर्चा की अधिक गुंजाइश है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक मांग सं० १२ का सम्बन्ध है अनुपूरक अनुदान की मांग के लिये दो कटौती प्रस्ताव हैं। एक श्री नम्बियार के नाम है। दूसरे कटौती प्रस्ताव का सम्बन्ध उन निबन्धनों और शर्तों से है जिन पर अभिरक्षक सेना को कोरिया भेजा गया है। यदि वे इन पर चर्चा चाहते हैं तो इन विषयों पर चर्चा की जा सकती है।

श्री नम्बियार : मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। श्री टी० के० चौधरी क्या चाहते हैं?

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : मांग संख्या १० पर विचार किया जाएगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या यह कोरिया के सम्बन्ध में है?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां यह कोरिया के सम्बन्ध में किये गये उपबन्धों के विषय में है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं बताना चाहता हूं कि कोरिया के सम्बन्ध में एक मांग वैदेशिक कार्य मंत्रालय की ओर से भी है। इसका यह अभिप्राय है कि जो असैनिक कर्मचारी वृन्द भेजे गए हैं वे वैदेशिक कार्य के खाते में रखे गए हैं और सैनिक कर्मचारी रक्षा के खाते में, परन्तु वस्तुतः एक ही बात है। सभा को ज्ञात है.....

उपाध्यक्ष महोदय : वह सभा के समक्ष नहीं रखी गयी। संभवतः उसे इस..... से पूरा किया जा सकता है.....

श्री जवाहरलाल नेहरू : उसे बचत में से नहीं पूरा करना है। यह ऐसा है। परन्तु यह तथ्य है कि उसके लिए तीन लाख रुपये रखे गए हैं।

सभा को उन स्थितियों के सम्बन्ध में पता है जिनके अधीन, मेरा कहने का अभिप्राय सामान्यतः है, अभिरक्षक सेना भेजी गई है।

इस दस्ते के कर्तव्य क्या होंगे, इस की व्याख्या अस्थायी सन्धि में स्पष्ट रूप से की गई है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ कमान और चीन तथा उत्तर कोरिया की संयुक्त कमान के बीच हुई है और जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। यह याद रखना चाहिये कि इन दो कमानों ने यह अस्थायी सन्धि की है और इसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ चाहे बहुत से देशों का प्रतिनिधि है, जहां तक इस अस्थायी सन्धि का सम्बन्ध है वह एक तरह से संयुक्त राष्ट्र कमान का तथा इस में दिलचस्पी रखने वाले अन्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिये वहां जाना स्वीकार करके हमने अस्थायी सन्धि की शर्तों को ही स्वीकार किया है, जो कि बहुत व्यापक हैं। अब भी कुछ शर्तों के अर्थ निकाले जाने के सम्बन्ध में कई बार कठिनाई आती है। फिर ऐसी बात का निर्णय वहां कई आयोगों को—तटस्थ राष्ट्र आयोग या अन्य आयोगों को—करना पड़ता है। इसलिये यदि सदन चाहे तो मैं केवल यही कर सकता हूं कि अस्थायी सन्धि रिपोर्ट में से अस्थायी सन्धि का ब्यौरा पढ़ कर सुना दूं।

दूसरा प्रश्न इससे सम्बद्ध खर्च के विषय में है। मेरे विचार में मैं उस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। हम ने खर्च का ब्यौरा समझे बिना ही इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया है। सामान्यतया हमें यह कहा गया था कि यह सारा खर्च अकेले हमी को नहीं उठाना पड़ेगा और अन्य भी इसमें योग देंगे—"अन्य" का मतलब है दोनों कमानें—और हम आजकल या पिछले कुछ समय से इस खर्च के बंटवारे के सम्बन्ध में दोनों कमानों तथा सम्बद्ध देशों के साथ लिखा पढ़ी करते रहे हैं। हमारा रवैया तो यह रहा है कि सारा सामान्य खर्च हम देंगे। हमने अपनी सेना वहां भेजी है। उसका वेतन तथा सामान्य खर्च हम देंगे और देते रहेंगे। हमारा विचार है कि असाधारण खर्च जैसे परिवहन का खर्च या वहां होने वाले सामान्य खर्च के अतिरिक्त जो विशेष खर्च हो वह दूसरों को देना चाहिये। अधिकतर देश सामान्यतया हमारे इस रवैये को स्वीकार करते हैं और हम उनके साथ ब्यौरा तै करने की चेष्टा में हैं और इसमें कुछ समय लगेगा। इसी बीच सारा धन हमीं को खर्च करना पड़ेगा। खर्च की कुछ मदें तो सम्भवतः हमारे ऊपर पड़ेंगी ही। उदाहरण के लिए, हमने अपना प्रतिनिधि भेजा है जो कि तटस्थ राष्ट्र आयोग का सभापति है। निस्सन्देह उसके वेतन का एक भाग हम देंगे परन्तु भत्ते आदि के रूप में अप्रत्यक्ष ख़र्च भी हम देना चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि वह किसी और केअधीन हो। अर्थात्, जब हमारे पुराने कर्मचारी वहां जाते हैं तो उनका ख़र्च अतिरिक्त खर्च सहित, हम ही देंगे। परन्तु जहां तक सेना तथा बड़ी संख्या में अन्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है, सामान्य सिद्धान्त यह है कि उनका सामान्य खर्च अर्थात् वेतनादि हम दें और बाकी खर्च किसी अन्य सूत्र से दिया जाय। तो स्थिति यह है। सम्भव है कि आवश्यकता पड़े तो हमें और सेना भी वहां भेजनी पड़े।

श्री टी० के० चौधरी : हमने अपनी सेना वहां भेज तो दी है परन्तु दक्षिण कोरिया की सरकार भी अस्थायी सन्धि का एक पक्ष है। वह इसका जो अर्थ निकालेगी, उसके फलस्वरूप हमारे सैनिकों की, दक्षिण कोरिया सरकार या उसकी सेना के साथ मुठभेड़ नहीं हो जायगी? इस पहलू पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहिए।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा विचार है कि मैं उस पर कुछ अधिक प्रकाश नहीं डाल सकता। दक्षिण कोरिया की सरकार भी संयुक्त राष्ट्र कमान की एक सदस्य है। हमारा वास्ता तो संयुक्त राष्ट्र कमान से पड़ेगा, प्रत्यक्ष रूपसे दक्षिण कोरिया की सरकार

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के साथ बिल्कुल नहीं। उसके साथ हमारा कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र कमान ने हमें कुछ आश्वासन आदि दिए हैं जिन्हें हमने स्वीकार कर लिया है। दोनों ही दलों ने ऐसा किया है। अब यदि कोई उन आश्वासनों के अनुसार न चले तो जो स्थिति उत्पन्न होगी, हम उससे निपट लेंगे। यह तो कल्पनात्मक स्थिति है। मेरे लिए यह कहना बड़ा कठिन है कि जब वह स्थिति उत्पन्न होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं यह मांग सदन के मत के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में "रक्षा सेवाएं, प्रभावी-सेना" के सम्बन्ध में जो व्यय होगा, उसे पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को ६० लाख रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि कुछ कटौती प्रस्ताव जो मांग ४५ के अधीन आने चाहिये थे मांग १२५ के अधीन रख गए हैं और कुछ जो मांग १२५ के अधीन आने चाहिये थे मांग ४५ के अधीन रखे गए हैं। इसलिये उन दोनों पर इकट्ठे ही चर्चा की जाय।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) मांग ४७ भी।

उपाध्यक्ष महोदय यह किस सम्बन्ध में है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी : चीनी के।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा। भाग ४५, ४७ तथा १२५ पर इकट्ठे ही विचार किया जायगा।

मांग ४५—कृषि

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'कृषि' के सम्बन्ध में जो व्यय होगा उसे पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को १,३६,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये।"

मांग ४७—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन फुटकर खर्च

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में "खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन फुटकर खर्च" के सम्बन्ध में जो व्यय होगा उसे पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को २ करोड़ दस लाख रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये।"

मांग १२५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजीगत व्यय

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि ३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में "खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजीगत व्यय" के सम्बन्ध में जो व्यय होगा, उसे पूरा करन के लिये राष्ट्रपति को सात करोड़ २५ लाख रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय।"

मैं यह निर्णय करूंगा कि कटौती प्रस्ताव नियमानुकूल हैं या नहीं। कटौती प्रस्ताव संख्या ११ में १०० रुपये की प्रतीकात्मक कटौती है, और बताया नहीं गया कि इसका प्रयोजन क्या है, अतः यह नियम विरुद्ध है।

श्री नम्बियार का कटौती प्रस्ताव संख्या १२, जो चीनी के कारखानों की स्थापना तथा वनस्पति के गुण प्रकार के सम्बन्ध में है, नियम विरुद्ध है। हम मांग ४५ के अधीन इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री नम्बियार : मुझे मांग ४५ के सम्बन्ध में यह कहना है कि वनस्पति का गुण प्रकार ऐसा मामला है जिसके लिये कर्मचारी रखे जाते हैं। यदि गुण प्रकार को सुधारा न जाय तो इन कर्मचारियों के लिए धन देने का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : वे कर्मचारी सदन की इस इच्छा के अनुसार रखे गए हैं कि मिलावट को रोका जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : इन सब प्रश्नों पर समय समय पर सदन में विचार किया गया है। हम यह नहीं कह सकते कि उपरोक्त गुण प्रकार में कहां तक सुधार किया जाय।

श्री टी० के० चौधरी का कटौती प्रस्ताव संख्या १३ भी नियम विरुद्ध है।

श्री बी० एन० चौधरी का कटौती प्रस्ताव नियमानुकूल है।

कटौती प्रस्ताव संख्या १५ नियम विरुद्ध है और संख्या १६, मांग ४५ के अधीन नहीं आता।

मैं श्री एन्थनी का कटौती प्रस्ताव रखने की अनुमति दूंगा और श्री एन० बी० चौधरी का भी।

तो मांग ४५ के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव संख्या १४, १५ तथा १७ हैं।

इसके बाद श्री एन० बी० चौधरी तथा श्री फ्रैंक एन्थनी ने अपने कटौती प्रस्ताव रखे।

उपाध्यक्ष महोदय : ये कटौती प्रस्ताव सदन के सामने हैं। मैं मांग संख्या ४७ सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव भी निपटा दूं क्योंकि हमारा विचार है कि उन पर इकट्ठे ही विचार किया जाय। यह मांग किस सम्बन्ध में है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस मांग के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह औपचारिक मांग है क्योंकि सदन पिछले वर्ष एक अनुपूरक अनुदान द्वारा ४ करोड़ ३० लाख रुपये दे चुका है। यह अनुपूरक मांग इसलिये की जा रही है कि जिस राशि का अनुदान किया गया था वह पिछले वर्ष में दी नहीं जा सकी। यह नई मांग नहीं है। सच तो यह है कि सारी मांग आवश्यक नहीं। हम कम से कम २५ लाख रुपये की बचत करेंगे। यह तो मैं ने स्पष्टीकरण के लिये कहा। आप किसी बात पर चर्चा की अनुमति देना चाहें उसे मैं रोकना नहीं चाहता परन्तु यह तो औपचारिक सी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कब पास की गई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : पिछले वर्ष १९५२-५३ में।

उपाध्यक्ष महोदय : पिछली बार जब यह अनुपूरक मांग सदन के सामने रखी गई थी इस पर विचार किया गया था। मैं विशेष कर माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वे आगे से इस बात का ध्यान रखें कि अनुपूरक मांगें रखते समय मूल मांगें तथा अन्य अनुपूरक मांगें प्रत्येक शीर्ष के अधीन दिखाई जायं। इससे सदन को पता चल सकेगा कि वास्तव में कितनी राशि खर्च करने का विचार है।

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो टिप्पणी में है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो औपचारिक सी बात है। इसलिये मैं कटौती प्रस्तावों को निपटा दूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या १८ नियम विरुद्ध है जहां तक "चीनी के कारखानों को सहाय्य का भुगतान रोकने के सम्भाव्य".....

श्री गोपाल राव (गुडिवाडा) : मेरे विचार में यह नियमानुकूल है। सदन ने यह अनुदान पिछले वर्ष नवम्बर में यह समझ कर पास किया था कि चीनी कम मूल्यों पर बेची जायगी। परन्तु वास्तव में हुआ यह कि

[श्री गोपाल राव]

मिल मालिकों ने अपना माल कम मूल्यों पर नहीं बेचा । यही कारण है कि नई स्थिति उत्पन्न हो गई है जिस पर विचार होना चाहिए ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मिल मालिकों की नहीं थी । यह सरकार के चीनी के स्टाक के सम्बन्ध में है। सरकार ने पहले चार महीनों में कम मूल्यों पर इसे बचा । इस माल के समाप्त हो जाने पर मई में मूल्य बढ़ने प्रारम्भ हुए ।

श्री गोपाल राव : सरकार ने चीनी मिलों का स्टाक ले लिया था..... (अन्तर्बाधाएं) और सिर्फ़ इसलिये कि सरकार ने व्यापारियों को कुछ विश्वास दिलाए थे उसने यह विधेयक रखा ।

श्री किदवई : यह ठीक नहीं है । सरकार ने निश्चित मूल्य पर सारी चीनी खरीदनी स्वीकार कर लिया था । इसके बाद सरकार ने मूल्य घटाने का निश्चय किया और उसने इससे होने वाली हानि को पूरा करने के लिये यह विधेयक रखा । इसलिए सरकार ने सारी चीनी कम मूल्य पर दी ।

डा० पी० एस० देशमुख : इस सब पर तो सदन में विचार किया जा चुका है ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : यह दी गई टिप्पणी में कहा गया है : "१९५२-५३ के वित्तीय वर्ष में चीनी के कारखानों के पास १ दिसम्बर १९५२ को नियंत्रित चीनी का जो स्टाक था उस के नियंत्रित मूल्यों में कमी के कारण उन्हें क्षतिपूर्ति देने के लिए अनुपूरक मांग द्वारा व्यवस्था की गई....."

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह क्षतिपूर्ति ह या क्रय-मूल्य ?

श्री किदवई : स्थिति यह है कि हमने सारी चीनी एक विशेष मूल्य पर लेने की प्रत्याभूति दी है । सारी चीनी का विक्रय मिल के मालिकों ने नहीं अपितु सरकार ने किया था । मूल्य में वृद्धि मई में आरम्भ हुई थी और चीनी मार्च में समाप्त हो गई थी ।

श्री नम्बियार : हमें यह विचार करना है कि क्षतिपूर्ति भविष्य में दी जायेगी या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस स्थिति में मैं चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहा हुं । परन्तु यह प्रश्न समय समय पर सदन के समक्ष रखा गया है इसलिये यह अवसर है जबकि इस पर व्यापक रूप से विचार किया जा सकता है । मैं माननीय मन्त्री तथा माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि जो कुछ कहना हो एक बार ही कह दें ?

मैं समझता हूं कि श्री गुरुपादस्वामी का संशोधन ज्यों का त्यों है । जहां तक क्षतिपूर्ति का प्रश्न है, उन सब पर चर्चा होनी चाहिये ।

अब इस मांग के अन्तर्गत नम्बर २, १९, २०, २१, २२ तथा २३ के प्रस्तावों पर चर्चा होगी । इन्हें प्रस्तुत किया माना जायगा ।

श्री टी० एन० सिंह (बनारस जिला-पूर्व) : क्या इस मांग के सम्बन्ध में राज्य व्यापार के प्रश्न पर सामान्य चर्चा करना उचित होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि आयव्ययक चर्चा काल में चीनी में राज्य व्यापार का प्रश्न किसी भी रूप में नहीं आया और इसके लिए कोई धन नियत नहीं किया गया था, इसलिये मैं इस नीति पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा कि चीनी का राज्य द्वारा व्यापार करना उचित है या नहीं ।

श्री किदवई . विचाराधीन न होने के कारण यह आयव्ययक के समय नहीं उठाया गया था । अतः यह एक नया उपबन्ध ह ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो भी यह मांग नं० ४७ के अन्तर्गत आयेगा ।

मांग संख्या ४७ (खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के फुटकर नाप) के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव :

कटौती प्रस्ताव का नाम	प्रस्तावित कटौती की राशि रुपये	कटौती का आधार
श्री गोपाल राव	१	चीनी निर्माणशालाओं को आर्थिक सहायता के भुगतान को रोकने की सामान्यता।
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर)	१००	चीनी उद्योग को क्षतिपूर्ति।
श्री नम्बियार	१००	चीनी निर्माणशालाओं को क्षतिपूर्ति का भुगतान।
श्री वी० पी० सिन्हा (मुंगेर सदर व जमूई)	१००	चीनी निर्माणशालाओं के लिये क्षतिपूर्ति की व्यवस्था अनावश्यक है।
श्रीमती सुचेता कृपलानी	१००	चीनी निर्माण शालाओं को क्षति-पूर्ति का भुगतान।
श्री एन० बी० चौधरी	१००	चीनी निर्माणशाला मालिकों को सरकार का वचन तथा चीनी उपकर।

श्री तुलसीदास : फिर मांग संख्या १२५ है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मांग संख्या १२५ (खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के अन्य पूंजी अपव्यय) पर आ रहा हूं। इस मांग के अन्तर्गत कटौती प्रस्ताव ३, ४, ५, ३२, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८ तथा ३९ हैं।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव रखे गये :

कटौती प्रस्तावक का नाम	प्रस्तावित कटौती की राशि रुपये	कटौती का आधार
श्री गोपाल राव	१	सम्भरण के लिये मना करना।
श्री विट्ठल राव (खम्भम)	१००	एक लाख टन चीनी का आयात।
श्री गोपाल राव	१००	चीनी आयात करने की आवश्यकता।
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१००	चीनी आयात नीति।
श्री नम्बियार	१००	चीनी के मूल्य में वृद्धि।
श्री केलप्पन (पोन्नानी)	१००	चीनी आयात सम्बन्धी नीति।

[उपाध्यक्ष महोदय]

कटौती प्रस्ताव का नाम	प्रस्तावित कटौती की राशि रुपये	कटौती का आधार
श्री दामोदर मेनन	१००	चीनी का पुनः आयात ।
श्री वी० पी० सिंह	१००	चीनी का आयात अनावश्यक तथा स्वदेशी भावना के विरुद्ध है ।
श्री चौधरी	१००	चीनी के आयात की सरकारी नीति और सामान्य उपभोक्ताओं को व्यापारियों द्वारा बेची जाने वाली चीनी के मूल्य में कमी करने में उनका असफल रहना ।
श्रीमती सुचेता कृपलानी	१००	चीनी के आयात की आवश्यकता तथा अन्तर्भाव नीति ।
श्री एन० बी० चौधरी	१००	आयात की गई चीनी के वितरण करने के ढंग तथा चीनी के मूल्य ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मांग संख्या ५९ सदन के समक्ष रखूंगा । प्रस्ताव यह है कि :

"३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय की मांग संख्या ५९ के सम्बन्ध में जो व्यय होगा उसे पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को ३८,३०,००० रु० तक की अनुपूरक राशि दी जाये ।"

अब, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय की अनुपूरक मांग संख्या ५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव हैं :

कटौती प्रस्तावक का नाम	प्रस्तावित कटौती की राशि रुपये	कटौती का आधार
श्री फ्रंक एन्थनी	८,३०,०००	बचत—क्योंकि अनपूरक व्यवस्था अत्याधिक है ।
श्री नम्बियार	१००	पंचवर्षीय योजना के प्रकाशन के लिए आवश्यकता या अन्यथा अतिरिक्त व्यवस्था ।
श्री दामोदर मैनन	१००	संगठित प्रकाशन कार्यक्रम के व्यय में चलचित्र विभाग तथा प्रकाशन विभाग की विस्तार-योजना को सीमित करके पर्याप्त कमी करने की आवश्यकता ।
श्रीमती सुचेता कृपलानी	१००	पंचवर्षीय योजना के प्रकाशन का एक संगठित कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता ।
श्री एन० बी० चौधरी	१००	प्रस्तावित प्रोपेगण्डा का कार्य कौशल तथा ढंग ।

उपाध्यक्ष महोदय : १२ बज कर ५ मिनट हो चुके हैं, अतः अब मुझे मांगों पर चर्चा के लिये समय नियत करना चाहिये। समय इस प्रकार होगा :

खान	आधा घंटा ।
प्रकाशन	एक घंटा ।
चीनी	डेढ़ घंटा ।

हम समय में वृद्धि नहीं कर सकते। सात बजे कटौती प्रस्तावों के संग सारी मांगों पर मतदान होगा। उसके पश्चात् तुरन्त ही माननीय मन्त्री अपना विनियोग विधेयक प्रस्तुत करेंगे जो सवा सात बजे समाप्त हो जायेगा। सवा सात बजे सदन की बैठक समाप्त हो जायेगी।

श्री नम्बियार : रेल-खानों में छटनी होने से तथा केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन-मान लागू न होने से कर्मचारियों को कोई हानि नहीं होनी चाहिये। जब तक वेतन आयोग के मानों को लागू नहीं किया जाता उन्हें धन की हानि होने की सम्भावना है और छटनी का प्रश्न भी उत्पन्न होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे सब ठेकेदार के नौकर हैं। वे इसे विभाग के आधार पर ले रहे हैं। केन्द्रीय वेतन आयोग का यहां क्या सम्बन्ध है ?

श्री नम्बियार : केन्द्रीय आधार पर नियन्त्रित होने वाले सारे कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आते हैं। रेल, डाक तथा तार और केन्द्रीय आधार पर नियन्त्रित विभागों को केन्द्रीय वेतन आयोग के लाभ प्राप्त होने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते हैं कि आपको वेतन के अमुक अमुक मान अपनाने चाहियें और कर्मचारियों को थोड़ा वेतन नहीं मिलना चाहिये, आदि आदि। साधारण रूप में मैं इसके लिये भी अनुमति देता हूं।

सारे कटौती प्रस्तावों—६, ७ तथा ४०—की अनुमति दी जाती है।

मांग संख्या ९०—कच्छ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मांग संख्या ९० पर मत लेता हूं। इस पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में कच्छ की मांग संख्या ९० के सम्बन्ध में जो व्यय होगा उसे पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को १,००,००० रु० तक की अनुपूरक राशि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य को दस मिनट दिये जायेंगे। माननीय सदस्यों को अपने तर्क १, २, ३ आदि के रूप में रखने चाहियें। श्री गुरुपादस्वामी।

श्री गुरुपादस्वामी : कुछ दिन पूर्व माननीय खाद्य मन्त्री ने सदन में कहा था कि चीनी की अत्याधिक मांग तथा चीनी की प्राप्यता में कमी होने के कारण चीनी के वर्त्तमान मूल्य में वृद्धि हुई है। उन्हों ने यह भी कहा था कि माल के डिब्बों की कमी के कारण चीनी देश में वितरणार्थ निर्माण-शालाओं से नहीं लाई जा सकती।

मैं एक आदि बात की व्याख्या करना चाहता हूं और ऐसा करने का मेरा उद्देश्य यह सिद्ध करता है कि मांग की पूर्ति के लिये देश में चीनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा विदेशों से आयात करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर आगे बढ़ने के पूर्व मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय खाद्य मन्त्री तथ्यों की ओर ध्यान दिये बिना इस काल्पनिक आधार पर आगे बढ़े हैं कि क्योंकि चीनी के

[श्री गुरुपादस्वामी]

मूल्य में वृद्धि हुई है । इसलिये विदेशों से चीनी का आयात करना चाहिये । यह विचार अत्यन्त भयानक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बाद में भाषण जारी रखें । अब सदन एक नये इस्पात संयंत्र लगाने की परियोजना, जिसके विषय में श्री टी० एन० सिंह ने पूर्व-सूचना दी थी, के सम्बन्ध में उत्पादन मंत्री के वक्तव्य पर एक घंटे तक चर्चा करेगा ।

नया इस्पात संयंत्र लगाने की परियोजना

उपाध्यक्ष महोदय : लगभग दस माननीय सदस्यों ने इस विषय में बोलने की इच्छा प्रकट की है । यहां का व्यवहार इस प्रकार है कि माननीय प्रस्तावक या सदन पटल पर प्रस्ताव रखने वाले को दस से पन्द्रह मिनट तक का समय दिया जाएगा । माननीय सदस्य चुप क्यों बैठे हैं ?

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस---पूर्व) : मैं तो निस्संदेह अध्यक्ष पद का विनिर्णय मान लूंगा । मैं संक्षेप में बोलूंगा, किन्तु मैं आशा करता हूं कि मुझे कुछ रियायत मिलेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं । अन्य सदस्यों को और एक-एक मिनट ।

एक माननीय सदस्य : पांच मिनट

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास अभी भी चिट्ठे आ रहे हैं । पहले के दस नाम मौजूद हैं । सदन जो कुछ चाहेगा, मैं उसी का पालन करूंगा । हमने एक घंटा निश्चित किया है । प्रस्तावक को १५ मिनट दिये गये हैं । कदाचित् वह यह सुझाव देना चाहते थे कि मुझे कुछ और समय दिया जाये । माननीय मंत्री को उत्तर देना पड़ेगा । माननीय मंत्री को कितने मिनट चाहियें ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : पन्द्रह और बीस मिनट के बीच । माननीय सदस्य जितना भी समय लें, उसी के अनुसार मैं बोलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा माननीय प्रस्तावक के लिये १५ से २० मिनट तक । मंत्री जी के उत्तर के लिये १५ मिनट । इस तरह ३५ मिनट निकल जायेंगे । बाक़ी बचे २५ मिनट । अब मैं यह सुझाव दूंगा कि माननीय सदस्य वर्गों में बट कर प्राथमिकता के अनुसार बोलें । अन्यथा मैं वैसे ही नाम बोलता चलूंगा । हां, श्री टी० एन० सिंह ।

श्री टी० एन० सिंह : श्रीमान्, उत्पादन मंत्री द्वारा दिये गये २४ अगस्त के वक्तव्य में मुझे कई त्रुटियां दिखाई दीं । उन्होंने कई तथ्यों को छोड़ ही दिया है, और कहीं-कहीं जानकारी देते समय मात्र ढांचा दिया है, जो सुनने वाले को भ्रांति में डाल देता है । इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव सदन पटल पर रखा ताकि सदन को ये सब बातें विस्तार में जानने का अवसर मिले । अब आप उक्त वक्तव्य को देख लीजिये । इसके प्रारम्भ में बताया गया है : "कम्पनी का प्रबन्ध एक ऐसे बोर्ड के हाथ में रहेगा जिसमें सरकार तथा निजी सार्थ को क्रमश: अपनी-अपनी न्यस्त निधियों के अनुसार और उसके अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा ।" किन्तु हम उक्त कम्पनी की विशेष न्यस्त निधि नहीं जानते । मुझे बताया जाता है कि जर्मनी से हम जितना भी खरीदेंगे, उस राशि के अनुसार इसकी यह न्यस्त निधि होगी ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए ।]

यदि, वह एक या दो करोड़ रुपये की राशि लगाये, तो क्या फिर भी उसे प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा ? मानलीजिये कि यह ८० करोड़ रुपये लगाती है, तो यदि पांच की सदस्यता हो, और कोई पार्टी दो करोड़ रुपये लगाये, तो क्या इसी अनुपात से उनकी सदस्यता का प्रतिनिधित्व होगा, और यदि होगा तो वह अनुपात क्या है ? इस प्रकार मैं ने यह अनुभव किया कि यह सब अस्पष्ट है। मैं बतला भी चुका हूं—जैसा हम यहां देखते रहे हैं—कि हमने उन्हें प्रतिनिधित्व दिया है, किन्तु उन्होंने न्यास या लगाई जाने वाली निधि के विषय में कुछ भी नहीं कहा है। और देखलीजिये : वक्तव्य में हमें यह बताया गया है कि वे इस सार्थ में अपनी ओर से साढ़े नौ करोड़ रुपये, मात्र पूंजी के रूप में, लगाने वाले हैं, किन्तु इसके साथ यह भी बताया गया है : "ठीक महीना वही होगा जिसमें मूल्य के अनुसार वह संयंत्र भेजा जाय।" अब बताइये कि इन दोनों में क्या सम्बन्ध है, और यह सम्बन्ध किस पर निर्भर करता है ? यह खरीदे गये उस संयंत्र के मूल्य का एक तिहाई, एक चौथाई या छटा भाग भी होगा। अब बताइये कि इसमें कितनी अस्पष्टता है। कितना ही अच्छा होता कि मंत्री जी ने सदन पर और भी ज़रा सा विश्वास किया होता। इस बात को इतना रहस्यमय नहीं बनाया जाना चाहिये था। मैं समझता हूं कि हमें इन बातों को जानने का अधिकार है और मंत्रालय को भी यह जानना ज़रूरी है कि लोगों की और इस संसद् की क्या प्रतिक्रिया है। श्रीमान् मुझे बताया जाता है कि खरीदे जाने वाले संयंत्र के तीसरे भाग के बराबर वह धन राशि लगा देंगे।

श्री के० सी० रेड्डी : इसको क्रम से बढ़ाया गया है।

श्री टी० एन० सिंह : इसे क्रम से बढ़ाया गया हो या नहीं, किन्तु इसमें कोई रहस्य है। किन्तु इस बात की अफ़वाह चल रही है कि भेद खुल रहा है। हां, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हम ने बड़े काम के लिये बातचीत करने को क्यों एक ही व्यक्ति भेजा। मुझे उस विशेष व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है। किन्तु यह एक ग़लत बात है कि एक ही व्यक्ति को इतना बड़ा काम सौंपा जाय और उसी के भरोसे पर और उसी की इच्छा से यह सब काम हो। यह ही नहीं, और मौकों पर भी ऐसा ही हुआ है। यह अनुभवसिद्ध बात है कि अकेले आदमी को इतना बड़ा काम सौंपना ठीक नहीं है। जहां कहीं भी ऐसी बातें हों, जिनमें सरकार वचनबद्ध होती हो, यहां एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक दल को भेजा जाना चाहिये। हमारे हां शिल्प विशेषज्ञ हैं। क्या हम किसी वित्त-विशेषज्ञ और उसके साथ एक इंजीनियर को नहीं भेज सकते। यों तो हमारी ओर से जाने वाला प्रतिनिधि लोहा या इस्पात उद्योग का काम जानने वाला होना चाहिये। मैं यही जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा यहां की ओर से एक ही व्यक्ति क्यों भेजा गया, और क्यों उसने अकेले में उस करार पर हस्ताक्षर किये। यह भी ग़लत है कि उस करार पर किसी विदेश में हस्ताक्षर हुये हैं। भूतकाल में कई बार ऐसी ग़लतियां हुई हैं। करारों में सदा त्रुटियां पाई गई हैं और अब यह करार, जो मात्र ढांचा है—और जिसके स्पष्टीकरण के लिये और करार होंगें। न मालूम हमें कहां धकेलेगा इस समय हम जो भी बात करेंगे उसी के अनुसार आगे को करार किये जायेंगे अब मानलीजिये कि वे केवल ५० लाख रुपये लगाते हैं। टेंडर मंगाये जाते हैं, मशीन और संयंत्र खरीदे जाते हैं—किन्तु हम इन सार्थों से डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की मशीनें नही खरीदते। तो ऐसी स्थिति में, केवल ५० लाख रुपये के अंशधारी होन के नाते, उन्हें हमारे संचालक मंडल में

[श्री टी० एन० सिंह]

बोलने का अधिकार होगा । क्योंकि तभी उत्तरदायित्व आता है जब कोई व्यक्ति वचनबद्ध हो जाय। भला हम पहले ही क्यों वचनबद्ध होंगे ? और फिर भी ऐसी स्थिति में यही कहा जाता है कि जो भी संयंत्र खरीदा जाने वाला है, टेंडर मंगाये जाने के बाद याद रखिये कि सभी देशों में से मांगे जायेंगे—खरीदा जाएगा । मुझे इस करार का और इतिहास भी समझाने दीजिये। कुछ महीने पहले यहां किसी दल के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था—चुनांचि यह दल किसी ऋण के सम्बन्ध में अमरीका गया था—इसमें एक ही बात पर ज़ोर दिया गया था—और इस बात पर सरकार मौन रही थी कि इस दल में एक शिल्पी प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा जो यहां के किसी लोहा या इस्पात उद्योग के लिये बातचीत करेगा । तो इस तरह पहले अमरीका की बात चली, उसके बाद जापान की । और अब पश्चिमी जर्मनी की बात चल रही है—यद्यपि यह अमरीकियों के अधिकार में है —तो क्या आप अमरीका से करार नहीं करेंगे—यही मेरा प्रतिवाद है । (एक माननीय सदस्य: नहीं, नहीं) हां, मेरा यही तक़ाज़ा है, क्योंकि इसमें कुछ अन्य पेचीदगियां भी हैं । यह सच भी है क्योंकि क्रुप्पस् तथा उसी प्रकार के कई अन्य सार्थ वहां की सरकार से बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं । इनका यही इतिहास है । मानलीजिये कि कल पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी एक हों तो इन सार्थों का घर हश्र होगा ? अत: जहां स्थिति बदल रही हो, वहां सोच विचार के क़दम रखा जाना चाहिये । स्वयं जर्मनी की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही अस्थिर है । अत: उनके साथ जो भी करार किया जाय, उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

और तीसरे, मुझे यह बता दीजिये कि लोहा और इस्पात के विषय में आखिर हम बेचारे भारतीयों में किस विशेष शिल्प विज्ञान की कमी है । हम कई वर्षों से इस उद्योग को चलाते रहे हैं । हमारे हां शिल्पी, कारीगर, विशेषज्ञ और अनुभवी लोग हैं । क्या हमने उन सभी से परामर्श किया है । यदि हां, तो हमें बता दीजिये कि क्या उन्होंने भी १॥ करोड़ रुपये का परामर्श शुल्क मांगा था ।

भारत के शिल्पी चाहे कितने ही विशारद हों, बाहर के सार्थों में 'घटिया' माने जायगे, किन्तु मुझे मालूम है कि कई भारतीय विशेषज्ञ, ऊंचे परामर्श शुल्क मांगे बिना ही यह काम करने को तैयार थे । यदि माननीय मंत्री मेरी इस बात का प्रतिवाद करना चाहते हों तो उन्हें उन सब समझौतों या बातचीत का ब्योरा देना पड़ेगा जो विगत दो-तीन वर्षों में किया जा चुका है ।

मैं यह भी बता दूं कि मैं भावी बातचीत या समझौतों को धिक्कारना नहीं चाहता । सरकार इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई भी क़दम उठाये, मैं कोई भी बाधा नहीं डालना चाहता । मेरी यह अभिलाषा है कि इस देश में अधिक से अधिक लोहा-इस्पात के कारखाने बनें, किन्तु मैं यह चाहूंगा कि यह सब काम उचित ढंग से हो । मैं नहीं चाहता कि हम दस जगहों पर बातचीत करें और बाद में उस जगह जा फंसें जहां अच्छा सौदा न पटे । तो अब माननीय मंत्री को हमें इस बात का आश्वासन देना है कि भारत के बाहर ऐसा कोई भी सार्थ नहीं था—भारत को जाने दीजिये—जो खरीद से सम्बन्धित लिखत अथवा अनुपातिक न्यास के बिना ही अधिक सस्ती दरों पर तथा अधिक अच्छी प्रकार की चीज़ें देने को तैयार नहीं था । हम चाहते हैं कि यह सार्थ केवल हमारा हो, इसमें किसी भी विदेशी का हाथ नहीं देखना चाहते । हम इस पर यहां के जनसाधारण का नहीं बल्कि सरकार का अधिकार देखना चाहते हैं, औ

चाहते हैं कि यह राज्य का सार्थ बन जाये। हम सुनते हैं कि यह बिना किसी ग़ैर सरकारी पूंजी के एक राज्य-उद्योग बनने वाला है। तो क्या यह ठीक है कि युद्ध से पहले का कोई विदेश इसमें धन लगाये? हम राजनीति भूल नहीं सकते। राजनीति—विशेषत: यूरोप, एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया की राजनीति, अर्थनीति से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है।

मैं इन ही बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मशीन और संयंत्र की जगह कौनसी होगी, इसके सम्बन्ध में झगड़ा उठाना बेकार है। इससे सारी चर्चा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह किसी राग द्वेष भावना रहित, इस प्रश्न की अच्छाइयों और बुराइयों पर विचार करे, और इस बात पर कोई झगड़ा न करे कि इस मशीन और संयंत्र को मद्रास, बिहार, उड़ीसा अथवा अमुक राज्य में लगाया जाये।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान्, हमारे उत्पादन मंत्रालय के सचिव ने इकलौती शान में, यूरोप की किसी जगह में, १५ अगस्त को एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किये जो करार बन गया, और आज उसी पर विचार किया जा रहा है। इस्पात के उत्पादन के सम्बन्ध में हमारा अभिलेख यही बताता है कि इस्पात की कमी के कारण हर कोई चीज़ बिगड़ चुकी है। हमें "प्रोग्राम ऑफ इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट" नाम के पत्रक की एक प्रति दी गई चुनाचि यह पत्रक योजना आयोग ने १९५२ में प्रकाशित किया था और इसमें चालीस संरक्षित उपभोक्ता उद्योगों तथा स्वयंचल, रेल-इंजिन जहाज़-निर्माण सीने की मशीनें साइकिल आदि जैसे अन्य उद्योगों का भी उल्लेख किया गया था, जो इस्पात और लोहा न मिलने के कारण ठप्प हो गये थे। यह सब इस चीज़ के बावजूद भी हुआ है जब कि हमारे देश में बहुतात से लोहा और इस्पात का उत्पादन होता है।

श्रीमान्, १९४८-४९ में हमें १०,७०,००० रुपये देकर तीन विदेशी परामर्शदाता सार्थों की सेवायें प्राप्त हुई जिन्होंने इस बात की रिपोर्ट तैयार की कि हमें राज्य उद्यम के रूप में कहां-कहां पर १० लाख या २० लाख टन की सामर्थ्य का इस्पात कारखाना खोलना चाहिये। उन्होंने बहुत ही सावधानी से रिपोर्ट प्रस्तुत की किन्तु वे रिपोर्टें अभी भी संसद् सदस्यों को प्राप्य नहीं हैं। इस रिपोर्ट में यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि उन तीन विदेशी सार्थों में से अमरीका के मेसर्ज़ कॉपर्स कारपोरेशन ने यह निर्धारित किया था कि १९५३ में भारत को प्राकृतिक रूप से ३४,२०,००० टन लोहा और इस्पात की आवश्यकता पड़ेगी। किन्तु राष्ट्रीय योजना आयोग के अभिलेखों से हमें यह पता चलता है कि अभी हम कितने पिछड़े हुये हैं। यही कारण है कि हमें लोहा-इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने का अवसर देखना चाहिये किन्तु मुझे इस बात का निश्चय हो रहा है कि हम ग़लत रास्ते पर जा रहे हैं। सच तो यह है कि इंजीनियर सम्मेलन में श्री गिरिजा शंकर बाजपेयी द्वारा दिये गये वक्तव्य में मैंने यह पढ़ा था कि लगभग २० वर्ष की अवधि में हमें दो करोड़ टन का उत्पादन करना चाहिये, किन्तु वर्तमान स्थिति से यही पता चलता है कि हम कहीं के भी नहीं हैं।

और इधर बर्नपुर इस्पात कारखाने के साथ हमारी सरकार का जो बर्ताव है वह बहुत ही अमानवीय है। कुछ ऐसा लग रहा है कि स्वयं हमारी सरकार भारत में लोहा-इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इस कारखाने का उत्पादन दिसम्बर १९५२ में २६,६२० टन था और अब जून में यही उत्पादन ४,०२० टन रह गया है। अब बताइये

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

कि ऐसी स्थिति में वहां के कार्मिकों की इस सीधी सी मांग को कि उन्हें कार्मिक संघ पुनः संगठित करने की आज्ञा दी जाये, ठुकराया जाता है। इस करार की पृष्ठभूमि यही है। क्रुप्प फान बोहलेन, थाईसेन, देमाग आदि जैसी कम्पनियों ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था को बरबाद कर डाला और इन्हीं कम्पनियों को अब बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे वे पुनः प्रकाश में आकर दोनों ओर से मुनाफ़ा कमा रहे हैं। वे निश्चित देय के रूप में, प्राकलित लागत का ३ प्रतिशत यानी २.१० करोड़ रुपये कमा रहे हैं। अब हमें मालूम नहीं कि भविष्य में सरकार इस सम्बन्ध में क्या क़दम उठायेगी। क्योंकि आज तक सरकार ने इस दिशा में जो कुछ भी किया वह असंतोषजनक है। मैं यह भी देख रहा हूं कि इन लोगों को कई शर्तें दी जा रही हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि उन्हें बहुत मुनाफ़ा होगा और इधर हमारे इस देश में इस्पात उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई भी सच्चा प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। इस सभी के सम्बन्ध में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री जे० आर० डी० टाटा ने अपने अंशधारियों से कहा है कि सरकार ७५ करोड़ रुपये लगा कर जर्मन कम्पनी के साथ करार कर के जो काम करना चाहती है, वही काम उसकी कम्पनी ४० करोड़ रुपये लगा कर करेगी, जबकि एक और कम्पनी का यह कहना है कि यह काम ६५ करोड़ रुपये लगा कर हो सकेगा। और अब देख लीजिये कि इस व्यवस्था में १० और ३५ करोड़ रुपये मुफ्त में फूंके जा रहे हैं। मुझे इसीलिये यह कहना पड़ रहा है क्योंकि सरकार एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सार्थ के साथ करार कर रही है जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में धांधलेबाज़ी के लिये बहुत ही बदनाम हो चुके हैं। सरकार ने उन शर्तों पर करार की है जिन से हमारे देश के आर्थिक हितों को बड़ा भारी धक्का लगेगा। मेरा यह प्रतिपादन है कि यह करार पूर्णतया असन्तोषजनक है और हमें इस सम्बन्ध में सरकार के इस प्रस्ताव का घोर विरोध करना चाहिये।

सेठ गोविंद दास (मंडला-जबलपुर—दक्षिण) : सभापति महोदय, मेरे पास सिर्फ पांच मिनट हैं और मुझे जो कुछ कहना है मैं बहुत जल्दी कह दूंगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने किस प्रकार यह धारणा बनाई कि उन्हें पांच मिनट बोलने का समय मिलेगा ?

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : कृपा कर के मुझे भी पांच मिनिट दीजिए क्योंकि मैं भी इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाहता हूं।

सेठ गोविंद दास : मैं समझता हूं कि मेरा वह समय नहीं काटा जायगा जो कि आप ने और दास साहब ने ले लिया है।

जहां तक इस्पात के कारखाने का सम्बन्ध है सब से पहले तो मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार इस बहुत बड़ी कमी की पूर्ति कर रही है। और मुझे इस बात का भी विश्वास है कि इस में हमारे देश के जो लाभ हानि के मामले हैं वे पूरी तरह से देखे जायेंगे। श्री टी० एन० सिंह साहब ने एक यह बात कही कि हम को इस विषय पर विचार करने की या इस विषय को उठाने की आवश्यकता नहीं है कि यह कारखाना कहां स्थापित किया जायगा। वह उत्तर प्रदेश के सदृश एक महान प्रदेश से आते हैं जो कि अत्यन्त धनवान प्रान्त है, हमारे देश का सब से बड़ा प्रान्त है। उन को तो यह कहना बहुत सरल है, लेकिन उड़ीसा वाले या मध्य प्रदेश वाले जो कि गरीब लोग हैं इस प्रकार की उदारता नहीं दिखा सकते। हम सारे देश को एक दृष्टि से देखते हैं यह

मैं आप से कहना चाहता हूं और हमारे लिये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार सब एक से हैं, सब भारत के टुकड़े हैं। परन्तु यह सब देखते हुए हमें यह देखना होगा कि सब से अधिक सफल वह कारखाना कहां होगा। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यह बात सही है या नहीं कि जहां तक इस्पात के इस कारखाने के लिए लोहे के खनिज पदार्थ का सम्बन्ध है, जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, जहां तक चूने के खनिज पदार्थ का सम्बन्ध है, जो चीज़ें इस कारखाने के उत्पादन के लिये बहुत आवश्यक हैं, उन के पास रिपोर्ट आयी है या नहीं कि मध्य प्रदेश इस सम्बन्ध में सब से उत्तम स्थान है ?

इस के बाद दो चीज़ें और आती हैं, एक बिजली और दूसरा पानी ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : माननीय सदस्य ने आसाम को क्यों छोड़ दिया ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को भाषण करने दीजिये ।

सेठ गोविंद दास : इन तीन पदार्थों के बाद जिन दो चीज़ों के प्रश्न और उठते हैं, ये हैं कि एक बिजली और दूसरा पानी। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने उन से यह बात कही है या नहीं कि हमारे यहां रायपुर में बिजली का थरमल स्टेशन है जो कि बहुत बड़ा स्टेशन है और हमारे प्रान्त की सरकार उस स्टेशन से .....

श्री टी० एन० सिंह : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं । यह चर्चा करार तक ही सीमित है, अतः वे करार तथा उस पर दिये गये वक्तव्य तक ही सीमित रहें, स्थान के सम्बन्ध में यह प्रश्न असंगत है

श्री रघुनाथ सिंह (ज़िला बनारस—मध्य) : विषयान्तर हो रहा है ।

सभापति महोदय : ऐसा लग रहा है कि श्री रेड्डी द्वारा दिये गये वक्तव्य में करार के प्रति कोई भी निर्देश नहीं है ।

श्री के० सी० रेड्डी : उक्त वक्तव्य करार के सम्बन्ध में है, और उस वक्तव्य में एक ऐसा वाक्य है जो करार की ओर निर्देश करता है ।

सेठ गोविंद दास : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता था आप से कि जहां तक इन तीन खनिज पदार्थों का सम्बन्ध है उस के अतिरिक्त दो प्रश्न और उठते हैं एक बिजली का और दूसरा पानी का । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने उन से यह बात कही है या नहीं कि रायपुर में हमारे यहां पर थरमल प्लांट है और उस से ....

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : पाइंट आफ आर्डर । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ने कहा कि लोहा बनाने के लिए कोकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती है। वह सिवाय बिहार के और कहीं नहीं है ।

सभापति महोदय : औचित्य-प्रश्न उठाने के बाद माननीय सदस्य उठ कर भाषण देने लगते हैं। उन्हें इस प्रकार अन्तर्बाधा डालने की आज्ञा नहीं मिलेगी ।

सेठ गोविंद दास : सभापति जी, मेरे भाषण के बीच बीच में जो मेरा समय गया है उस को भी आप कृपया घड़ी में देख लें ।

मैं बहुत जल्दी खत्म करना चाहता हूं लेकिन कई लोग बीच में समय ले लेते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं । मैं यह कहा रहा था कि मध्यप्रदेश की सरकार ने इस बात को माननीय मंत्री जी को लिखा है या नहीं कि जो रायपुर का बिजली का थरमल प्लांट है वहां से वह अपने खर्चे पर उनको यथेष्ट

[सेठ गोविन्द दास]

बिजली देगी और जहां तक पानी का सम्बन्ध है वहां तक तन्दुला नहर से पानी जायगा जिस पर मध्यप्रदेश की सरकार अपनी ओर से ६ करोड़ रुपया खर्च करने को तैयार है इस प्रकार से यदि आप देखें तो लोहे के पत्थर की दृष्टि से, चूने के पत्थर की दृष्टि से, कोयले की दृष्टि से, बिजली की दृष्टि से और पानी की दृष्टि से, सब दृष्टियों से हमारा मध्य प्रदेश सब से अच्छा है ।

फिर उत्पादन के खर्च और वितरण के खर्च का प्रश्न आता है । वहां पर यह भी बहुत सस्ता हो सकता है, और इस के बाद अनेक दूसरी परिस्थितियां आती हैं जैसे सुरक्षा । मध्य प्रदेश बीच में होने के कारण सुरक्षा भी वहां पर इस कारखाने को जितनी मिल सकती है उतनी कदाचित् किसी और जगह नहीं मिल सकती ।

(सिंहासन सिंह बीच में बोले)

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य वहां से इस लिये चिल्ला रहे हैं कि कार्यवाही बन्द की जाय ।

श्री सिंहासन सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं ने तो यह कहा कि विषय तो है लोहे का .....

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य की इस अन्तर्बाधा को समझ नहीं सकता । मैं उन से चिल्लाने की मनाही करता हूं और वे भाषण देने लगते हैं । भला इस प्रकार सदन में विवाद कैसे चलाया जा सकता है ?

सेठ गोविंद दास : मैं, सभापति महोदय, आप से यही निवेदन करूंगा कि मैं तो आप के सामने उन विशेषज्ञों की राय भी पढ़ना चाहता था .....

श्री सिंहासन सिंह : हाउस में डिबेट होने के लिये रूल यह है कि जो सदस्य बोलें, वे विषयान्तर न करें । हमें अधिकार है कि सभापति महोदय का ध्यान इस तरफ दिलावें कि विषयान्तर की बातें हो रही हैं ।

सभापति महोदय : इन को ज्यादा से ज्यादा तीन या चार मिनट के लिये बोलने का समय मिलेगा । उसी में जो कुछ इन को बोलना है वह बोल सकेंगे । तो इस में बहुत बाहर की बातें यह कहां से कह सकेंगे, इस में इर्रेलैवैंस (असंगति) का सवाल कहां है ?

माननीय सदस्य से मेरी यह प्रार्थना है कि वह अपनी टिप्पणी बन्द करें ।

सेठ गोविंद दास : जहां तक मेरा अनुभव है, मैं ने आज तक कोई विषयान्तर नहीं किया । लोहे के, इस्पात, के कारखाने का जो सवाल उपस्थित है उस के सम्बन्ध में जितनी बातें होंगी, बिजली होगी, कोयला होगा, पानी होगा, पत्थर होगा, वह सब आप के सामने रखनी होंगी । मैं इस विषय में अनेक विशेषज्ञों की राय भी बतलाना चाहता था, लेकिन मेरे पास समय नहीं है ।

मैं कहना चाहता हूं कि समूचा भारत हमारे लिये समान रूप से प्रिय है, लेकिन यह इस्पात का कारखाना कहां स्थापित होने से सब से अधिक लाभप्रद होगा, यह बात मैं आप के सामने रखना चाहता हूं । मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि उन के पास क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार के पूरे प्रमाण उपस्थित किये हैं या नहीं कि जिन से सिद्ध हो जाता है कि मध्य प्रदेश ही इस कारखाने के लिए सर्वोत्तम स्थान है ?

सभापति महोदय : श्री बी० दास । मैं माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि वे प्रश्न ही पूछें ।

श्री बी० दास : मैं माननीय उत्पादन मंत्री द्वारा अपने मित्र श्री टी० एन० सिंह

से यह पुछवाना चाहता हूं कि क्या इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में अमरीकी सलाहकारों ने 'न स्वयं लाभ उठाओ और न दूसरे को लाभ उठाने दो' वाली नीति तो नहीं अपनाई और विगत तीन वर्ष से उन्हों ने इस्पात की मशीनों आदि का भारत में आना रोक तो नहीं रखा है। कितना ही अच्छा होता यदि मेरे मित्र श्री टी० एन० सिंह को इस बात का पता चलता कि डलेस, आदि अमरीकी लोगों ने हमारे साथ कितना धोखा किया। मुझे अपने मित्र श्री एच० एन० मुकर्जी पर भी आश्चर्य हो रहा है कि वह जर्मन-द्वेषी बनते जा रहे हैं। हम यहां ऊंची राजनीति पर चर्चा नहीं कर रहे। यदि हम करें भी तो मैं आप से कहूंगा कि जर्मनों ने हमारे शत्रुओं —अंग्रेज़ों—के विरुद्ध लड़ा। और आजकल चूंकि लोगों को जर्मनी से द्वेष हो रहा है अतः वे अमरीका के सहारे लटकना चाहते हैं। किन्तु अमरीकी ऐसा नहीं करने देंगे। अमरीकी और अंग्रेज़ भारत में औद्योगिक प्रसार के विरुद्ध हैं। श्री मुकर्जी ने टाटा, और अन्य सार्थों के नाम उद्धृत किये। टाटा वाले हर कोई काम करना चाहते हैं ? हम ने उन्हें सुरक्षा के रूप में ७० से ८० करोड़ तक की राशि दी है, वे अब अपने पैरों पर क्यों खड़ा नहीं रह सकते ? माननीय मंत्री के वक्तव्य में इस प्रकार के कई आरोप थे कि भारतीय निर्माता अन्य इस्पात सार्थों की स्थापना के विरुद्ध काम कर रहे हैं। किन्तु कई कठिनाइयां थीं और कई बार इस बात को स्थगित किया गया था। भला बताइये कि डा० श्याम प्रसाद मुकर्जी के दिनों में और ब्रिटिश राज्य में क्या हुआ। सभी उन बातों को जानते हैं। मैं उड़ीसा की बात तो नहीं कर रहा। चूंकि उद्योग तथा रसद मंत्रालय में कई ऐसी बातें हुईं, जिन के परिणामस्वरूप उड़ीसा संयंत्र कभी भी स्थापित नहीं किया जा सका। यही कारण है कि स्कोब और एक और कम्पनी मिलाई गईं जिस के परिणामस्वरूप आज बर्नपुर श्रमिक अन्तर्द्वन्द्व चल रहा है। वे इस प्रकार की सहायता पाने के योग्य नहीं थे। मैं इस बात के विरुद्ध था ; किन्तु पार्टी के कारणों से मुझे इस का समर्थन करना पड़ा। मान्य मंत्री मेरे मित्र श्री टी० एन० सिंह को ये सब बातें समझायें। (कई माननीय सदस्य : सदन को) डा० श्याम प्रसाद मुकर्जी के दिनों में ऐसी बातें हुईं। यदि हम जर्मन सार्थों के सहयोग और परामर्श से इस्पात की मशीनें मंगवायें और चलायें तो हमें कभी भी खेद प्रकट नहीं करना पड़ेगा।

पंडित लिंगराज मिश्र (खुर्दा) : सेठ गोविन्ददास ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि लोहा तथा इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये मध्यप्रदेश ही सर्वोत्तम है। आयव्ययक के चर्चा के दिनों मैंने भारतवर्ष की भूमि परिमाप के शासकीय प्रतिवेदनों से तथ्य तथा आंकड़े तथा भौमिकीविद् तथा विशेषज्ञों के मत देते हुए यह सिद्ध किया था कि इन लोगों के विचार से उड़ीसा प्रांत ही लोहा तथा इस्पात संयंत्र के स्थापन के लिए सर्वोत्तम है। उन्होंने अपने यहां के तापीय स्टेशन का तो हवाला दिया है किन्तु हीराकुंड बांध परियोजना जो कि ९२ करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रही है उस का कोई हवाला नहीं दिया। हीराकुंड बांध परियोजना से ३ लाख किलोवाट बिजली तैयार होगी किन्तु परियोजना की पिछली जांच के प्रतिवेदन के आधार पर ज्ञात हुआ है कि बांध के निकटवर्ती उद्योगों में केवल ६५ हज़ार किलोवाट बिजली खर्च होगी। यदि भारत सरकार उस के लिये दिये गये धन को जो कि उड़ीसा सरकार ने दिया है वापिस करना चाहती है तो मैं समझता हूं कि इस सयंत्र की स्थापना के लिये उड़ीसा ही प्रथम स्थान है। यदि इस प्रकार का कोई दूसरा संयत्र लगाना है तो उस के लिये मध्यप्रदेश ठीक हो सकता है।

ठाकुर जुगल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर—उत्तर पश्चिम) श्री टी० एन० सिंह के अपील करने पर मैं यह सोच रहा था कि स्थान निर्णय का सवाल अभी पेश किया जाय या नहीं। फिर भी अन्य प्रान्त के लोगों ने इस सवाल को हमारे सामने रखा है। मैं भी एक प्रान्त से आया हूं लेकिन अपन प्रान्त की दृष्टि से मैं आप के सामने इस प्रश्न को नहीं रखना चाहता हूं। मैं सिर्फ़ देश की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करने की आप से अपील करता हूं।

पिछली २४ तारीख़ को जब हमारे प्रोडक्शन मिनिस्टर ने यह कहा था कि इकानामी आफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही एकमात्र आधार उन के सामने होगा, इस बात का निर्णय करने के लिये कि किस स्थान पर यह कारखाना खोला जाय, तो इस सम्बन्ध में कुछ बातें करना ज़रूरी हो जाता है। मैं उस में सिर्फ़ एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि उन को यह भी कहना चाहिये था कि जल्द से जल्द यह कारखाना कहां खोला जा सकता है। जहां तक इकानामिक डिस्ट्रीब्यूशन और इकानामिक प्रोडक्शन का सवाल है, मैं समझता हूं कि रा मैटरीरियल्स के बारे में हमारे कुछ दोस्तों ने कहा है कि लोहा, चूना और कोयला, ये सारी चीज़ें उन के प्रान्तों में सस्ती मिल सकती हैं। ये बातें यहां कहने से ही प्रमाणित नहीं समझी जा सकती। उस के फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं। बड़े बड़े विशेषज्ञों ने इन की जांच की है और जांच कर के उन्हों ने बतलाया है कि दूसरे प्रान्तों में ये चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं। प्रोडक्शन के मामले में सभी विशेषज्ञों ने जो अब तक रिपोर्ट दी है, उस म सबों ने एक ही जगह बताई है कि जहां चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं, लोहा सस्ता बन सकता है।

जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, इस के बाहर भेजने के खर्च का सवाल है, उस में कुछ मतभेद हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि एक साइट ठीक है दूसरों का कहना है कि दूसरा साइट ठीक है। दो तीन तरह की साइट उन्होंने बतलाई हैं। किसी ने कहा कि फलां साइट अच्छी है और किसी ने कहा है कि दूसरी साइट अच्छी है। मैं चाहता हूं कि आज इस का भी ऐलान हो जाना चाहिये। पहले जो एक कमेटी बनी थी उस ने एक सिफारिश की है। उस के बाद एक्सपर्ट लोगों ने दूसरी सिफारिश की है। उस के बाद से अब तक की स्थिति में बहुत भारी तबदीली हो गई है।

इसलिए मैं चाहता हुं कि ऐक्सपर्ट लोगों ने उस समय जो कुछ देखा था, जांच की थी और तय किया था, जैसे वाटर सप्लाई के बारे में, ट्रान्सपोर्ट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जो तबदीली हुई है, उस की पूरी तरह जांच करने के बाद ही कोई साइट का निर्णय किया जाय और इस सम्बंध में हर प्रान्तीय सरकार को अपनी अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाय, ताकि वे अपनी बातें रख सकें। इस में किसी भी सरकार को वंचित न किया जाय। इस सब के बाद ही साइट का निर्णय हो कि कहां जल्द से जल्द और सस्ता लोहा बन सकता है।

श्री जोशिम अलवा (कनारा) : मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे देश में इस्पात का उत्पादन कैसा है ? सन् १९१३ में कस ने लोहा उत्पादन का लक्ष्य ४२ लाख टन रखा था जबकि हम सन् १९५७ में केवल २७ लाख टन पैदा करने जा रहे हैं। इस्पात उत्पादन के मामले में यह बड़ी निराशाजनक बात है और विशेष रूप से उस समय जबकि हमें जहाज़ों, मोटर कार आदि, वायुयानों

तथा भारतवर्ष को विदेशी तथा शत्रु आक्रमणों से बचाने के लिये शक्तिशाली बनाने के लिए इस की अत्यधिक आवश्यकता है ।

सन् १९४६ में श्री स्टालिन ने युद्धपूर्व योजना बनाई ताकि उत्पादन लक्ष्य ६ करोड़ टन हो जाय । अधिक उत्पादन कर्ताओं में अमरीका में इस का उत्पादन ८ करोड़ टन तक पहुंचा । पोलैंड आजकल ५० लाख टन प्रति वर्ष पैदा करता है । मेरी समझ में नहीं आता कि फिर भारतवर्ष अधिक उत्पादन का प्रयत्न क्यों नहीं करता, चाहे वह उत्पादन जर्मनों के, अथवा वह जापानियों के अधिकार में ही क्यों न हो । अमरीका को २५ वर्ष तक के लिए पट्टा दिया गया है । हम नहीं चाहते कि वे युद्धकाल में हमें तेल देना बन्द कर दे तथा इस पट्टे की अवधि के उपरान्त वे अपनी बन्दूकों से हमारा पीछा करें । किन्तु फिर भी इस्पात को हम उच्चतम प्राथमिकता देना चाहते हैं । हमारे राष्ट्रीय जीवन, हमारी रक्षा तथा हमारे उद्योगों के लिए इस्पात ही वास्तविक शक्ति है । रूस में जब स्टालिन ने इस्पात उत्पादन की योजना तैयार की तो वहां उपभोक्ताओं के प्रयोग की सामग्रियों का उत्पादन बन्द कर दिया गया था । किन्तु यहां भारतवर्ष में इस्पात उत्पादन के प्रति हम अपना कर्तव्य भूल बैठे हैं । १९५१ में लगभग १७८,००० टन इस्पात का आयात किया गया । हमारे यहां लगभग १५ या २० करोड़ टन कच्चा लोहा मिलता है जिस में ५०-६० प्रतिशत लोहा होता है जो कि विदेशों की अपेक्षा में ४० प्रतिशत बैठता है । किन्तु इस से हम लाभ नहीं उठा रहे हैं । हमें आज आवश्यकता है कि तीन स्थानों पर तीन कारखाने और बनें । और वे सभी प्रथम श्रेणी के हों । हम किसी एक का आधिपत्य नहीं चाहते । स्थान चयन की महत्ता तो द्वितीय है । उच्चतम महत्ता तो इस्पात उत्पादन को देनी है चाहे वह जर्मनों के तत्वावधान में हो अथवा जापानियों के--किन्तु अमेरिकनों के तत्वावधान में बिल्कुल भी नहीं; और वह समझौता सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये । इस समझौते में चाहे कुछ कमी हो किन्तु फिर भी हम उस का स्वागत करते हैं । हमारे यहां इस्पात के अधिक कारखाने होंगे इस प्रकार इस्पात का अधिक उत्पादन होगा, अधिक कारखाने होंगे तो नौजवानों को अधिक मात्रा में काम मिलेगा, हमारी आर्थिक व्यवस्था की कमी, सुरक्षा की कमी, दूर होगी, तथा बड़े बड़े कारखानों में उन्नति होगी, इस प्रकार भारतवर्ष का उज्ज्वल भविष्य और भी सुरक्षित हो जायगा ।

१ बजे मध्यान्ह

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : मेरी समझ में यह नहीं आया कि इस समझौते में स्थान के बारे में क्यों नहीं तै किया गया । भारतवर्ष के बाजार भावों के अनुसार ही हमें इस क्षत्र में काम करना होगा । अतएव स्थान भी ऐसा होना चाहिये कि जहां इस्पात का उत्पादन सस्ता हो । हमें इस समय कम मूल्य के उत्पादन की आवश्यकता है । क्योंकि उस के उपयोग का भी प्रश्न तो सोचना होगा ।

आप इस से सहमत होंगे ही कि उत्पादन मूल्य में तीन बातें काम करती हैं । सर्व-प्रथम कच्चे माल के इकटठा करने का मूल्य, दूसरे वहन शुल्क, तीसरे विद्युत व्यय मेरे विचार से ये तीनों बातें बिहार के सिंदरी में मिलती हैं । कच्चे माल की तुलनात्मक मूल्य का मुल्यांकन करने के उपरान्त यह सिद्ध हो गया है कि सिंदरी ही सस्ता स्थान है । दूसरे यातायात के विचार से भी सिंदरी भारतवर्ष की रेल योजना की मुख्य लाइन पर है । तैयार माल के लिये हम शीघ्र ही कलकत्ता

[श्री एल० एन० मिश्र]

जा सकते हैं जहां कि इस्पात के माल के लिये सबसे अच्छा बाजार है यदि सिंदरी में यह बनता है तो जमशेदपुर कोयला ले जाने वाले खाली वैगनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। विद्युत के लिये भी सिंदरी दामोदर घाटी योजना के मध्य में होने के कारण यहां काफ़ी मात्रा में विद्युत एवं पानी प्राप्य है। अतएव मैं समझता हूं कि इन तीन बातों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि इस्पात सयंत्र के लिये सिंदरी का अधिकार अधिक है (समय समाप्त होने की घंटी बजती है) मैं यह नहीं समझ सका कि इस सम्बन्ध में प्रदेशीकरण को इतना महत्व क्यों दिया गया है। इस 'परमाणु युग' में यह बात अधिक महत्व की नहीं है कि यह कहां बनता है। मैं तो कहता हूं कि यह वहीं बने जहां कि इस्पात का उत्पादन सस्ता, तथा जल्दी से जल्दी और अच्छा से अच्छा बने।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : सदन के किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि इस्पात परियोजना अनावश्यक, तथा देश की आवश्यकताओं को देखते हुए इस्पात के अधिक उत्पादन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस के अधिक उत्पादन के सम्बन्ध म ही अधिक चर्चा की गई है। इस परियोजना की स्थापना के लिए हमारा समझौता जर्मन फर्मों के संगठन से हो गया है इस के लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। सरकार का विचार निकट भविष्य में बहुत शीघ्र ही ५ लाख टन की एक दूसरी परियोजना बनाने का है। सरकार को इस बात का पूरा ज्ञान है कि देश में इस्पात उत्पादन को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। दूसरे देशों के इस्पात उत्पादन की अपेक्षा हम बहुत पिछड़े हैं तथा अपने देश में इस का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें पूरा पूरा प्रयत्न करना होगा। हमारी वर्तमान आवश्यकता जो कि पड़ौस की है वह लगभग २० लाख टन ह। १९५७ तक हमारी आवश्यकता जिस का अनुमान कम से कम स्तर पर किया गया है वह २०,८०,००० टन होगी, और हमारा उत्पादन कुल मिला कर लगभग १०,६५,००० टन होगा। अतएव शीघ्रतर आवश्यकता जिस की हमें देश में पूर्ति करनी है वह है एक इस्पात सयंत्र चालू करना जो कम से कम १० लाख टन इस्पात उत्पादन कर सके। इस को दृष्टिगत रखते हुए हम नें शीघ्र ही एक परियोजना चालू करने की सोची है।

श्री सिंह ने कई प्रश्न उठाये हैं जिन में से कुछ छोटे हैं। बड़े प्रश्नों में उन्होंने एक प्रश्न में कहा है कि क्या कोई और दूसरा दल नहीं था जिस के बारे में कि हम सोच सकते। उन्होंने जर्मनी की राजनैतिक स्थिति का हवाला दिया है और कहा है कि और भी दल हो सकते थे जिन से कि हम बातचीत कर सकते थे। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की परियोजना की स्थापना के लिए जितने भी संभव दलों से बातचीत की जा सकती थी उस के लिये सरकार ने पूरा पूरा प्रयत्न किया है।

सर्वप्रथम हम यह निश्चित करना चाहते हैं कि यह परियोजना राज्य परियोजना थी और राज्य की उस परियोजना पर पूरा अधिकार था। दूसरे हम ऐसे उचित प्रवधिक सहायता चाहते थे जिन की विद्वता, जिन की योग्यता, जिन की सुघड़ता के बारे में कोई प्रश्न न किया जा सके, एवं जिन में हमारा पूरा पूरा विश्वास हो। ऐसे व्यक्तियों की तलाश हम पिछले दो तीन वर्षों से कर रहे थे। हम ने अमरीका, जापान के हितों से सम्बन्ध स्थापित किया, हम ने यह भी देखने

का प्रयत्न किया इंगलैंड के हितों से हम को क्या लाभ हो सकता है ? हम ने सभी उपयुक्त साधनों का उपयोग करने का प्रयत्न किया, और मैं अब विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में इस जर्मन फर्मों के संगठन के साथ हमारा यह समझौता सब से अच्छा है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या हम ने इंगलैंड की फर्मों से अथवा वहां की सरकार से भी इस सम्बन्ध में बातचीत की थी, और उस में क्या हुआ ।

श्री क० सी० रेड्डी : हम ने प्रत्यक्ष रूप से तो इंगलड की सरकार से कोई बातचीत नहीं की; और इस प्रकार के मामलों में साधारण रूप से हम किसी सरकार से बातचीत नहीं करते हम तो सम्बन्धित दलों से ही बातचीत करते हैं । मेरा तो यह कहना है कि समस्त संसार में यदि कोई अकेली फर्म है जो कि इस्पात उत्पादन का काम जानती है, जो इस के बारे में सभी बातें विस्तृत रूप से जानती है, और जिन्हें इस क्षेत्र का विशेषज्ञ कहा गया है तो मैं कहूंगा कि वह "डिमाग एन्ड किरूप्स" हैं । हमारे देश में भी "भद्रावती लोहा और इस्पात वर्क्स" सयंत्र को लगाने का सारा उत्तरदायित्व 'डिमाग' के ऊपर ही है । मैं निःसंदेह कह सकता हूं कि जर्मन प्रवधिक सहायता भारतवर्ष के लिये बहुत ही लाभदायक तथा मंगलमयी रहेगी ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या यह वही फर्म है जिस से पाकिस्तान सरकार न अपने यहां परियोजना चालू करने के लिये जांच कराने के लिए सहायता ली थी ।

श्री के० सी० रेड्डी : आप बिल्कुल ठीक कहते हैं । माननीय मित्र श्री टी० एन० सिंह ने पूछा है कि एक ही आदमी क्यों भेजा था ? इस बारे में मैं ठीक प्रकार से तो नहीं कह सकता कि उस की गलत फहमी क्या थी किन्तु इतना अवश्य है कि इस बातचीत के बीच में जर्मनी स्थित भारतीय राजदूत भी श्री चन्दा उत्पादन मंत्रालय के सचिव के साथ बराबर रहे थे ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं यह जानना चाहता था कि विशेषज्ञों तथा इंजीनियरों का एक दल क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह एक नीति की बात है । कभी कभी हम जल्दी काम करना चाहते हैं ।

डा० जयसूर्य (मेदक) : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि जो महानुभाव जर्मनी गये थे उन की प्रवधिक योग्यता क्या थी ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस के लिय इतनी प्रवधिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है । इस के लिये तो साधारण जानकारी ही यथेष्ट है । सरकार को प्रत्येक बातचीत का जो कि वहां जर्मनी में जर्मन फर्मों तथा यहां के प्रतिनिधि के बीच चल रही थी उस का पूरा पूरा ज्ञान था । उस की सूचना बराबर आ रही थी । प्रगति पर वादविवाद करने के लिए भी मंत्रिमंडल की बैठक भी होती थी, किसी विशेष प्रस्ताव के लाभ एवं हानि के बारे में भी वादविवाद हुआ और तदोपरांत अन्तिम निर्णय के आधार पर उन पदाधिकारी को भेजा गया था । माननीय मित्र का दिया गया वक्तव्य कि प्रारम्भिक समझौते पर बम्बई में हस्ताक्षर हुए, गलत है ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रारम्भिक समझौते को हस्ताक्षर होने से पूर्व सरकार ने विस्तृत रूप से देख लिया था ?

श्री के० सी० रेड्डी : समझौते के मुख्य मुख्य शीर्षक तथा उस का तथ्य सरकार के

[श्री के० सी० रैडडी]

सम्मुख है, मंत्रिमंडल ने इन सभी शीर्षकों पर पूर्ण रूप से विचार किया है । जर्मनी में इस समझौते के सम्बन्ध में हुई बातचीत से सरकार पूर्ण रूप से सन्तुष्ट है । सरकार को संतोष है कि सर्वोत्तम समझौता हुआ है । विशेष शीर्षकों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से समझौता होना अभी शेष है । जर्मनी के विशेषज्ञों का दल सितम्बर के अन्त में यहां आ रहा है । और तब अन्तिम समझौता के बारे में निर्णय होगा ।

श्री टी० एस० सिंह ने प्रबन्ध तथा निदेशक मण्डल के सम्बन्ध में एक या दो प्रश्न पूछे । बाद में यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जर्मन फर्मों के संगठन और निर्देशक मण्डल का प्रतिनिधित्व उन के द्वारा अन्तिम रूप से लगाई जाने वाली पूंजी के अनुपात में होगा । वह कुछ उदाहरण दे रहे थे, कि यदि वह ५०,००० रुपये अथवा एक लाख रुपये या तीन लाख रुपये हों तो अनुपात क्या होगा आदि । हिसाब लगाने पर आप पायेंगे कि ७२ करोड़ में से .....

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर---दक्षिण) : दो करोड़ और दस लाख रुपये की फीस में परामर्श की कौन सी मदें सम्मिलित की जायेंगी ?

श्री के० सी० रेडडी : मैं इस का उत्तर बाद में दूंगा । श्री टी० एन० सिंह ने पूछा कि उन में क्या अनुपात होगा । उत्तर सीधा है । जितनी वे पूंजी लगायेंगे उसी अनुपात में निदेशक मण्डल में उन का प्रतिनिधित्व होगा । यदि उन की पूंजी नगण्य होगी तो नौ या दस स्थानों में से उन को एक भी नहीं मिलेगा । इस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा । यह बात बिलकुल सीधी और स्पष्ट है । जैसी कि हमें आशा है , यदि वे नौ करोड़ रुपये की पूंजी लगाते हैं, तो निदेशक मण्डल में लगभग सात सदस्य लिये जायेंगे और वे एक में सम्मिलित किये जा सकते हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : प्रारंभिक करार के अनुसार प्रतिनिधित्व होना चाहिये । पर प्रतिनिधियों की संख्या क्या होगी ? यह चीज़ लगाई गई पूंजी के अनुसार निश्चित करनी पड़ेगी । लेकिन मैं समझता हूं कि पूंजी चाहे जितनी भी हो, प्रतिनिधि एक होना चाहियें ।

श्री के० सी० रेडडी : मैं ने इस सदन में यह कहा था कि प्रबन्धक कम्पनी एक ऐसे मण्डल में निहित की जायेगी जिस में सरकार और जर्मनों का प्रतिनिधित्व उन की पूंजियों के अनुपात में होगा । श्री टी० एन० सिंह कहते हैं कि यह एक बिना किसी शर्त वाला वक्तव्य है । ऐसी बात नहीं है । मुख्य नीति स्पष्ट रूप से बता दी गई है और इस संबंध में माननीय श्री सिंह को किसी प्रकार के सन्देह नहीं होने चाहियें ।

फिर श्री सिंह ने यह पूछा कि क्या हम ने अपने सयंत्र के लिये जर्मन फर्म को आदेश देने का निश्चय कर लिया है । जैसा कि मैं कह चुका हूं, संसार के सारे भागों से टेण्डर मांगे जायेंगे और तब उन में से किसी एक को कुछ आवश्यक बातों का, अर्थात्, गुण, माल देने का समय आदि ध्यान रखते हुए स्वीकार किया जायेगा । अतः हम यह नहीं कह सकते कि हम अपना अधिकांश सयंत्र जर्मनों से लेंगे । परन्तु यह अनुमान है कि इस क्षेत्र में जर्मन लोग दक्ष हैं । संभव है कि संयंत्र का बड़ा भाग हम जर्मनों से खरीदें ,और यदि ऐसा होता है, जिस की हमें आशा है, तो उन की पूंजी, हम को अन्तिम रूप से दिये जाने वाले संयंत्र के मूल्य के अनुपात में होगी । श्री सिंहने पूछा कि अनुपात क्या है । इस संबंध में

सूत्र यह है : यदि आदेशों का मूल्य प्रथम दो करोड़ डालरों के बराबर हो, तो जर्मन पूंजी उस की २५ प्रतिशत होगी । द्वितीय दो करोड़ डालरों के बराबर होने तक, वह ३० प्रतिशत होगी । ४ करोड़ डालरों के ऊपर वह ३३ १/३ प्रतिशत होगी । लेकिन अधिकतम पूंजी २ करोड़ डालर हो सकती है । पूंजी के सम्बन्ध में हमारा यही करार हुआ है ।

करार के राजनैतिक पहलू की ओर निर्देश किया गया है । इस संबंध में अनेक काल्पनिक बातें कही और पूछी गई हैं । इस विषय में उन बातों का उत्तर दे कर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता । सभी जगह राजनैतिक दशायें इतनी अनिश्चित हैं कि संसार के किसी भी भाग में कुछ भी हो सकता है । और इस कारण हमें अपना कार्यक्रम नहीं रोक रखना चाहिये । काल्पनिक भयों से हमें परेशान नहीं होना चाहिये क्योंकि इन मामलों में कोई भी चीज़ संतोषजनक रूप से करने के लिये हमें कुछ जोखिम लेना पड़ेगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या सरकार न क्रुप-डेमाग के साथ करार के परिणाम और हमारे विद्यमान इस्पात संयंत्रों के ऐसे समय पर विस्तार के बीच देश पर आने वाली लागत की तुलनात्मक परीक्षा की है, जब कि हम देखते हैं कि एक दस लाख टन का इस्पात संयंत्र आधी लागत पर लगभग ३५ करोड़ रुपये में स्थापित किया जा सकता था ।

श्री के० सी० रेड्डी : मैं इसी के सम्बन्ध में कहने जा रहा था कि माननीय सदस्य ने मुझे बीच में टोक दिया ।

उन्हों ने श्री टाटा के एक भाषण की ओर निर्देश किया । मुझे पता नहीं श्री टाटा के ठीक ठीक शब्द क्या थे, पर यह मान कर कि जो उद्धरण दिया गया है वह सही है, मैं सदन की सूचना के लिये निम्न बात का उल्लेख करना चाहता हूं ।

टाटा, भारतीय इस्पात कम्पनी तथा मैसूर इस्पात कम्पनी, तीनों के हाथों में विस्तार कार्यक्रम है । इन कम्पनियों को अपने विस्तार कार्यक्रम के लिये ७२ करोड़ रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी : टाटा लौह और इस्पात कम्पनी के लिये ३३ करोड़ रुपये, भारतीय इस्पात कम्पनी (इस्को), प्रथम अवस्था ५ करोड़ रुपये और द्वितीय अवस्था ३१ करोड़ रुपये, और मैसूर लोहा तथा इस्पात ३ करोड़ रुपये । जैसा कि मैं बता चुका हूं यह विस्तार कार्यक्रम वर्ष १९५७ में पूर्ण होगा । लेकिन उत्पादन में वृद्धि के रूप में परिणाम क्या होगा ? १९५२ में इन तीनों संयंत्रों में उत्पादन लगभग १,१००,००० टन है । इन सब विस्तार कार्यक्रमों के पूर्ण हो जाने पर उत्पादन १,६५०,००० टन होगा । इस प्रकार ५००,००० टन से कुछ अधिक वृद्धि होगी । मैं माननीय सदस्य से पूछता हूं कि क्या इस्पात के उत्पादन में ५०० हजार टन की वृद्धि के लिये, आजकल की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए, ७२ करोड़ रुपया व्यय करना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकजी : यदि ऐसा है, तो किस आधार पर हम यह आशा करते हैं कि यह ७२ करोड़ रुपये का भारत-जर्मन संगठन चार वर्ष में लगभग ५ लाख टन इस्पात उत्पादित करेगा ।

श्री के० सी० रेडडी : मैं माननीय सदस्य की बात ठीक से समझ नहीं पाया ।

डा० जयसूर्य : प्रतिष्ठापित सामर्थ्य क्या है लाख १० लाख या ५ लाख ?

श्री के० सी० रेड्डी : प्रारम्भ में ५ लाख टन की सामर्थ्य, जो यथासमय बढ़ कर १० लाख टन हो सकती है ।

डा० जयसूर्य : ५ लाख के लिये ७२ करोड़ रुपये ....क्या आप नहीं समझते कि यह अनुकूलतम से कम है ?

श्री क० सी० रेड्डी: पांच लाख टन का संयंत्र स्थापित करने के लिये ७२ करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है, लेकिन यदि हम उस की सामर्थ्य १० लाख टन तक बढ़ा दें तो मूल पूंजी इसी अनुपात से कम होगी । अभी कोई अनुमान नहीं लगाया गया है, लेकिन संभव है कि ४० या ४५ करोड़ रुपये और लगाने से उस संयंत्र की सामर्थ्य १० लाख टन हो सकती है । अतः मेरे माननीय मित्र का तर्क सर्वथा निराधार है ।

डा० जयसूर्य : आप मेरा प्रश्न नहीं समझे । क्या आप को मालूम है कि पांच लाख टन अनुकूलतम संयंत्र से कम ह ?

श्री क० सी० रेड्डी : इस विषय में मतभेद हो सकता है । आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह माना जा सकता है कि पांच लाख टन सामर्थ्य एक काफी अच्छा संयंत्र है । हम को यह नहीं भूलना चाहिये हमारे देश की विद्यमान इकाइयों ने भी कहीं कम सामर्थ्य से काम प्रारम्भ किया था । भद्रावती ने २५,००० टन से शुरू किया था जो अब बढ़ कर एक लाख टन हो गया है । इसी प्रकार टाटा और इस्को ने भी कम सामर्थ्य से ही काम आरम्भ किया था । हमें वास्तविकताओं को सामने रखना चाहिये, काल्पनिक विचारों में नहीं बह जाना चाहिये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: यह अत्यन्त आवश्यक है कि उत्पादन प्रतिष्ठापित सामर्थ्य तक अथवा कम से कम अनुकूलतम सामर्थ्य तक हो । आप जिन कारणों से ऐसा नहीं कर रहे हैं, उन से हम सहमत नहीं हैं ।

श्री के० सी० रड्डी : सरकार भी दस या बीस लाख टन सामर्थ्य का एक संयंत्र स्थापित करना चाहती है , पर हमें काम अपने संसाधनों के अनुसार ही करना है ! हमारे यहां कितने प्राविधिक (टेकनिकल) व्यक्ति हैं तथा अन्य ऐसी ही अनेक बातों पर ध्यान देना है । कोई बात कहना बहुत सरल है, पर उस को क्रियान्वित करना उतना सरल नहीं होता । जिन परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं और जो सुविधायें हमें प्राप्य हैं, उन सब का प्रशासन को ध्यान रखना पड़ता है ।

संयंत्र की स्थिति के स्थान के संबंध में कुछ सदस्यों ने कुछ बातें कही हैं । पर इस संबंध में मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता । विभिन्न स्थानों की उपयुक्तताओं के संबंध में सरकार के पास दावे आये हैं, विभिन्न प्राविधिक समितियों ने इस प्रश्न पर विचार किया है और प्राविधिक आयोग की नवीनतम राय सरकार को प्राप्त हो गई है । मैं अभी केवल इतना ही कह सकता हूं कि अन्तिम रूप से यह निश्चित करन में कि संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जाये, संभरण और वितरण के पहलुओं का अवश्य ध्यान रखा जायेगा । खेद है कि इस विवाद की गहराइयों में मैं नहीं जा सकता लेकिन मैं सरकार की ओर से एक बार यह आश्वासन फिर से दे सकता हूं कि इस मास के अन्त तक जब जर्मन प्रतिनिधि यहां आ जायेंगे और अपनी प्राविधिक राय दे देंगे, तब सरकार अन्तिम रूप से यह निश्चित करेगी कि यह संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाये । जर्मन प्रतिनिधियों की राय तो ली जायेगी पर इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सरकार ही करेगी ।

मुझे प्रसन्नता है कि यह वाद विवाद सदन के समक्ष आया और मैं कुछ शंकाओं को दूर कर सका । श्री सिंह ने यह कहा था

कि मेरा पहले वाला वक्तव्य बहुत सरसरी तौर पर दिया गया था, पर अब मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यथाशक्य शीघ्र जर्मन संगठन और हमारी सरकार के बीच जो करार हुआ है वह सदन को उपलब्ध किया जायेगा और सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इस मामले में सदन की सहमति प्राप्त करने के प्रयत्न किये जायेंगे। मुझे आशा है कि जर्मन संगठन के साथ हुए करार से सदन संतुष्ट होगा और अपनी शुभकामनाएं देगा और इस परियोजना की सफलता के लिये ईश्वर से प्रार्थना करेगा।

सभापति महोदय : सदन सवा चार बजे म० प० तक के लिये स्थगित रहेगा।

तब सदन की बैठक सवा चार बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

सदन की बैठक सवा चार बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

१९५३-५४ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांग--जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : सरकार द्वारा चीनी के आयात का निर्णय अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सवेरे मैं श्री किदवई द्वारा १९५२-५३ में चीनी के उत्पादन में कमी होने के लिये बताये गये कारणों को व्यक्त कर रहा था। पहला कारण उन्हों ने यह बताया कि गन्ने के उत्पादन में लगभग ५ प्रतिशत कमी हो गई है .....

श्री किदवई : मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने ऐसी कोई बात कही है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : आप ने सदन में यह वक्तव्य दिया था। मुझे नहीं मालूम कि मंत्री महोदय स्वयं अपने ही वक्तव्य के विरुद्ध जा रहे हैं। यदि उन का अभिप्राय स्पष्टतः यह है कि गन्ने के उत्पादन में कमी हो गई है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस कमी के क्या कारण हैं। यदि बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक विपदायें इस का कारण हैं तो मैं उन्हें यह बता दूं कि पंजाब आदि कुछ स्थानों में इस वर्ष गन्ने की फ़सल पिछले साल से अच्छी है। उत्पादन की कमी का कारण उत्पादकों का निरुत्साह अथवा प्रेरणा हीनता है क्योंकि उन्हें गन्ने की कीमतें बहुत ही कम प्राप्त हो रही हैं। वे गन्ने के स्थान पर किसी अन्य वस्तु के उत्पादन पर विचार कर रहे हैं। किन्तु इस विषय का उपचार मंत्रालय पर है। उन्हें उत्पादकों में उत्साह की सर्जना करना चाहिये। किन्तु सरकार ने गन्ने के उत्पादन में उत्तरोत्तर ह्रास को रोकने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है।

खाद्य मंत्री ने कहा कि गन्ने के उत्पादन का कुछ प्रतिशत गुड़ निर्माण की ओर प्रवृत किया जाने लगा है। यदि चीनी के उत्पादन की अपेक्षा गुड़ के उत्पादन में वृद्धि हुई है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि चीनी की मांग में विचारणीय कमी क्यों नहीं हुई। यह सर्वथा तर्कसंगत है कि यदि गुड़ के उत्पादन में वृद्धि हुई है तो उसी अनुपात में न सही किन्तु थोड़ी मात्रा में चीनी की मांग में कमी अवश्यंभावी है।

श्री किदवई : मेरे वक्तव्य को गलत रूप में उद्धृत कर उस पर अपनी दलीलें आधारित करना अनुचित है। मैं ने कहा था कि गुड़ के उत्पादन में छः लाख टन की कमी हुई है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं आप को उद्धृत नहीं कर रहा हूं।

श्री किदवई : आप मुझे गलत उद्धृत कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अभिलिखित है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं 'कापसे उद्धृत कररहा हूं।

श्री किदवई : आप पत्र उद्धृत कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह पत्र सरकार के उत्तरदायित्व पर प्रकाशित होता है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : नहीं, श्रीमान । बम्बई से प्रकाशित यह अंक दिनांक १५ अगस्त का है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य निस्सन्देह किसी भी पत्र से उद्धरण प्रस्तुत कर सकते हैं किन्तु यह कहना कि माननीय मंत्री ने ऐसा कहा था गलत है ।

श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी : फिर कुछ क्षेत्रों में यह विचार भी व्याप्त है कि रेल के डब्बों की कमी के कारण चीनी के भाव में वृद्धि हुई है । यदि यह सही है सो क्या मैं यह जान सकता हूं कि दोनों मंत्रालयों में पहले ही कुछ परामर्श क्यों नहीं किया गया ? चीनी आवश्यक पदार्थ है और देश के सब भागों में इस के समान वितरण के लिये समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये थी । सरकार का एक भाग दूसरे भाग से सहयोग करने में असफल रहा है । सरकार के दो अंगों में परस्पर इस तरह की प्रवृत्ति वस्तुतः अनुचित है ।

एक बात और है । मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अत्यधिक कर के परिणामस्वरूप चीनी की कीमत अधिक है ।

आज ऐसा प्रतीत होता है कि चीनी के हितों और सरकार में अनुचित गठबन्धन हो गया है । उचित यह था कि चीनी उद्योग-पतियों से मुनाफा कम करने के लिये कहा जाता ।

श्री किदवई : उन के लाभ का प्रतिशत क्या है ?

श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी : लगभग दस प्रतिशत । हमें मुनाफे की यह दर सहन नहीं करना चाहिय । चीनी उद्योगपति आज तक अपने उद्योग का आधुनिककरण करने में असफल रहे हैं । यह आवश्यक है कि सरकार मुनाफे की दर के प्रति अपनी नीति में शीघ्र ही परिवर्तन करे .....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । आप ने सवेरे तीन मिनट बोला था और अभी भी दस मिनट से अधिक हो गये हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : शीघ्रता पूर्वक बैठ जाइये ।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी अपने स्थान पर जा बैठे ।

सरदार लालसिंह (फीरोजपुर-लुधियाना) : श्रीमान, मैं अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ इस मांग का विरोध करता हूं ।

माननीय मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि चीनी का आयात करने के पूर्व वह कुछ समय और प्रतीक्षा करें । इस तरह का आयात किसी भी स्वाभिमानी भारतीय की विचारधारा के विरुद्ध है । भारत में अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी मात्रा में चीनी का उत्पादन हो सकता है । दूसरे, हमारे पास व्यय के लिये अतिरिक्त निधियां नहीं हैं । बेकारी का दैत्य हमारे सामने मुंह बाये खड़ा है । बेरोजगारी की विभीषिका इतने व्यापक परिमाप में है कि हमें प्रत्येक क्षेत्र में नौकरी खोजना है । ऐसी दशा में १५ करोड़ रु० के मूल्य की दो लाख टन चीनी के आयात का अर्थ है, बहुसंख्यक व्यक्तियों को नौकरियों के साधन से वंचित करना ।

कुछ समय पूर्व पूछे गये इस प्रश्न के उत्तर में कि पांच लाख टन अतिरिक्त चीनी का क्या हुआ माननीय मंत्री जी ने कहा था कि गुड़ की कीमत अधिक होने से चीनी का उपभोग बढ़ गया अतः उस की कमी आ

गई है और चीनी आयात करने का यही कारण है। यदि चीनी के उपभोग का यह विश्लेषण उचित है तो पिछले अनुभव की तीव्र पुनरावृत्ति के लिये हमें तैयार रहना चाहिये। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों, चीनी मिलों, गन्ना उत्पादकों, उपभोक्तावर्ग और बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों के प्रतिनिधियों ने आशंका प्रकट की थी कि गन्ना उत्पन्न करने वाले क्षेत्र में पच्चीस प्रतिशत कमी कर दी गई है। अन्य राज्यों से भी इसी तरह के संवाद प्राप्त हो रहे हैं। इस का परिणाम स्पष्ट है कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन कम होगा। भविष्य में या तो भारत को चीनी का आयात दो लाख टन से भी अधिक करना पड़ेगा अथवा चीनी में चोरबाजारी होने लगेगी। नतीजा यह होगा कि व्यापारी एवं मिल-मालिकों को लाभ होगा और गन्ना उत्पन्न करने वालों और उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं होगा।

यह कहा गया है कि भारतीय चीनी का मूल्य कम करने के लिये ही विदेश से चीनी का आयात किया जा रहा है। किन्तु यह अनुभव नहीं किया गया है कि विदेशों में गन्ने की उपज अत्यधिक है। वह भारत से ३०० प्रतिशत अथवा ५०० प्रतिशत अधिक है। वहां पर चीनी के साथ अन्य ही धन्धे भी काफ़ी रूप में प्रचलित हैं। तीसरा कारण सरकारी कर की कमी है। मैं पूछता हूं कि भारत में चीनी के अपर्याप्त उत्पादन के लिये क्या उत्पादन कर्त्ता उत्तरदायी है? क्या इस का उत्तरदायित्व उस पर है कि सरकारी कर बहुत अधिक हैं, सहयोगी धन्धों का अभाव है और इस दिशा में यथेष्ट अनुसन्धान नहीं हुआ है? इस के अतिरिक्त अन्य कृष्य वस्तुओं की अपेक्षा चीनी का मूल्य भारत में निम्नतम है। गया के बाजार की मूल्य अनुक्रमणिका के आधार पर वहां चीनी का मूल्य अपेक्षाकृत सब से कम था। और भी अनेक बातें हैं जिन से उत्पादक को हानि उठानी पड़ती है। उपकर के रूप में उसे लगभग पांच रु० प्रति मन सरकार को देने पड़ते हैं केवल किसान को ही क्यों जकड़ा जाता है। इस कुर्बानी में सब को भाग लेना चाहिये।

कुछ दिनों पूर्व यह सुझाव रखा गया था कि गन्ने की कीमत निश्चित करने के पूर्व उस की लागत मूल्य को दृष्टिगत रखना चाहिये किन्तु भूमि का किराया आदि सम्मिलित करने पर यह लागत मूल्य डढ़ रुपय प्रति मन तक पहुंच जाता है। मैं 'स्टेट्समेन' में प्रकाशित एक लेख की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा : "रूस में खेती सम्बन्धी वृहद् योजना"। वहां सरकार ने फसल की कीमत बढ़ाने के अतिरिक्त उस के कर में भी आधी कमी करने का निश्चय कर लिया ह।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं इस विषय की विशेषज्ञ नहीं हूं किन्तु मैं आप को बताऊंगी कि मेरे बोलने का क्या कारण है। जब मुझे **अनुदानों की पूरक मांगे** पुस्तिका मिली और जब मैं ने उस की टिप्पणियां और व्याख्या पढ़ी तो वे इतनी विचित्र लगीं कि मुझे कुछ कहने के लिये बाध्य होना पड़ा। मांग सं० ४७ और मांग सं० १२५ में तीन बातों के सम्बन्ध में चीनी के लिये रुपये की मांग की गई है। नियंत्रित मूल्य में कमी करने के परिणामस्वरूप चीनी के कारखानों को क्षति-पूर्ति देन के लिए उत्पादकों को सहायता देने और दो लाख टन चीनी आयात करने के लिये उक्त मांग रखी गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस के पीछे क्या युक्ति है? मैं यह नहीं समझ सकी कि एक ही अवधि में चीनी का आयात करने के लिये रुपये की मांग की गई है और फिर उतनी ही मात्रा म

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

उस का निर्यात करने में राजकीय सहायता के लिये धन की आवश्यकता प्रकट की गई है । यह एक समस्या है । वे विशेषज्ञ कौन हैं, वे सरकारी सांख्यिकी कौन है जिन के परामर्श से यह किया गया था ।

हमें यह बतलाया गया है कि चीनी के उत्पादकों पर दबाव डालने की दृष्टि से आयात किया जा रहा है क्योंकि वे उस के मूल्य की वृद्धि के लिये प्रयत्नशील हैं । कुछ समय पूर्व गन्ने की कीमत १ रु० १२ आने से घट कर १ रु० ५ आने रह गई थी किन्तु चीनी की कीमत ३० रु० १२ आना थी । गन्ने की कीमत में २५ प्रतिशत कमी हो गई थी किन्तु चीनी की कीमत यथावत थी । तब २० करोड़ रु० की निधि कहां गई ? क्या उपभोक्ताओं को कोई लाभ हुआ था ?

मैं माननीय मंत्री जी से पूछती हूं कि मुआवज़ा देने के पीछे कौन सी युक्ति है ? कभी हम से कहा जाता कि चीनी क उत्पादन आवश्यकता से अधिक है कभी मालूम होता है कि उस का उत्पादन कम है और कभी यह भी सुनने में आता है कि भारतीय अधिक चीनी खाने लगे हैं । सरकार की नीति एक ही रात म बदल जाती है । यह चिन्तनीय है । चीनी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिस में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन सीमा तक पहुंचने के अतिरिक्त निर्यात करने की स्थिति में भी हो सकते हैं । हम बेरोज़गारी की विशूचिका से पीड़ित हैं । चीनी उद्योग को विकसित करने की बड़ी आवश्यकता है ।

सदन के समक्ष इस तरह के आंकड़े और व्याख्या रखना अत्यन्त निर्लज्जता की बात है । क्या इसे हम नीति कह सकते हैं ?

मेरा तात्पर्य यह ह कि हमें इस तरह की मांगों को स्वीकृत नहीं करना चाहिये ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मेरा कटौती प्रस्ताव चीनी से नहीं किन्तु वनस्पति के गुण नियंत्रण को अधिक सुदृढ़ करने से सम्बन्धित है । भले ही कुछ मेरे मित्र इस से सहमत न हों किन्तु वनस्पति ने इस देश में भोजन बना के राष्ट्रीय माध्यम का रूप धारण कर लिया है । वनस्पति के विषय में हमारे यहां यथेष्ट गवेषणा नहीं की गई है । मैं गवेषणा कार्य पर इसलिये जोर नहीं दे रहा हूं कि मैं इस उद्योग में कोई अवरोध उपस्थित करना चाहता हूं किन्तु मेरा आशय यह है कि भोजन बनाने के इस राष्ट्रीय माध्यम का अधिकतम किया जा कर उपभोक्ता को अधिकतम पौष्टिकता उपलब्ध हो सके ।

उस के गुणों के नियंत्रण के प्रश्न से ही उस के मूल्य का नियंत्रण भी जूड़ा हुआ है । मैं माननीय खाद्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि वनस्पति के मूल्य की दृष्टि का नियंत्रण करने के लिये सरकार क्या कर रही है । क्या वजह है कि गत कुछ वर्षों में वनस्पति के दाम दुगने हो गये हैं ? क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

सरकार घी में वनस्पति मिला कर बेचे जाने को रोकने का प्रयत्न कर रही है । यह ठीक है परन्तु मैं यहां सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि घी में मिलावट करने के लिये वनस्पति का प्रयोग बहुत कम किया जाता है । मिलावट के लिये बीमार और मरे हुए जानवरों की तथा अजगर की चर्बी का बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है । वनस्पति का इतना इस्तेमाल नहीं होता । आप सोचें सकते हैं कि हमारे

देश के लोगों का क्या होगा जो कि कछुए के अंडे और अजगर की चर्बी खा रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह देखे कि यह चीज़ें घी में न मिलाई जायें।

एक बात और है। आप घी के टीनों में जो 'एगमार्क' की सील लगाते हैं वह घी के शुद्ध होने की गारंटी नहीं होती। मुझे बताया गया है कि इंसपेक्टर लोग ईमानदारी से काम नहीं करते और रिश्वत ले कर सील लगा देते हैं। यदि वह बेईमानी से काम नहीं करते हैं तो भी कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि वे तो केवल नमूना देखते हैं और प्रमाण-पत्र देने के बाद घी बनाने वाले लोग घी में मिलावट कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे।

श्री टी० एन० सिंह : मैं केवल राज्य द्वारा व्यापार करने के प्रश्न पर ही बोलूंगा। इस का संबंध मांग संख्या १२५ से है जो खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के पूंजी व्यय के बारे में है।

राज्य द्वारा व्यापार करने का एक माना हुआ सिद्धान्त यह है कि जब सरकार इस क्षेत्र में आये तो वह 'न लाभ न हानि' के सिद्धान्त पर कार्य करे। यहां प्रत्याशित आय आठ करोड़ रुपये है जिस का अर्थ यह है कि इस में दस प्रतिशत फायदे का हिसाब लगाया है। मैं समझता हूं यह चीज़ बिल्कुल ग़लत है और राज्य द्वारा व्यापार किये जाने के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। मेरी राय में इस राशि को क़ीमतों के गिराने के काम में लाया जाता तो अच्छा होता।

चीनी के व्यापार-क्षेत्र में सरकार पहली बार उतर रही है। हमें बताया गया है कि पहले सरकार का विचार चीनी को ग़ैरसरकारी हिसाब में आयात करने का था, फिर यह विचार बदल गया और इसे सरकारी हिसाब में आयात करने का फ़ैसला किया गया। अब खबर है कि आयात तो सरकारी हिसाब में होगा परन्तु वितरण आदि का काम असरकारी पार्टियां करेंगी।

श्री किदवई : यह ग़लत है।

श्री टी० एन० सिंह : यदि यह ग़लत है तो अच्छा ही है क्योंकि यदि सरकार के नाम में प्राइवेट पार्टियां आ जायेंगी तो आपका पुरानी नीति पर आना व्यर्थ हो जायेगा।

वितरण के बारे में यहां कहा गया है कि इस के लिये राज्य सरकारों, सहकारी समितियों और असरकारी पार्टियों को काम में लाया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इन तीनों का किस हद तक प्रयोग किया जायेगा; क्योंकि यदि राज्य सरकारें इस काम को करेंगी तो इस की क्या गारंटी है कि वे प्राइवेट एजेन्सियों को अपना काम न सौंप दें? फिर मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने राज्यों को इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट कर दी है क्योंकि हो सकता ह कि इस बीच राज्य सरकारें कुछ वचन दे चुकी हों। इस से केन्द्रीय सरकार कठिनाई में पड़ सकती है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार यह मामला स्पष्ट कर दे ताकि आगे चल कर कोई गड़बड़ न हो। सहकारी समितियों का हिस्सा क्या होगा? इस बात के लिय क्या कार्यवाही की जायेगी कि इस काम को वास्तविक सहकारी समितियां ही करें? फिर प्राइवेट एजन्सियों का क्या हिस्सा होगा? व्यक्तिगत रूप से मैं यह अनुभव करता हूं कि हम ने अपने हिसाब में ग़लतियां की हैं। अभी एक महिला सदस्य ने बताया कि गत वष हम ने दो लाख टन चीनी का निर्यात किया।

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने निर्यात नहीं किया।

श्री टी० एन० सिंह : जो कुछ भी हो, चीनी निर्यात करने की नीति इसलिये मान ली

[श्री टी० एन० सिंह]

गई थी क्योंकि यह कहा गया था कि हमारे पास चीनी बहुत है परन्तु अब हमें पता चला है है कि हमारे पास चीनी कम है और हमें अब उसे आयात करना होगा । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि सरकार चीनी सिन्डीकेटों और ठेकेदारों की चालबाजियों से सावधान रहे ।

श्री किदवई : आप यह दोष बताते हैं कि सरकार ने उसे प्राइवेट पार्टियों को नहीं दिया ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं ने इस प्रकार की नीति का कभी विरोध नहीं किया । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पहले भी, १९४८ में भी, व्यापारियों के कहने पर हम न विनियंत्रण किया था जिस का नतीजा यह हुआ कि लोगों ने चोरी-छिपे चीनी का निर्यात शुरू कर दिया और क़ीमतें बढ़ गईं । आज भी चीनी का आयात किया जाता है । इस के लिये सरकार रुपया दे रही है और वितरण आदि का काम व्यापारी लोग करेंगे । आख़िर यह काम कौन करेगा ? वही जिन्हें चीनी के व्यापार का अनुभव होगा यानी चीनी सिन्डीकेट, चीनी निर्माता और चीनी के व्यापारी । यही लोग चीनी के वितरण आदि का काम करेंगे । यही चेतावनी मैं यहां देना चाहता हूं ।

मैं किसी पर दोष मढ़ना नहीं चाहता । मैं केवल यह चाहता हूं कि सरकार अपने हिसाब में ग़लती न करे और चीनी बनाने वाले लोगों की चालबाजियों से सावधान रहे । हमें खेद इस बात का है कि फैक्टरी के मालिकों की धमकियां तो सह ली जाती हैं लेकिन गन्ना उगाने वालों की कोई नहीं सुनता । यह एक बहुत अफ़सोस की बात है ।

अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि हमें खूब सोच विचार कर ही अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिये और उस का उचित प्रकार से अनुसरण करना चाहिये ।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : उपाध्यक्ष जी, मुझे आपने जो इस समय बोलने का मौक़ा दिया, उस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं । मैं साफ साफ यह कह देना चाहता हूं कि हमारे फूड मिनिस्टर साहब ने जो नीति शुगर के सम्बन्ध में बर्ती है, उस से हिन्दुस्तान को बहुत घाटा हुआ है । आप की नीति यह रही कि चीनी की क़ीमत घटा दी जाय ताकि चीनी खाने वाले किसानों को और दूसरे लोगों को सस्ते दाम में चीनी मिले । सरकार ने २७ रुपये की दर से चीनी के दाम ठीक किये और इसी हिसाब से किसानों को क़ीमत दी, लेकिन आज जो सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है, उस चीनी के दाम ३१ रुपये चार आने पड़ते हैं, वह चीनी ३१ रुपये ४ आने के भाव बिकती है । ऊख की क़ीमत १ रुपये १२ आने थी जब चीनी की क़ीमत ३१ रुपये चार आने थी, जो बाहर से चीनी मंगा रहे हैं उस की क़ीमत ३१ रुपये ४ आने पड़ती है, तो ऊख की क़ीमत १ रुपये १२ आने चाहिये, अभी साल नहीं गुजरा, दिसम्बर के महीने में एक कानून पास हुआ था कि शायद हम लोग १ रुपया मन मिल वालों को कम्पेन-सेशन दें, क्योंकि उन को चीनी के दाम में घाटा पड़ता है और इसीलिए आज एक वर्ष के अन्दर ही हम कहते हैं कि हमारे यहां पर्याप्त चीनी नहीं है और हम को बाहर से चीनी मंगानी पड़ती है ।

कांग्रेस के किसी कार्यवश मैं एक व्यापारी के यहां गया, बातचीत चलने लगी, बातचीत के दौरान में उस ने कहा कि पंडित जी लाख सरकार क़ानून बनाये, लेकिन कोई भी

सरकार हमारी चोरी को बन्द नहीं कर सकती है। मैं किदवई साहब को क्या कहूं, वह भी कांग्रसी हैं, मैं भी कांग्रेसी हूं और मैं भी जनता के बीच में घूमता हूं और उन से मिलता रहता हूं, मैं जानता हूं कि यह मिल वाले किस तरह से बदमाशी और गोलमाल करते हैं यह हमारी बदकिस्मती है। यह लोग तो इतने चालाक होते हैं कि वह ब्रह्मा तक को छल सकते हैं। बिहार में सरकार ने २७ रुपये मन चीनी का दाम नियत किया तो वहां के हम लोग जो ऊख बोने वाले किसान हैं उन को १ रुपया, ५ आना मिलता है जब कि हम को ऊख की कास्ट आफ़ प्रोडक्शन १ रुपया, ४ आने पड़ती है और मैं बतलाऊं कि हमें ऊख को मिल तक ले जाने में ४ आने से लेकर ८ आने तक ट्रांसपोर्ट पर ख़र्चा आता है, इस के अलावा कटाई, छलाई पर ख़र्चा पड़ता है जो कि सब मिलाकर क़रीब १ रुपये ८ आने या १० आने के लगभग जाकर हम को पड़ता है जब कि हम को मिलता केवल १ रुपये ५ आने ही है। और इस के फलस्वरूप सन् ५१, ५२ में हम लोगों ने जितनी चीनी पैदा की थी, सन् ५२, ५३ में उस से कम चीनी पैदा हुई है और यह उन के दिये हुए स्टेटमेंट में है कि चीनी की पैदावार कम हुई है। ५१, ५२ में १ रुपये १२ आने थी और सन् ५२, ५३ में १ रुपये, ५ आने मन हो गयी, उस का असर मैं जानता हूं कि शूगर की पैदावार में कमी का होना है, हालांकि सरकार कहती है कि बिहार और यू० पी० में ऊख की खेती कम नहीं हुई है और मैं जानता हूं कि उन को इस तरह की इत्तिला अपने सरकारी नौकरों से मिलती है, लेकिन मैं किदवई साहब को कहना चाहता हूं कि वह मेरे साथ गांवों में चलें, वह भी कांग्रेसमैन हैं और गांधी जी के अनुयायी हैं और मैं भी गांधी जी का अनुयायी हूं, मेरे साथ चलें, मैं मैं उन को दिखाऊंगा कि ईख की पैदावार में कमी हुई है या नहीं, महज़ सरकारी रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट से उन को ठीक ठीक चीज़ का पता नहीं लगेगा।

दूसरी बात वह यह कह देते हैं कि बिहार की चीनी का परसेन्टेज ज़्यादा पड़ता है और यू० पी० की ईख का परसेन्टेज कम पड़ता है। इस सिलसिले में मैं आप को बतलाऊं कि एक हमारे कांग्रेस के नेता हैं, जब उन से लोगों ने कुछ कहा तो उन्हों ने जवाब दिया कि पबलिक तो अन्धी होती है, जब पबलिक के वोट लेने का समय आया और नेता साहब को वोट की ज़रूरत पड़ी और पबलिक से वोट मांगा, तो उन को जवाब मिला कि हम तो अन्धे हैं, और आंखें मूंद लीं और कहा कि हम आप को कैसे वोट दें? अरे साहब, आख़िर ये किसान जो ईख की पैदावार करते हैं, यह अपने ही तो आदमी हैं, हम लोग यहां जो कांग्रेस के टिकट पर चुन कर आये हैं, उन्हीं के तो भेजे हुए हैं, हम लोग गांव गांव में घूमते हैं और किसानों से मिलते हैं और उन की हालत देखते हैं, हम क्या कोई भाड़ झोंकते हैं जो आप हमारी बात नहीं मानते हैं, लेकिन आप का एक सरकारी अफ़सर जो आप को रिपोर्ट लिखकर भेज देता है, तो उस रिपोर्ट को आप मान लेते हैं। लेकिन मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि अगर हम हैं तो आप का राज्य है, अगर हम नहीं रहेंगे, तो आप की मिनिस्ट्री भी नहीं रहेगी, आप का राज्य नहीं रहेगा, क्योंकि आख़िर आप के पीछे हमारी ही तो सामूहिक शक्ति लगी है। इसलिए हमारी बात मानिये और किसानों के हक़ में देखिये, ऊख के बारे में जो सरकार की नीति है, उस से बहुत घाटा पड़ता है और उस का नतीजा यह होगा कि ऊख की खेती निरन्तर कम होती जायगी। और अन्दाज़ा किया जाता है कि क़रीब ३३ परसेंट ऊख की पैदावार में कमी हो जायगी। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ऊख की क़ीमत बढ़ाये

[श्री विभूतिमिश्र]

ताकि हमारे यहां चीनी की पैदावार बढ़ सके, और यह जो सवा सात करोड़ रुपया चीनी के लिए हमारा बाहर देशों में जाता है, वह रुपया हिन्दुस्तान में रहे, क्योंकि जो सवा सात करोड़ रुपये की चीनी हम बाहर से मंगाते हैं, तो उस से हमारे यहां अनइम्पलायमेंट ही बढ़ता है। अगर यह रुपया हिन्दुस्तान में रहता और यहां के किसान और मज़दूर ऊख की खेती करते तो अनइम्पलायमेंट भी किसी हद तक दूर होता, लेकिन यह न कर के बाहर से चीनी मंगाते हैं और हमारी खेती को मारना चाहते हैं, मैं उन को चेता देना चाहता हूं कि आप की इस नीति से सफलता नहीं मिलेगी, इस नीति से विफलता ही मिलेगी, यह नीति हमारे आप के लिये घातक है।

इस के अलावा मैं एक चेतावनी आप को देना चाहता हूं कि यह जो हमारे विपक्षी लोग बैठे हैं ये सारी बातें गांवों में जाकर कहते हैं और किसानों से मिलते हैं और उन से बात करते हैं, हम लोग भी थोड़े से जो आप के और पंडित जी के अनुयायी हैं, गांवों में घूमते हैं और किसानों के पास जाते हैं और अपने विपक्षियों का मुकाबला करते हैं, लेकिन मैं आप से कह देना चाहता हूं कि आप की नीति अगर यही रही कि बाहर से चीनी मंगायें और यहां की ऊख की क़ीमत कम रक्खें और किसानों को घटी दें, तो नतीजा यह होगा कि किसान लोग ऊख की खेती करना छोड़ देंगे और यह न समझिये कि आप का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम बहुत घाटे में रहेंगे, क्योंकि हमारे विरोधी लोग किसानों को हमारे खिलाफ भड़कायेंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि विरोधियों के प्रोपेगेन्डा को विफल करने के लिए आप को किसानों के हित में अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए। मैं उस जगह का रहने वाला हूं जहां पर महात्मा गांधी ने किसानों को जगाया और उन का उद्धार किया और मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ऊख की क़ीमत ठीक ठीक रक्खें।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक बिहार गवर्नमेंट क़ीमत नियत करती थी, तो कभी दो क़ीमत नहीं थीं, १९३७ से लेकर आज से दो साल पहले तक। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट आ गयी तो उन्हों ने दो क़ीमत कर दीं। भला बतलाइये १ रुपये, ३ आने में किसान को क्या पड़ेगा, आप ही सोचिये कि वह ज़िन्दा रहेगा या मर जायगा।

मैं खुद किसान हूं, ऊख की खेती करता हूं, मैं किसानों की तकलीफ को समझ सकता हूं। मैं तो कहता हूं कि जरा किदवई साहब भी दो बीघा ज़मीन की खेती कर के देखें कि उस में कितनी तकलीफ होती है। यहां ठंडे में बैठ कर उन को पता नहीं चलेगा, जरा खेती तो करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि जिस के पैर में बेवाई नहीं फटती है वह तकलीफ को नहीं जानता है। वह खेती नहीं करते हैं, लेकिन मैं खेती करता हूं और वह भी ऊख की खेती। अतः ऊख की कीमत अवश्य बढ़ावें। उत्तर बिहार बाढ़ग्रस्त भी है। इस से किसानों और मज़दूरों का भला होगा।

श्री गोपाल राव : आज से ठीक दस महीने पहले हम इस विषय पर पूरी तरह बहस कर चुके हैं। उस समय हम ने सरकार को यह चेतावनी दी थी कि माननीय मंत्री की इस ढिलमिल नीति से आगे चल कर बहुत गड़बड़ हो जायेगी। उस समय हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया और हम से यही कहा गया कि चीनी के दाम बहुत सस्ते हो जायेंगे। परन्तु आज क्या स्थिति है ? क्या आप की आशायें पूरी हो गई हैं और क्या आप अपनी असफलता मानने को तैयार हैं। आप की नीति का असर यह हुआ है कि इस समय देश के लोगों को भारी मुसीबत का

सामना करना पड़ रहा है। वे आशा करते थे कि चीनी के दाम इस वर्ष सस्ते होंगे परन्तु आरम्भ से ही दाम २७ रुपये से बढ़ कर ३३ रुपये हो गये हैं। 'ईस्टर्न इकॉनोमिस्ट' जैसे पत्र ने यह माना है कि इस वर्ष फ़ैक्टरियों ने गत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा लाभ कमाया है। परन्तु बेचारे उपभोक्ता बड़ी कठिनाई में हैं। चीनी के दाम उन की क्रय शक्ति के बाहर हैं। इस के अलावा १ रुपये के हिसाब से उत्पाद शुल्क लिया जा रहा है। माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि दाम में ७ रुपये प्रति मन कमी होने की गुंजाइश है। परन्तु वे ४ रुपये प्रति मन से अधिक कम न कर सके। अब गत वर्ष की अपेक्षा ७ रुपया प्रति मन अधिक देना होता है। माननीय मंत्री की चीनी सम्बन्धी नीति का उपभोक्ताओं पर यह असर पड़ा है।

गन्ना उगाने वाले लाखों किसानों पर भी गन्ने के दाम १ रुपये १२ आने से १ रुपये ५ आने कर दिये जाने के फलस्वरूप बुरा प्रभाव पड़ा है। गत वर्ष लगभग ४३ लाख एकड़ ज़मीन में गन्ने की खेती हुई थी और उस में ५०० लाख टन से भी अधिक गन्ना पैदा हुआ था। चीनी की फैक्टरियों को १४० लाख टन गन्ना दिया गया था। चूंकि हर टन पर १२ रुपये की कटौती लगा दी गई थी इस लिये मिल मालिकों को यह १४० लाख टन गन्ना देने में गत वर्ष के मुक़ाबिले में किसानों को १७ करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ था। इस तरह काश्तकारों को ठीक फ़सल काटने के मौक़े पर उतना भारी नुकसान हुआ। इसीलिये इस वर्ष गन्ने की खेती कम हुई है। मेरे ज़िले में ५० प्रतिशत कमी हो गई है और यही दशा उत्तर प्रदेश तथा बिहार में हुई है। परन्तु पता नहीं माननीय मंत्री के आंकड़े यह कैसे बता रहे हैं कि गन्ने की खेती इस वर्ष अधिक भूमि पर हुई है। वह कहते हैं इस का कारण १२ रुपये प्रति टन की कमी है। पता नहीं इस कमी से गन्ने की ज़मीन में वृद्धि किस प्रकार हुई; इस बात को केवल वही समझा सकता है।

अब आप फैक्टरियों की स्थिति देखिये। गन्ने के जो दाम उन्होंने दिये हैं उसमें उन्हें १७ करोड़ रुपये का लाभ हुआ है और चीनी को इतने ऊंचे दामों पर बेचने से उन्हों ने १४–१५ करोड़ रुपये कमाये हैं। यही नहीं इस वर्ष गन्ने से चीनी भी १० प्रतिशत से अधिक प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं। माननीय मंत्री जानते हैं कि वे बेचारे किसानों को अन्य तरीक़ों से भी धोखा दे रहे हैं। इस तरह उन्हों ने इस वर्ष बहुत लाभ कमाया है। इसलिये मिल मालिकों को प्रतिकर मांगने का कोई अधिकार नहीं। उन्हें किस बात का प्रतिकर दिया जाये? क्या उन्हों ने चीनी कम दामों पर बेची? नहीं; इस के विपरीत उन्हों ने तो उसे बहुत ऊंचे दामों पर बेचा था। तो फिर उन्हें किस बात का प्रतिकार दिया जाये?

मेरी राय में सरकार की आयात सम्बन्धी नीति एक घातक नीति है। इस से सरकार की नपुंसकता का पता लगता है। सरकार उद्योगपतियों को काबू में नहीं रख सकती और चीनी मिलों में जो भ्रष्टाचार है उसे भी दूर नहीं कर सकती। आयात की गई चीनी के दाम ३० रुपये होंगे। मैं नहीं समझता कि जब बाहर से आई चीनी के दाम ३० रुपये होंगे तो स्थानीय दामों को किस तरह कम रखा जा सकेगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

सरकार की आयात नीति से सारे उद्योग के ठप हो जाने की संभावना है। बेकारी बहुत अधिक बढ़ जायेगी। हमारे देश में १६० फैक्टरियां, २०० लाख काश्तकार, २४ लाख फैक्टरियों में मज़दूर और हज़ारों टेकनीशियन हैं। यदि हम इन सबों की सेवाओं का ठीक तरह से प्रयोग करें तो हमें एक

[श्री गोपाल राव]

तोला चीनी भी बाहर से मंगाने की आवश्यकता न रहेगी। अतः आप अपनी इस आयात नीति को काम में न लाइये। अपने यहां के काश्तकारों को अच्छे दाम दीजिये और उप भोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराइये। उद्योगपतियों को यदि उचित लाभ मिले, तो इस में हमें कोई आपत्ति नहीं। परन्तु इस के लिये उन्हें उचित रूप से कार्य करना होगा और नियमों का पालन करना होगा। यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखें तो हमारा उद्योग बहुत फलफूल सकता है।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : मैं इस अवसर पर माननीय खाद्य मंत्री को उन की व्यावहारिक क्रियाशीलता के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि उन्हों ने प्रधान मंत्री के इस वाक्य को पूरा कर के दिखा दिया है "कि मुझे विलम्ब के कारणों में कोई रुचि नहीं है, मैं केवल यह चाहता हूं कि काम को पूरा किया जाय।"

ऐसा होते हुए भी मुझे चीनी की समस्या के सम्बन्ध में कुछ आशंकाएं हैं। मेरे निर्वाचन-क्षत्र के सार्वजनिक मामलों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का कहना है कि चीनी की समस्या में सरकार ने बड़ी गड़बड़ कर दी है।

पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने गन्ने के उत्पादकों को बहुत प्रोत्साहन दिया है। इस से उपभोक्ता को कुछ कठिनाई अवश्य हुई, परन्तु चीनी के उत्पादन में भी निश्चित रूप से वृद्धि हुई। परन्तु वर्तमान मंत्री महोदय की नीति से न तो उपभोक्ता ही प्रसन्न है तथा न ही गन्ने का उत्पादक। इस समय न तो उपभोक्ता को सस्ते दामों पर चीनी मिल रही है तथा न ही गन्ने के उत्पादकों को काफ़ी दाम। मेरा मत है कि दक्षिण भारत में प्रतियोगिता होने के कारण १/५/- रु० के स्थान पर मूल्य १/८/- रु० होना चाहिये। मेरा विश्वास है कि हैदराबाद सरकार ने भी इसी राय को उन तक पहुंचा दिया है जिस से वह अब ठीक निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे।

हमें गन्ने के उत्पादकों को बता देना चाहिये कि वे गहन कृषि कर के २५ से ३७ मन गन्ना प्रति एकड़ पैदा करने का यत्न करें, वरन उन के गन्ने को फैक्ट्रियों में पीड़ने के लिए स्वीकार नहीं किया जायगा। इस बारे में दक्षिण में प्रचलित शिक्षण तरीका बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस से गन्ने के मूल्यों को उत्पादकों तथा फैक्ट्रियों में अधिक न्यायपूर्ण आधार पर बांटा जा सकता है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]

वह तरीका यह है कि व्यक्तिगत रूप से किसी फैक्ट्री द्वारा चीनी के विक्रय से प्राप्त हुई राशि को उस फ़ैक्ट्री द्वारा बनाई गई चीनी की कुल मात्रा पर विभाजित कर दिया जाता है। मेरे क्षेत्र की चीनी फ़ैक्ट्री में गन्ने से और फ़ैक्ट्रियों की तुलना में सब से अधिक चीनी तैयार होती है। ऐसा होते हुए भी गन्ने के उत्पादकों को पहले जितना ही मूल्य दिया गया है।

चीनी के उद्योग के दूसरे दो हित अर्थात फक्ट्री और व्यापार तो अनर्थ मचा रहे हैं। इन दोनों पर अधिक नियंत्रण किया जाना चाहिये तथा उपभोक्ता को चीनी के सस्ते दामों पर उपलब्ध करने की कार्यवाही की जानी चाहिये। वर्तमान राशन की दूकानों का इस बारे में प्रयोग किया जा सकता है तथा उन्हें फैक्ट्रियों द्वारा निश्चित दामों पर चीनी दी जा सकती है और इस प्रकार से जनता को सस्ते दामों पर बेचने के प्रबन्ध हो सकते हैं।

मैं समझता हूं कि एक दृढ़ नीति के अनुसरण से स्थिति को ठीक बनाया जा

सकता है। पिछले वर्ष तो हम चीनी का कुछ निर्यात भी कर सके थे। कोई कारण नहीं कि इस बेकारी के समय पर हम अपने निर्यात व्यापार को न बढ़ायें। मैं आशा करता हूं कि वह सब बातों पर विचार कर के इस प्रकार से मूल्य को निश्चित करेंगे जिस से भविष्य में चीनी के आयात की कोई आवश्यकता न रहेगी बल्कि हम कुछ मात्रा का निर्यात भी कर सकेंगे।

डा० पी० एस० देशमुख: मैं श्री एन्थनी द्वारा पूछी गई एक दो बातों के बारे में स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। वनस्पति का मूल्य अब पहले से दुगुना हो चुका है। १९४८ में वनस्पति का प्रति टन मूल्य २०६५ रु०, १९४९ में २३२५ रुपये, १९५० में २४१५ रुपये, १९५१ में २५१४ रुपये तथा १९५२ में २०८३ रुपये था। १९५३ में जून तक यह मूल्य २३२० रुपये था। तुलना से मालूम हो जाता है कि इस समय १९५० तथा १९५१ की तुलना पर मूल्य कम है। इस का कारण यह है कि मुंगफली तथा मुंगफली के तेल की कीमतें इस समय चढ़ गई हैं। यह ठीक है कि हम ने अब क़ीमतों पर नियन्त्रण किया है तथा ये प्रतियोगीय मूल्य हैं, परन्तु जैसा कि इस तुलना से पता चल जायगा, यह वृद्धि कोई बहुत अधिक नहीं है।

मेरे मित्र ने यह भी पूछा है कि क्या कोई अनुसन्धान-कार्य किया जा रहा है तथा क्या वनस्पति वस्तुओं को जनता के स्वास्थ्य के विचार से अधिक रुचिकर बनाने के भी कोई प्रयत्न किए गये हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस बारे में निरन्तर अनुसन्धान करते रहते हैं तथा सदन को मालूम है कि कई प्रश्नों के उत्तर में मैं इस समय किए जा रहे ऐसे कार्य का वर्णन कर चुका हूं। हम इन वस्तुओं को बढ़िया बना रहे हैं तथा इस में विटेमिन मिलाकर और भी उपयोगी बनाया जा रहा है जिस से पहले की तुलना में ये उत्पाद अवश्य ही अच्छे होने चाहियें।

जहां तक मिलावट का सवाल है, हमें मानना होगा कि इस पर नियन्त्रण करना बहुत कठिन है। अब तक तो हम इस बात से डरते थे कि वनस्पति तेल या वनस्पति को कहीं घी में न मिला दिया गया हो। अब हम उस अवस्था में पहुंच गये हैं जिस में हमें स्वयं वनस्पति में किसी और वस्तु की मिलावट का डर रहता है। श्रीमान् जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, हम ने वनस्पति को शुद्ध रखने के लिए कुछ कार्यवाही की है। हमारे लिए मिलावट के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का करना बहुत कठिन है। हम ने 'एगमार्क' आदि के कई तरीके आज़मा कर देख लिए हैं, परन्तु लोगों ने हमारे नियन्त्रण तथा घी में दूसरी वस्तुओं की मिलावट का पता लगाने के सभी तरीकों को निष्फल बना दिया है। अतएव हम मिलावट की वस्तुओं तथा मिलावट करने वालों का सामना करने में असमर्थ र हैं, परन्तु राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार इसे न्यूनतम सीमा तक लाने का पूरा प्रयत्न करती हैं। राज्यों में कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो इसे रोकने तथा एगमार्क तथा विक्रय संस्थाओं द्वारा कम करने की कोशिश करते हैं, परन्तु मिलावट की सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि लोगों की मिलावट करने की इच्छा कितनी है तथा इतने बड़े देश में मिलावट की प्रत्येक कोशिश का रोकना सम्भव नहीं है।

मेरे मित्र ने एक और बात यह कही है कि वनस्पति के अतिरिक्त मिलावट की और वस्तुओं का भी प्रयोग हो रहा है। श्रीमान्, यह एक तथ्य है तथा हम प्रत्येक यत्न करेंगे कि उन की इस बात को सामने रखते हुए स्थिति को यथासम्भव सुधारने की चेष्टा करें।

श्री कदवई : श्रीमान्, विरोधी दल के माननीय वक्ताओं द्वारा दो तीन बातें कही गई हैं। सर्वप्रथम मैं श्री गुरुपादस्वामी की बात पर कुछ कहूंगा। उन की शिकायत है कि गन्ने के मूल्य को कम करने से गन्ने के कृषि-क्षेत्र में कमी हो गई है। मैं आशा करता हूं कि उन्हें सरदार लाल सिंह द्वारा समय समय पर की गई शिकायत का स्मरण है कि मूल्य बोने के समय नहीं, बल्कि तैयार करने के समय निश्चित किए जाते हैं जिस कारण किसान द्वारा गन्ने को बोने के बाद दामों का कम करना उचित नहीं है। पिछले वर्ष गन्ने के मूल्य सितम्बर में निश्चित किए गए थे तथा उन्हें १/१२/-/ से कम कर के १/५/- कर दिया गया था। अतएव दामों के कम करने का अगले वर्ष की फसल पर चाहे कुछ भी प्रभाव हो इस समय काटी जाने वाली फसल पर इस का कुछ प्रभाव नहीं होगा। मैं ने कई बार इस सदन में कहा है कि गन्ने के मूल्यों का वास्तव में इस की कृषि के क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह वैकल्पिक फस्लों की तुलनात्मक कीमतों पर निर्भर करता है। अगले दिन मैं ने बतलाया था कि जब मूल्यों को १/६/- से बढ़ा कर २/-/-रु० कर दिया गया था तो अगले वर्ष गन्ने के दृष्टि कोण में कमी हो गयी थी। यह आशा की गई थी कि यह क्षेत्र भी बढ़ जायगा, परन्तु वास्तव में उत्तर प्रदेश में यह क्षेत्र २९,६५,००० एकड़ से कम हो कर २६,३९,००० एकड़ रह गया था। अतएव गन्ने के मूल्यों की वैकल्पिक फसलों से तुलना नहीं की जानी चाहिये। इस वर्ष मूल्य निश्चित हो चुके हैं।

श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी : क्या इस मामले में गन्ने के मूल्य को बढ़ाने का फैसला तैयार फसल के समय किया गया था ?

श्री किदवई : गन्ने के मूल्यों की घोषणा सितम्बर में की गई थी तथा चाहे उन्हें बढ़ा भी क्यों न दिया गया हो, बीज बोने की ऋतु दिसम्बर तथा फर्वरी के बीच आरम्भ होती है। अतएव इस से क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भले ही मूल्यों को चार मास पश्चात क्यों न बढ़ा दिया जाय। इसी कारण हम ने फैसला किया है कि यद्यपि इस से गन्ने के कृषि क्षेत्र पर कुछ प्रभाव पड़े, हम मूल्यों की घोषणा बीज बोने की ऋतु से काफ़ी पहले करेंगे।

श्री टी० एन० सिंह : वर्ष १९४७-४८ में चीनी का मूल्य दस आने था तथा गन्ने का मूल्य २/-/- रु० प्रति मन था। आज चीनी का मूल्य १४ आने है तथा सरकार ने स्वयं गन्ने के जो दाम निश्चित किये हैं, वह १/५/- रु० प्रति मन हैं। इतनी असमता का कारण क्या है तथा क्या कोई और मध्यम व्यक्ति बीच में आने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री किदवई : मैं इस सवाल को बाद में लूंगा। मैं ने कहा है कि पिछले वर्ष हम ने गन्ने का मूल्य १/१२/- रु० से १/५/- रु० प्रति मन कर दिया था तथा अब लोग जानते हैं कि हम इन आंकड़ों को कहां से प्राप्त करते हैं। हम अपने आंकड़े बिहार सरकार से प्राप्त करते हैं तथा हम ने प्रत्येक वर्ष इन्हें बिहार सरकार से प्राप्त किया है। यदि सदन उसे ठीक मान ले तो उसे दूसरे वर्ष सम्बन्धी आंकड़ों को भी ठीक मान लेना चाहिये।

एक और बात यह कही गई है कि इस वर्ष हम ने चीनी मिलों के लिए प्रत्याशित हानि के लिए कुछ भुगतान किया है और अब हम ने चीनी का आयात करना आरम्भ किया है क्योंकि देश में चीनी की काफ़ी मात्रा मौजूद नहीं है। अस्तु, यह भुगतान पिछले वर्ष के उत्पादन आंकड़े से सम्बन्धित था। पिछले वर्ष के अन्त में हम ५ लाख टन चीनी को बक़ाया दिखा रहे थे तथा उस चीनी की लागत को काफ़ी अधिक लगाया

गया था। यद्यपि बहुत सी बातें कही गई हैं, फिर भी भारत की किसी फैक्ट्री में चीनी की कीमत उस सीमा तक नहीं पहुंची है। फैक्ट्री-मूल्य २७ रुपये था तथा पत्तन पर मूल्य ३३ और ३५ रु० के बीच था। अब नई चीनी के सम्बन्ध में, फैक्ट्री-मूल्य को २० रु० पर निश्चित किया जाना चाहिये तथा यह पता लगा कि चीनी का बेचना कठिन हो जायगा। चीनी के बेचने का उत्तरदायित्व सरकार पर था। इस सदन के अनुमोदन से कई वर्ष पहले किए गए करार के अनुसार सरकार फैक्ट्री मालिकों को प्रति मन कुछ राशि देने के लिए विवश थी। कुछ फैक्ट्रियों में ये दाम ३१ रु० थे तथा दक्षिण बिहार की कुछ फैक्ट्रियों में जहां अभी ऋण को लौटाया जाना है, यह मूल्य ३३ रु० या ३४ रु० है। अतएव दामों को कम किया गया और सरकार को ये देने पड़े। सरकार को इस भुगतान के समर्थ बनाने के लिए उत्पादन शुल्क में एक रुपया बढ़ाया गया। यह है स्थिति प्रथम मांग के बारे में।

दूसरी मांग चीनी के आयात के बारे में की गई है। श्री गुरुपादस्वामी ने पिछले वर्ष के प्रथम पांच महीनों तथा इस वर्ष के उन्हीं कुछ महीनों के बारे में खपत के आंकड़े दिए हैं तथा हमें पता चला है इस वर्ष हमें पिछले वर्ष की तुलना में ३ लाख टन चीनी लोगों को अधिक देनी पड़ी है। अब यह सारी चीनी कहां गई है? यदि चीनी का गुप्त संग्रह किया गया है तो इसे रोकने का केवल एक ही उपाय था अर्थात चीनी के वितरण का रोकना परन्तु उस से संग्रह करने वालों को चोर बाज़ार में अधिक दामों के वसूल करने का और अवसर मिल जाता। दूसरा तरीका यह था कि चीनी को अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध किया जाता ताकि संग्रह करने वालों को अनुचित लाभ न मिल सकता तथा जिस से उसे फैक्ट्री को दिए गए दामों से भी कम पर बेचना पड़ता। सर्वोत्तम तरीका था चीनी का आयात करना। भारत से बाहिर चीनी के दाम गिर रहे थे तथा हम ने चीनी के दो लाख टन को आयात करने का फैसला किया। चीनी को पत्तन शहरों में उन्हीं दामों पर उपलब्ध किया जायगा जिन नियन्त्रित दामों पर उत्तर भारत की फैक्ट्रियों से उसे वहां ले जा कर बेचा जाता। यदि पत्तन के शहरों की आवश्यकताओं को आयात की चीनी में से पूरा कर दिया जाता है तो शेष के देश में मूल्य निश्चय ही गिर जायेंगे। यदि ये नहीं भी गिरते तो हम आयात की चीनी को उत्तर भारतके बाजार में ला कर उन्हीं दामों पर बेच सकते हैं जिन पर कि भारत में बनी चीनी को बेचा जाता तथा इस प्रकार से चीनी के दामों को नियन्त्रित कर लिया जाता।

श्री सिंहासन सिंह : इस समय मिलों के पास कै लाख टन चीनी पड़ी हुई है?

श्री किदवई : मैं अभी बतलाऊंगा। एक मित्र ने असरकारी आयात-कर्ताओं को आयात की अनुमति देने के बजाय स्वयं सरकार द्वारा आयात करने की वांछनीयता पर आपत्ति की है। माननीय सदस्यों को पता है कि बाहर से आयात को करने में सुविधा के अभिप्राय से चीनी के आयात शुल्क को आधा कर दिया गया था बल्कि आधे से भी कम पर इसे निश्चित किया गया था। बाद में देखा गया कि बाहिर के देशों में चीनी के दाम कम होना शुरू हो गए। जब पहले पहल यह घोषणा की गई कि असरकारी आयात करने वालों को चीनी के आयात की अनुमति दी जायगी तो निर्यात करने वाले सभी देशों के व्यापारियों ने पूछताछ आरम्भ कर दी जिस का परिणाम यह हुआ कि मूल्य चढ़ना शुरू हो गया तथा पहले हमें जो मूल्य-उद्धरण प्राप्त हुए थे, वे बढ़ गए। उदाहरण से फार्मोसा में यह ३९ पौंड से बढ़ कर ४३ पौंड हो गया।

[श्री किदवई]

अतः हम ने अपना विचार बदल दिया था और वास्तव में हम ने देखा है कि इंगलैंड की चीनी जो फारमूसा की शकर से महंगी है, और जिस का मूल्य पहले ४२ पौंड प्रति टन था अब गिरकर ३९ पौंड, १५ शि० रह गया है। अतः आयात कर के हम ने जो पहली चीज़ की है वह है विदेशी बाजार के मूल्यों में कमी करना।

दूसरी चीज़ यह है कि यदि निजी आयातक को शुल्क देकर यहां के बन्दरगाह पर चीनी उतार लेने की अनुमति होती तो उसे २५ रु० प्रति मन के भाव से पड़ती। बम्बई के उत्तरी भारत की चीनी ३० रु० प्रति मन से कुछ अधिक पड़ती है। अतः ५ रु० प्रति मन का मुनाफ़ा निजी आयातक की जेब में गया होता। अब सरकार आयात करती है तो वह उस को बम्बई में ३१ रु० के भाव से और यदि आवश्यक समझेगी तो उस शकर को मेरठ लाकर २७ रु० ४ आने, जो वहां का उचित मूल्य है, उस पर बेच सकती है। अतः सरकार ने आयात करने का अधिकार निजी व्यक्ति को न देकर अपने पास ही रखा। दूसरा उद्देश्य था तटागत मूल्य तथा बम्बई, कलकत्ता या मद्रास के विक्रय मूल्य में महान अन्तर होना।

ये दो मुख्य बातें थीं जिन पर विचार-विमर्श किया गया था। कुछ सदस्यों ने गन्ने के मूल्य का भी निर्देश किया था। यह कहा गया था कि यदि गन्ने के मूल्य बढ़ा दिये गये होत, तो चोनी कारखाने अधिक समय तक चलते। कारखानों के गन्ने पेरने का कार्य समाप्त होते ही हम ने चीनी आयात करने का निश्चय किया। अतः इन कारखानों का अधिक समय तक चलने का कोई प्रश्न ही नहीं था। जब तक गन्ना मिलता रहा कारखाने चलते रहे और इस वर्ष बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कारखाने सदैव से अधिक समय तक चलते रहे।

उत्पादन में कमी के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं समझता हूं कि इस वर्ष भी हमारा उत्पादन उतना ही होता जितना कि पिछले वर्ष था जब कि यह १५ लाख टन था। किन्तु इस वर्ष मेरठ क्षेत्र तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने में खराबी हो जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदावार कम हुई। इस से गुड़, चीनी तथा खंडसारी पर प्रभाव पड़ा। इसी कारण मूल्य बढ़ गये। बढ़ते हुए मूल्यों का सामना करने के लिये यह चीनी का आयात करना आवश्यक था।

सदन पटल पर रखे गये विवरणों से यह स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि अगस्त के अन्त में कारखानों में लगभग ४.४ लाख टन ही स्टाक था। इसी कारण हम ने बाजार में १३ लाख टन से अधिक माल पहले ही ला दिया था.....। इस ४.४ लाख टन में से २ लाख टन पहले ही निकल चुका था, किन्तु डिब्बों की कमी के कारण स्टाक बाज़ार तक न पहुंच सका था। यदि वह भी बाज़ार पहुंच गया होता तो कारखानों के पास चार महीनों तक के लिये २ लाख टन स्टाक रह जाता। अतः कमी को पूरा करने के लिये और संग्रह-कर्ताओं को कोई लाभ न हो सके इसी कारण यह चीनी आयात करनी पड़ी। यदि उपयोग बढ़ गया है, जैसा कि बिलकुल स्पष्ट है, तो सम्भवतः हमें अगले वर्ष भी चीनी आयात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें उपभोक्ता की आवश्यकता पूरी करनी ही होगी और यदि मूल्यों पर नियंत्रण करना पड़ा तो जितनी भी आवश्यकता होगी उस के लिये प्रबन्ध करना ही होगा। नहीं तो मूल्य बढ़ जायेंगे, और यदि हम बाद में नियंत्रण लगाते हैं, तो संग्रहकर्ता चोर बाज़ारी के द्वारा बड़ा लाभ

कमा लेंगे। इस को रोकने का यह एक उपाय है और इसी को हम ने अपनाया है।

मैं समझता हूं कि मैं ने अधिकाधिक बातों की व्याख्या कर दी है। मैं समझता हूं कि उन्हें मद्रास सरकार के प्रति कृतज्ञ होना चाहिये ऐसी योजना का निर्माण करने के लिये जहां गन्ना उत्पादक को न्यूनतम मूल्य मिलने के अतिरिक्त उस मुनाफे का अंश भी मिलता है जो मद्रास के चीनी कारखानों ने अतिरिक्त कमाया है। यह भी गणना की गई है कि उत्पादक को पूर्ति की गई गन्ने की मात्रा के लिये तीन आना प्रति मन और भी मिलेगा। मैं ने मद्रास तथा हैदराबाद की राज्य सरकारों को पिछले वर्ष गन्ने के सीजन के प्रारम्भ में लिखा था कि दक्षिण भारत के कारखाने लाभदायक स्थिति में हैं। वे अपने क्षेत्र के लिये गन्ने का उत्पादन समुचित मात्रा में नहीं करते। अतः उन्हें उत्तर भारत के कारखानों से प्रतिद्वंदिता करनी पड़ती है जिन्हें यातायात के लिये ऊंची दरें देनी पड़ती हैं, और मद्रास के अधिकतर क्षेत्रों में इन का वसूल करना भी बिहार तथा उत्तर प्रदेश से अधिक ऊंचा है। अतः मद्रास के कारखानों द्वारा कमाये गये लाभ में वहां के गन्ना उत्पादकों को भी अंश मिलना चाहिये तथा मद्रास सरकार ने कारखाने के मालिकों के सहयोग से एक ऐसी योजना बनाई है जिस से गन्ना उत्पादकों को इस मुनाफे में अंश प्राप्त हो सकेगा। उन को कारखाने को दिये गये गन्ने पर तीन आना प्रति मन मिलेगा। यही योजना हैदराबाद में भी लागू की जानी चाहिये थी, क्योंकि हैदराबाद के कारखाने भी या तो उसी श्रेणी अथवा समुदाय के हैं जिन के अनुसार यह योजना बनी है। किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि हैदराबाद सरकार के कारखाने अधिक संख्या (लगभग ७० प्रतिशत) में हैं और वे अपने हित का अधिक ध्यान रखते हैं बजाय गन्ना उत्पादकों के। मैं ने उन्हें पुनः लिखा है और मुझे आशा है कि वे मेरे सुझावों के अनुसार ही कार्य करेंगे।

श्री बी० एन० चौधरी : आयात की गई चीनी के वितरण करने का क्या तरीका है ?

श्री किदवई : बंगाल की राज्य सरकार ने वितरण का कार्य एक समवाय को सौंप दिया है जिस ने सम्पूर्ण राज्य में चीनी के समान वितरण का कार्य अपने ऊपर ले लिया है। यह कलकत्ता में तथा एकान्त क्षेत्रों में १२ आने ६ पाई प्रति सेर की दर से चीनी दिया करेगी, और यही उचित मूल्य है भी। इसी प्रकार के प्रबन्ध बम्बई में किये जाने की आशा की जाती है, किन्तु यदि ऐसा सम्भव न हो सका तो चीनी दूकानदारों के पास वितरित की जायगी।

['कृषि' के सम्बन्ध में १,३६,००० रु० तक की अनुपूरक राशि १०० रु० की कमी कर देने की मांग अस्वीकृत हुई]

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या १७ वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या १७ अनुमति द्वारा वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५४ के अन्तर्गत होने वाले वर्ष में 'कृषि' के सम्बन्ध में जो व्यय होगा, उसे पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को १,३६,००० रु० तक की अनुपूरक राशि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन फुटकर व्यय के सम्बन्ध में २,१०,००० रु० तक की अनुपूरक राशि में १०० रु० की कमी कर देने की सभी मांगें अस्वीकृत हुईं]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५४ के अन्तर्गत होने वाले वर्ष में 'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन फुटकर व्यय के सम्बन्ध में' जो व्यय होगा, उसे पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को २,१०,००,००० रु० तक की अनुपूरक राशि दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं कटौती प्रस्ताव मांग संख्या १२५ के सम्बन्ध में सदन के मतदान के लिये रखूंगा ।

[खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्य पूंजी व्यय के सम्बन्ध में ७,२५,००,००० तक की अनुपूरक राशि में १०० रु० की कमी कर देने वाले सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए हैं]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५४ के अन्तर्गत होने वाले वर्ष में 'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्य पूंजी व्यय' के सम्बन्ध में जो व्यय होगा, उसे पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को ७,२५,००,००० तक की अनुपूरक राशि दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भाग संख्या ५९ सूचना तथा प्रसारण

सभापति महोदय : अब हम सूचना तथा प्रसारण से सम्बन्धित मांगों पर विचार करेंगे । कटौती प्रस्ताव पहले ही रखे जा चुके हैं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के सम्बन्ध में ३८,३०,००० रु० तक की अनुपूरक राशि की मांग में ३०,००,००० रु० की कमी कर दी जाय । माननीय मंत्री ने बताया है कि पंचवर्षीय योजना के सम्मिलित प्रचार कार्यक्रम के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । हमें यह भी बताया गया है कि इस कार्यक्रम को १९५३-५४ का बजट तैयार हो जाने के बाद लागू किया गया है । अब जब कि पंचवर्षीय योजना का आधा काल व्यतीत हो चुका है तो यह १४८ लाख रुपये का व्यय दो वर्ष में पूरा किया जाना है । मेरा प्रश्न यह है कि इस ३८ लाख के बदले मंत्रालय ने ७४ लाख रुपये क्यों नहीं मांगे । इस बात से बहुत से कांग्रेस दल के सदस्य भी सहमत हैं कि जहां तक योजना के प्रचार का सम्बन्ध है, इस से जन-साधारण में कोई भी उत्साह नहीं उत्पन्न हुआ है । मैं तो यही चाहूंगा कि जहां तक सम्भव हो सके धन से अधिकतम लाभ उठाया जाना चाहिये । हो सकता है कि यह सही हो अथवा ग़लत किन्तु कुछ लोग इस मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों में भी संघ लोक-सेवा आयोग से नियुक्त न हो कर सिफारिश से नियुक्त किये गये हैं । बहुत सी भर्तियां होने वाली हैं । मैं यह जानना चाहूंगा कि ये सब अतिरिक्त कर्मचारी संघ लोक-सेवा आयोग से नियुक्त हो कर आयेंगे या कामदिलाऊ दफ्तर से अथवा यह केवल सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में लोगों को उन्नति देने का एक तरीका मात्र है । 'संविदा आधार' पर लोग भर्ती कर लिये गए हैं जो न तो उन स्थानों के योग्य हैं और न तो संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा ही चुने गये होते किन्तु वे केवल सिफारिश के द्वारा ही भर्ती कर लिये गए हैं ।

इस के पश्चात् सचिवालय के सम्बन्ध में १,१०,००० रु० और स्वीकृत करने के लिये हम से कहा जाता है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या इतने अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी सचिवालय के कार्य के लिये पूरे नहीं हैं जो अतिरिक्त अधिकारियों की आवश्यकता है । मेरी तो धारणा यह है कि सचिवालय में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं ।

तत्पश्चात् विज्ञापन के लिये २ लाख रुपये के अनुदान के लिये और कहा गया है यह राशि डिजाइन बनवानेतथा इश्तहार

छपवाने में व्यय की जायगी। १९५२–५३ के संक्षिप्त प्रतिवेदन में यह दिखलाया गया है कि ब्यूरो द्वारा पंच वर्षीय योजना को हिन्दी गुजराती, उर्दू, मराठी तथा तामिल आदि में छपवाकर प्रचार के लिये बड़े विस्तारपूर्वक प्रबन्ध किये गए हैं। योजना से सम्बन्धित अनेक कहानियां आदि भी दी गई हैं।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) किन्तु किसी वस्तु का संक्षिप्त विवरण एक इश्तहार नहीं कहलाता।

श्री फक एन्थनी : यह दो लाख रुपये की मांग वातस्व में आवश्यक नहीं है। पिछले वर्ष से इस वर्ष के व्यय में ५ लाख ५२ हजार की वृद्धि हो गई है।

प्रेस सूचना ब्यूरो के लिये भी २ लाख रुपये की अतिरिक्त राशि मांगी गई है। मैं देखता हूं कि इस में भी अधिकारियों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही है। १९५२–५३ में दो सूचना अधिकारी थे, अब उन की संख्या छः हो गई है। १९५२–५३ में एक सहायक सूचना अधिकारी के स्थान पर अब ७ सहायक सूचना अधिकारी हो गये हैं। मैं अनुभव करता हूं कि मंत्रालय के लोगों का नैतिक पतन होता जा रहा है। अतः यह २ लाख रुपये की अधिकारियों को बढ़ाने के लिये मांग रखना सर्वथा अनुपयुक्त है।

फिल्म डिवीज़न के लिये १२ लाख रुपये की मांग रखी गई है। यह प्रचार के सर्वोत्तम उपायों में से एक है अतः मैं इस से कुछ हद तक सहमत हूं। मैंने इसकी कुछ फिल्मों को वास्तव में सुन्दर पाया। फिल्म निर्माण के लिये छः यूनिटों से बढ़ा कर अब ग्यारह यूनिटें की जा रही हैं। इस प्रकार प्रति यूनिट लगभग ७ लाख रुपये का औसतन व्यय होगा। यदि ऐसा है तो १२ लाख रुपये से दो यूनिटें और बढ़ाई जा सकती हैं। क्या आप इस राशि से पांच यूनिटें और बढ़ा रहे हैं, अथवा केवल दो ही ?

डा० केसकर : मैं उस की व्याख्या करूंगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी : अन्त में प्रकाशन विभाग आता है। इस में आप के व्यय में ८ लाख रुपये की कमी हुई है।

एक मद श्रीमान्, सचल यूनिट का है। वह नया होने के साथ ही महंगा भी है किन्तु मैं नहीं समझता कि मंत्रालय का कार्य उस के बिना चल भी सकेगा। मैं मांगी गई राशि स्वीकार करने को तत्पर हूं किन्तु उस से पूर्णतय लाभ उठाया जाना चाहिये। सारे अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग से ही चुन कर आने चाहियें तथा एक वर्ष पश्चात् आप को इस स्थिति में होना चाहिये कि आप सदन को यह बता सकें कि आप को जन-साधारण से यह उत्तर प्राप्त हुआ है। यदि अगले वर्ष आप यह न बता सकें, तो किसी भी दशा में राशि स्वीकार न करूंगा।

प्रो० अग्रवाल (वर्धा) : श्रीमान् मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि पंच वर्षीय योजना के प्रचार के लिये जो रुपया व्यय किया जा रहा है उस का क्या महत्व है वह अभी तक अनुभव नहीं किया गया है। हमारा प्रचार न तो पर्याप्त है और न हृदयग्राही है। मैं ने यूरपीय देशों में देखा है कि उन का प्रचार कितना प्रभावशाली होता है। बड़े बड़े शहरों तक में जनता को नहीं पता है कि हमारी पंच वर्षीय योजना क्या है। इस लिये मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्री से हमेशा कहता रहा हूं कि यदि आप चाहते हैं कि जनता हमारी पंच वर्षीय योजना से परिचित हो और उस के सम्बन्ध में उस में एक प्रकार का उत्साह पैदा हो तो प्रचार कार्य को सुचारु रूप से करने की आवश्यकता है। जिस योजना

[प्रा० अग्रवाल]

में २००० करोड़ रुपया व्यय किया जा रहा हो उस के प्रचार के लिये ३८ लाख रुपये की मांग कोई अधिक नहीं है। कुछ तो प्रचार की मोटरों पर व्यय होगा यह खर्च हर वर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और केवल थोड़ा भाग ऐसा है जो आवर्तक व्यय में लगाया जायगा। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना के सम्बन्ध में ऐसी सूचनाओं से जो जनता के लिये महत्व रखती हैं, विशेष कर सामुदायिक प्रयोजनाओं से, तथा स्थानीय प्रयोजनाओं से, जनता भली-भांति परिचित हो जावे। यदि इस का अधिक भाग प्रशासनीय संगठन पर व्यय कर दिया गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करने में कम व्यय किया गया तो हम यह कह सकेंगे कि संभोदित धन का उचित उपयोग किया गया है। पंच वर्षीय योजना सम्बन्धी प्रकाशन का वह संस्करण जो जनता के लिये निकाला गया है भी बहुत महंगा है। मेरे विचार से उस का मूल्य ढाई रुपया के स्थान पर एक रुपया होना चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि यह सामग्री आर्ट पेपर पर ही छापी जाय। सीधी साधी स्थानीय भाषा में, सादे काग़ज पर, छाप कर इस सामग्री को कम दामों में विक्रय कर के जनता तक पहुंचाना चाहिये। इसलिये हमें चाहिये कि हम यह मांग स्वीकार कर लें पर साथ ही यह चेतावनी भी दे दें कि यह धन देश के गांव गांव में, इस योजना का सन्देश पहुंचाने में ही लगाया जाय।

श्री दामोदर मेनन : श्रीमान्, मुझ खेद है कि मैं अपने मित्र से जो मेरे पहले व्याख्यान दे चुके हैं सहमति नहीं हूं। हम से कहा जाता है कि १ करोड़ ४८ लाख रुपया एकीकृत प्रचार कार्यक्रम पर व्यय किया जायगा और इस वर्ष ३८ लाख रुपये की मांग और संम्भोदित करने को कहा जा रहा है। कहा जाता है कि उद्देश्य यह है जनता की भाषा में हर एक के घर योजना का सन्देश पहुंचाया जाय। हमारे अनेक कांग्रेसी मित्रों ने बताया है कि कांग्रेस ने पिछला चुनाव इसी योजना के बल पर लड़ा था और घर घर इस योजना का सन्देश पहुंचाया गया था। यदि यह ठीक है तो अब दुबारा यही कार्य करने की क्या आवश्यकता है।

आचार्य कृपलानी (भागलपुर व पुर्निया) : जब योजना असफल हो रही है तो और किया ही क्या जा सकता है ?

श्री दामोदर मेनन : वित्त मंत्री यह तो स्वीकार कर चुके हैं कि योजना असफल हो रही है इसी लिये वे चाहते हैं कि योजना पर पुर्नविलोकन किया जाय जिस से बढ़ती हुई बेकारी को रोका जा सके। इस लिये पहले हमें उस योजना की राह देखनी चाहिये जो संशोधित होने के पश्चात अन्तिम रूप से बन कर तय्यार होगी तब हमें प्रचार की बात सोचनी चाहिये। पंच वर्षीय योजना के प्रवर्तक तो यही चाहते थे कि देश के घर घर में योजना का सन्देश पहुंचाया जाय परन्तु माननीय मंत्री चाहते हैं कि एक कदम और आगे बढ़ कर इस का सन्देश विदेशों में भी घर घर पहुंचाया जाय। जैसा श्री एन्थनी कह चुके हैं एक ओर देश बेकारी से परेशान हैं दूसरी ओर भारी भारी वेतन पाने वाले यह अधिकारी मोटरों में बैठ कर सैर करते फिरेंगे। परन्तु यह देहातों में कैसे पहुंचेंगे क्योंकि वहां सड़कें नहीं हैं जहां यह मोटरें जा सकें।

मैं यह नहीं कहता हूं कि योजना का प्रचार न किया जाय। पर मेरा कहना यह है योजना का कार्य ही योजना का सब से बड़ा प्रचार है। यदि दक्षिण के किसी ग्राम में किसी व्यक्ति को बताया जाय कि हिराकुंड

या दामोदर घाटी में यह हो रहा है तो उस को इस से क्या रुचि होगी परन्तु यदि उस से कहा जाय कि उस के अपने गांव में यह कार्य होगा तो वह अवश्य रुचि अनुभव करेगा। इसलिये एक करोड़ चालीस लाख रुपया जो इस प्रकार व्यय किया जा रहा है वह जनता के धन को बिल्कुल व्यर्थ बरबाद करना है।

माननीय मंत्री का ध्यान मैं एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं वह यह कि यही रुपया यदि कमजोर रेडियो स्टेशनों को सुधारने में लगाया जाय और सूचना तथा प्रसारण के साधन अच्छे बनाये जायें तो इसी रुपये का अधिक अच्छा उपयोग होगा। उदाहरण के लिये कालीकट में केवल एक किलोवाट का स्टेशन है; जिस के कमजोर होने के कारण, मलयालम भाषी क्षेत्र में यद्यपि यह एक छोटा सा क्षेत्र है, फिर भी यह स्टेशन अच्छी तरह सुना नहीं जा सकता है।

एक बात और है। आप देहातों में पहुंचेंगे कैसे ? यदि आप इस धन राशि का आधा भाग भी ग्रामीण केन्द्रों को रेडियो सेट वितरित करने में लगा दें तो मैं समझता हूं कि इस धन का अधिक सुन्दर उपयोग होगा। इस के स्थान पर आप ३२ मोटरें, कुछ ऊंची वेतन के अधिकारी नियुक्त करना चाहते हैं तथा छै वर्ग बनाना चाहते हैं। पर क्या आप देहातों में छै वर्ग बना कर पहुंच जायेंगे ? इस लिये यह सब रुपये की बरबादी है और मैं इस मांग का विरोध करता हूं।

श्री टी० एन० सिंह : सभापति महोदय, श्रीमान, मैं इस मांग का समर्थन करता हूं चूंकि मैं चाहता हूं कि सड़क पर जाने वाला राहगीर ग्रामों में निवास करने वाले सभी लोग, जानें कि क्या हो रहा है तथा क्या होना शेष है। मैं एक ही बात चाहता हूं और वह यह कि सूचना मंत्रालय इस का ध्यान रक्खें कि जो कुछ कहा जाय वह सब सत्य हो और तथ्यों पर आधारित हो और यही कारण है कि मैं योजना का हृदय से समर्थन कर रहा हूं। यदि त्रुटियां हों तो हमें साफ़ साफ़ कह देना चाहिये, यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके तो इस में कोई शरम की बात नहीं है। हमें सब कुछ साफ साफ बताना चाहिये। हम सब को इसी दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। मैं सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस मांग का हृदय से समर्थन करें।

मैं ने यह सदा ही देखा है कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, ज्ञान तथा सूचनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करने में इतना ध्यान नहीं देता है जितना कि आवश्यक है। अनुभव से पता चला है, कि जनता को यह बताने के लिये कि, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है तथा हम क्या करना चाहते हैं, सब से अच्छा साधन फिल्म है। मेरा विचार है कि ऐसे ही माध्यम द्वारा प्रचार करने में धन राशि का सब से अधिक भाग व्यय किया जाय। हमें प्रत्येक बात का विरोध नहीं करना चाहिये। यह ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : इस योजना के ढाई साल तक काम करने बाद आज हम देखते हैं कि बेकारी बढ़ रही है, अकाल पड़ रहे हैं, जनता भूखों मर रही है और सरकार ने योजना के प्रचार के लिये इतनी लम्बी चौड़ी मांग पेश की है। केन्द्र में तथा राज्यों में प्रचार का एक बहुत बड़ा संगठन मौजूद है--साप्ताहिक पत्र, प्रचार संस्थायें, तथा प्रचार के अधिकारी मौजूद हैं दिन रात कितनी ही पत्रिकाओं द्वारा इस का प्रचार हो रहा ह। तब इतनी बड़ी धनराशि योजना की क्या आवश्यकता है ?

हमें हर तरफ से सुनाई देता है कि यह योजना असफल हो चुकी है। इसी लिये प्रचार

[श्री एन० बी० चौधरी]

की आवश्यकता पड़ी है कि जिस से जनता को समझाया जा सके कि यह योजना असफल नहीं हुई है वरन् इससे पर्याप्त सफलता प्राप्त हो चुकी है । प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि बड़े बड़े शहरों में भी लोग नहीं जानते कि यह उ. की योजना क्या है । इसका कारण यह है उनको अपने अनुभव से कोई भी ऐसा आभास नहीं होता है जिस से वे जान सकें कि कोई योजना कार्यन्वित की जा रही है । हम जानते हैं कि कुछ नदी घाटी योजनायें हैं, चितरंजन कारखाना है टेलीफून का स्वचालित बनाना है तथा कुछ सामुदायिक प्रयोजनायें हैं, परन्तु एक ऐसे क्षेत्र के लोग जहां कोई सामुदायिक योजना नहीं है जहां बाढ़ और अकाल से त्राह त्राह मची हुई है , जब देखते हैं कि बेकारी की समस्या बढ़ रही है हालांकि वे आशा करते थे कि इस योजना से बेकारी दूर हो गई तब वे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि यह योजना उनको लाभ पहुंचाने वाली है ।

हमने पश्चिम बंगाल के निवासियों को देखा है कि टेलीफून को संचालित बनाने के लिये १४ करोड़ रूपया व्यय किया गया है जैसा कि एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है । पश्चिम बंगाल के निवासी पूछते हैं कि क्या यह टेलीफून का कार्य दस पांच साल रोका नहीं जा सकता था ? जब लोगों के पास खाने को नहीं है जब बाढ़ से भीषण तबाही हो रही है उस समय यदि उन्हें आप मोटरों में जाकर अपने फिल्म दिखायेंगे तो वे यही समझेगें कि जो कुछ आप दिखाते हैं वह सब झूठ है । आप उनसे कहते हैं स्कूल बनाओ पर वे जानते हैं कि पढ़ाने का खर्च इतना अधिक है कि वे उसे सहन नहीं कर सकते हैं । इस लिय सब से पहले आवश्यकता यह है कि एक जनता की योजना बनाई जाय । जब जनता अनभव करेगी कि यह योजना उसी की बनाई है, यह योजना उसी के लिये है तथा इस योजना को कार्यन्वित भी उसी को करना है तभी वह जी जान से उसे पूरा करने के लिये परिश्रम करेगी । यह योजना कुछ विभागीय अधिकारियों ने बनाई है इस के बनाने में जनता ने कोई भाग नहीं लिया है । इतनी बड़ी योजना वास्तव में तीन मास में बन ही नहीं सकती है जैसे कि यह योजना बनाई गई है । यदि आप जनता में योजना के लिये उत्साह पैदा करना चाहते हैं तो आप इस योजना को बदलिये और ऐसी योजना बनाइये जिस से जनता लाभ उठा सके और जनता इस योजना को दिन प्रति दिन के कार्य से अनुभव कर सके कि यह योजना वास्तव में उनके लाभ के लिये है । केवल ऐसी ही योजना का समर्थन किया जा सकता है और ऐसी ही योजना के प्रचार की मांग स्वीकार की जा सकती है । श्रीमान् मैं इस मांग का विरोध करता हूं ।

श्रीमति जयश्री (बम्बई-उपनगर) : कुछ सदस्यों ने पंच वर्षीय योजना की जो आलोचना की है, उसे सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ है । उनका ख्याल है कि हम इस योजना पर धन नष्ट कर रहें है ।

मैंने कुछ दस्तावेजी फिल्में देखी हैं जिस में स्वास्थ्य कार्यक्रम के सम्बन्ध में दिखलाया गया है कि कुंए कैसे साफ रखे जायें और बी० सी० जी० के टीकों का काम कैसे किया जाय। मैं अनुभव करती हूं कि मुझे इन फिल्मों से जितना ज्ञान प्राप्त हुआ , उतना पुस्तकें पढ़ने से नहीं हो सकता था । मैं समझती हुं कि ग्रामीण लोगों और जनता को जानकारी प्राप्त कराने और उन्हें शिक्षा देने के लिये यह उत्तम तरीका है । सामाजिक सुधार का काम इन फिल्मों के द्वारा ही अब से अच्छी तरह किया जा सकता

ह बच्चों और निरक्षर लोगों को प्रसारण और रेडियो द्वारा बहुत रुचिकर ढंग से शिक्षा दी जा सकती है । अधिकांश स्कूलों म आज कल ऐसी फिलमें दिखाई जाती हैं, जिन से भूगोल इतिहास और देश के वर्तमान औद्योगिक विकास के बारे में बच्चों को जानकारी प्राप्त होती है । यही उनकी शिक्षा का उचित तरीका है । अतः मैं इस मांग का पूरी तरह समर्थन करती हूं ।

डाक्टर केसकर : विभिन्न सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं, उनका उत्तर देने से पूर्व मैं कुछ शब्द भूमिका के रूप में कहना चाहूंगा । इस योजना पर सदन ने सविस्तार चर्चा की थी और इसे बहुमत से पारित किया था। विरोधी पक्ष के मित्र जब यह कहते हैं कि वे इस योजना से सहमत नहीं है; इस लिये इसका कोई प्रचार नहीं होना चाहिए तो मैं उनकी बात समझ सकता हूं । किन्तु जब सदन ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है , तो उसे सफल बनाने के लिये उसका प्रचार करना नितांत आवश्यक है । इस योजना पर सरकार का २००० करोड़ से अधिक रूपया खर्च करने का विचार है । और राष्ट्रीय जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं है, जिसके लिये इस में व्यवस्था न की गई हो। अतः चाहे आप इस योजना के सब पहलूओं से सहमत हैं या नहीं, चाहे आप इसे पूर्ण समझते हैं या नहीं यह एक बहुत बड़ी चीज है, जिसे सफलता पूर्वक कार्यान्वित करने क लिये आवश्यक है कि लोग न केवल इसे समझें बल्कि इसे कार्यावित्त करने में सक्रिय रूप से योग दें । इस प्रयोजन के लिये यह नितांत आवश्यक है कि योजना को--न केवल इस की विचार धारा को, बल्कि इस के मूल सिद्धांतों को भी--अधिक से अधिक ठोस रूप म लोगों के सामन उपस्थित किया जाय ।

इस संयोजित प्रचार योजना की विशेषता यह है कि हम शिक्षित या साक्षर लोगों पर पर जोर नहीं देंगे । पहली बार हम ग्रामों की जनता के साथ सर्म्पक स्थापित करेंगे और आप देखेंगे कि इसी कारण फिल्मों द्वारा प्रचार पर अधिक जोर दिया गया हैं, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण लोग साक्षर नहीं हैं और उनके सर्म्पक में आने का यह अधिक अच्छा तरीका है । इसीलिये आप देखेंगे कि फिल्मों द्वारा प्रचार पर अधिक धन व्यय करने की व्यवस्था की गई है ।

आलोचना की गई है कि प्रचार की यह योजना में बहुत विलम्ब हुआ है । मैं मानता हूं कि इसे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिये था । किन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि चूंकि प्रचार योजना अब तक शुरू नहीं की गई, इस लिये इसे शुरू करने की आवश्यकता ही नहीं । यह आवश्यक है कि हम जो भी रचनात्मक कार्य करें, लोगों को उस से अवगत कराया जाय । हम लोगों के सामने गलत तथ्य रख कर प्रचार नहीं करना चाहते । हम उन के सामने ठीक तथ्य रखना चाहते हैं । हम पहले काम को महत्व देते हैं और उसके बाद उस काम के बारे में प्रचार करने को । यही कारण है कि इस वर्ष केवल ३८ लाख रूपये की मांग की गई है । प्रस्ताव यह है कि बाद में १४८ लाख रूपये व्यय किय जायेंगे। कुछ लोग समझेंगे कि यह राशि बहुत अधिक ह । किन्तु यदि वे अन्य देशों के साथ जिन्हें वे हमारे समान आर्दश के रूप में उपस्थित करते हैं , तुलना करें, तो वे देखेंगे कि वहां योजनाओं क प्रचार पर दस गुना अधिक खर्च किया जाता है । हमारी प्रचारयोजना तो बहुत छोट पमाने की है ।

श्री एंथनी न कहा है कि कुछ मदों पर अत्यधिक रुपया व्यय करने का निश्चय

[डा० कैस्कर]

किया गया है । मैं उन से कहुंगा कि वे लक्ष्य की महानता को ध्यान में रखें । यदि आप यह अनुभव करें, तो आप स्वीकार करेंगे कि हमने जितने व्यय का प्रस्ताव किया है, वह बहुत थोड़ा है । इस सम्बन्ध में सब से पहले मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि व्यय का एक बहुत बड़ा भाग अनावर्तक है । उदाहारणतया चलते फिरते त्रुटियों का खर्च अनावर्त्तक है । फिल्म विभाग के व्यय का एक बड़ा भाग अनावर्त्तक है, क्योंकि बहुत सा रुपया नये समान पर खर्च होगा और यह सामान भविष्य में भी प्रयोग किया जाता रहेगा । अतः वर्तमान मांग में अनावर्त्तक व्यय काफी अधिक है और आवर्त्तक व्यय उतना अधिक नहीं है जितना कि श्री एंथनी ने बतलाया है । इसका एक कारण कि वर्त्तमान मांग की राशि उससे अधिक है, जितनी कि हम साधारणतया चाहते हैं, यह है कि बहुत से प्रचार देशिक भाषाओं में किये जायेंगे और प्रादेशिक भाषाओं का संख्या बहुत है । चूंकि हम प्रत्येक भाषा में फिल्में बढ़ाना चाहते ह और पर्याप्त संख्या में पुस्तिकाएं प्रकाशित करना चाहते हैं, इस लिये व्यय पहले अनमानित व्यय से अधिक होगा ।

श्री एंथनी ने मांग में त्रुटियां बतलाने की कोशिश की है । उन्होंने पूछा है कि दो या तीन वर्ष में क्यों । इस का कारण यह है कि तीन वर्ष पूर्व अभी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था । अन्तिम रूप केवल गत वर्ष दिया गया था, जबकि सरकार ने सदन के सामनें एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और जिसे चर्चा के बाद पारित किया गया था । योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व, हम इस का विचार नहीं कर सकते थे । योजना की विभिन्न मदों के सम्बन्ध म, जिन पर काम हो रहा था, प्रचार किया गया था, किन्तु इस प्रकार के बेढंगे प्रचार से जनता के समक्ष सम्पूर्ण बात नहीं आती । यही कारण है कि जिस से हम यह आवश्यक समझते हैं कि अब सारी योजना जनता के समक्ष है, अब योजना कार्य का वह काल है जिसे हम लक्ष्य-काल समझते हैं, अब जनता के पास जा कर यह बताने का समय है कि यह योजना क्या है, उन के लिये इस का क्या अभिप्राय है और यह उन के लिये क्या कर रही है । देरी का यही कारण है । श्री एन्थनी की तरह मैं यह चाहता हूं कि हम इसे और शीघ्र कर सकते हैं, परन्तु क्योंकि कुछ देर हो गई है, तो यह कोई युक्ति नहीं कि इसे अब न किया जाय । अब भी देर नहीं है ।

उन्होंने कहा कि प्रकाशन से जनता में उत्साह उत्पन्न नहीं हुआ । मैं उन से सर्वथा सहमत हूं । मैं उस प्रकाशन के पक्ष में हूं जिस से जनता में उत्साह उत्पन्न हो । परन्तु ऐसे प्रकाशन के लिये जिस में उत्साह हो और जिस में सब प्रकार के माध्यम का प्रयोग हो, हमें धन की बड़ी राशि व्यय करनी होगी, जैसा कि बहुत से बाहर के देश कह रहेहैं, और हम प्रकाशन पर वह धन व्यय नहीं करना चाहते, जिसे बचा कर अन्य कार्य में लाभ उठाया जा सकता है, अन्यथा मैं श्री एन्थनी के पक्ष में हूं कि हमारा प्रकाशन बड़े स्तर पर होना चाहिये जिस से लोगों में उत्साह उत्पन्न हो ।

उन्होंने आलोचना भी की है कि इस मंत्रालय में कुछ लोगों की अनुचित रीति से भर्ती की गई है । जहां तक पंच वर्षीय प्रकाशन योजना का सम्बन्ध है, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि भर्ती निश्चित ढंग के अनुसार की जायेगी । यदि वे चाहें तो मैं संघ सार्वजनिक सेवा आयोग से प्रमाण

प्राप्त कर उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि इन बातों में भ्रष्टाचार नहीं था । पहले अनुचित रीति से लाए गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में मैं उन मामलों की जांच करने के लिये सर्वथा तैयार हूं जिन में वे समझते हैं कि अनुचित रीति बर्ती गई है , और मैं सदा सुधार के लिये तैयार हूं । मैं कुछ अन्य व्यक्तियों की तरह यह नहीं समझता कि मैं ग़लती नहीं करता । कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो ठीक न हों, परन्तु जैसा श्री एन्थनी कहते हैं, वे अनियमित भर्ती का जो मामला मेरे समक्ष रखना चाहें, मैं उस की जांच करने के लिये तैयार हूं ।

वे समझते हैं कि मंत्रालय में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं । तो श्रीमान यह भी एक दृष्टिकोण है । वे ऐसा समझते हैं । कुछ विशेष कार्य करने के लिये कितने कर्मचारी चाहियें, इस प्रश्न के लिये विस्तारपूर्वक जांच करनी होगी, और मेरे लिये वे कारण बताना सम्भव नहीं है कि मैं ऐसा क्यों समझता हूं कि न केवल मंत्रालय में कर्मचारी अत्याधिक नहीं हैं वरन वे कम हैं, जैसा कि यह मैं स्वयम् कष्ट उठाने के कारण जानता हूं क्योंकि मुझे कुछ अधिक कार्य करना पड़ता है । परन्तु मैं उन्हें बता दूं कि जहां तक पंच वर्षीय प्रकाशन योजना का सम्बन्ध है, कर्मचारी वृन्द न्यूनतम रखा गया है। हम आवश्यकता से अधिक एक व्यक्ति को भी नियुक्त नहीं करेंगे । और बातों के सम्बन्ध में जो उन्होंने कहीं हैं, जहां तक चल चित्र विभाग का सम्बन्ध है उन्होंने कहा है कि चल चित्र विभाग पर इतना व्यय क्यों होता है, जब तक आप ६ विभागों के लिये एक विशेष राशि व्यय करते हैं तो और २ अथवा ३ विभाग बनाने पर और अधिक राशि क्यों व्यय करते हैं । अब सामान्यत: जहां तक चल चित्रों का सम्बन्ध है अब तक हम चल चित्रों की कुल प्रतियां तैयार करते थे । परन्तु प्रकाशन के बड़े स्तर के लिये जो हमारे ध्यान में है, और इस तथ्य के विचार से कि बहुत से चल चित्र प्रादेशिक भाषाओं में तैयार किये जायेंगे, हमें बहुत अधिक प्रतियां तैयार करनी होंगी और प्रत्येक प्रति पर व्यय होता है । इन विभागों पर जो पंच वर्षीय प्रकाशन योजना के लिये प्रतियां तैयार करेंगे , अधिक व्यय का यह मख्य कारण है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : एक व्याख्या का प्रश्न है । मेरा प्रश्न यह था कि अपने पूर्व के अनुभव के साथ आप ने पर्याप्त राशि का आय-व्ययक नहीं रखा । ६ विभागों पर ४० लाख रुपया लागत हुई जब कि आप ने १२ लाखरुपये की मांग की जिस के द्वारा आप २ विभाग रख सकते थे न कि ५ विभाग ।

डा० केस्कर : यह प्रश्न विभागों का नहीं है । विभाग एक स्वतन्त्र निकाय नहीं है । आप के पास एक कार्य विभाग है जिस में कई बातें समान हैं । जब आप कुछ करते हैं तो आप उस में वृद्धि कर लेते हैं । इस का अभिप्राय यह नहीं कि जो विद्यमान है आप उसे दोहराते हैं । केवल कुछ बातों की वृद्धि की जाती है । यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये ।

परन्तु व्यय में वृद्धि प्रधानतया प्रदेशिक भाषाओं में बहुत सी प्रतियां तैयार करने के कारण है ।

प्रकाशन के सम्बन्ध में श्री अग्रवाल ने बताया है कि हम पर्याप्त प्रकाशन नहीं कर रहे । मैं इस से सहमत हूं, मैं स्वयम् यह अनुभव करता हूं कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका ठीक विज्ञापन नहीं होता. विज्ञापन से मेरा अभिप्राय तथ्यों को जनता के समक्ष रखना है न कि केवल अपने प्रकार का प्रयत्न करना मैं कहूंगा कि प्रचार कुछ ऐसी बात है जिस का परिहार करना

[डा० केस्कर]

चाहिये परन्तु हम प्रचार के युग में रहते हैं और यह विचार नहीं किया जा सकता कि प्रकाशन प्रचार केवल विरोधी पक्ष का विशेषाधिकार है । यदि विरोधी पक्ष उन बातों का प्रकाशन कर सकता है जिन्हें वह सरकार की त्रुटियां अथवा गलतियां समझता है तो मैं समझता हूं कि सरकार को भी जनता के समक्ष सच्ची बातें और सच्चे तथ्य रखने का अधिकार है, मैं समझता हूं कि यह पारस्परिक बातें हैं परन्तु सरकार अपना प्रचार कम करना चाहती है और जनता के समक्ष तथ्य रखने का प्रचार करती है । मैं यह अवश्य कहूंगा कि यदि आप अपनी सरकार की प्रकाशन संस्था की दूसरे देशों की संस्थाओं से तुलना करें तो हम संभवत: प्रचार नाम मात्र को भी नहीं कर रहे । वस्तुत:, हमारे मंत्रालय में साधारण प्रकाशन विभाग कुल लगभग ८७ लाख रुपया व्यय कर रहे हैं और यद्यपि इस में से ३५ लाख रुपया घटा दें जो कि हमें आय होती है तो हम प्रकाशन पर केवल ३५ लाख रूपया व्यय कर रहे हैं । अब ४०० करोड़ रुपयों से अधिक साधारण आय-व्ययक पर व्यय करने वाली सरकार के लिये, मैं समझता हूं कि कोई समझदार व्यक्ति इसे प्रचार नहीं कह सकता । यह वस्तुत: नाम मात्र का प्रचार है । परन्तु हम उस प्रचार में विश्वास नहीं करते तो कुछ अन्य देश करते हैं । हम केवल कुछ तथ्य जनता के समक्ष रखते हैं क्योंकि इस योजना की प्रकृति महत्वपूर्ण है और यह देश के भविष्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है । हम ने अनुभव किया है कि जो यह योजना इस देश ने अपने भविष्य के लिये निर्माण की है इसे जनता के समक्ष रखने के लिये कुछ और अधिक प्रयास की आवश्यकता है ।

श्रीमान् मैं अभी समाप्त कर रहा हूं । मैं ने एक दो और बातों का उत्तर देना है । मेरे मित्र श्री दामोदर मैनन ने कहा है कि प्रचार की अपेक्षा कार्य अधिक अच्छा है । हम यह राशि यह बताने के लिये नहीं व्यय कर रहे कि जो कुछ सरकार कर रही है अच्छा है वरन् इस लिये कि सरकार जो कुछ कर रही है उसे जनता के सामने रखा जाय और तत्पश्चात् जनता को निर्णय करने दिया जाय । यदि हम ने वस्तुत: प्रचार किया होता जैसा कि विभिन्न देशों में समझा जाता है तो हम जो कुछ इस योजना पर व्यय कर रहे हैं उस से कई गुना अधिक व्यय किया होता ।

उस बात के सम्बन्ध में जो उन्होंने पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में कही है कि हम इस में परिवर्तन कर रहे ह, मैं नहीं समझता कि पंच वर्षीय योजना के प्रचार के सम्बन्ध में यह बात कैसे कही जा सकती है । क्या आप एक स्थिर योजना चाहते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार न बदल सकती हो । परन्तु उस से न तो उद्देश्य और न ही योजना की मुख्य प्रणाली में परिवर्तन होता है, और मुझे आशा है कि मेरे मित्र वित्त मंत्री मुझ से सहमत होंगे कि योजना के परिवर्तन से योजना में और शक्ति उत्पन्न होगी ।

अन्त में श्रीमान् एक और बात है । श्री चौधरी ने कहा है कि यह बहुत बड़ी प्रचार की संस्था है । श्रीमान कोई भी विशेषज्ञ सुगमता से प्रयोग में ला सकता है । मैं दूसरे विशेषण का प्रयोग कर उत्तर नहीं दे सकता । मैं उन से केवल यह कहूंगा कि दूसरी प्रचार की संस्थाओं से जो और कहीं है तुलना करें और तथ्यों से स्वयम् पता लग जायेगा । मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने मुझे योजना की असफलता के सम्बन्ध में बताया है । मैं चाहता हूं कि वे

जायें और जनता को विश्वास दिलायें कि योजना असफल हुई है। तो भी मुझे प्रसन्नता है कि अपने संतोष के लिये उन्हें यह विश्वास है परन्तु मुझे विश्वास है कि योजना न केवल असफल नहीं रही वरन् वह सफल हो रही है और मुझे विश्वास है कि यह योजना और भी सफल होगी।

श्रीमान मैं और समय नहीं लेना चाहता केवल इतना ही मैं उन सब बातों के विषय में कहना चाहता हूं जो मेरे माननीय मित्रों ने उठाई हैं।

श्री फैंक एथन्नी : क्या मुझे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेने की अनुज्ञा है ?

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को सभा अनुमति देती है कि वे कटौती प्रस्ताव संख्या २५ वापस ले लें।

अनुमति द्वारा प्रस्ताव वापस लिया गया।

शेष कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष रखे गये और स्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : मैं अब मांग को मत दान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

" ३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिये राष्ट्रपति को ३८,३०,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग संख्या १३३

श्री विट्ठल राव : जब अन्त में सरकार ने रेलवे की कोयले की खानों के सम्बन्ध में संविद की प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया है तो उसके लिये १ अप्रेल १९५४ तक क्यों प्रतीक्षा की जाये ? मैं नहीं समझता कि उत्पादन मंत्रालय को इसे विभाग द्वारा चलाने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमें समझना चाहिये कि कोयले की खान के श्रमिकों को बहुत कठिनाई सहनी पड़ रही है। उन का काम अत्यन्त कठिन और दुष्कर है और उस पर ठेके दारों का मध्य वर्ग उन का शोषण करता है। इस लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविदा प्रणाली को तुरन्त अर्थात् १ अक्तूबर से ही समाप्त कर देना चाहिये।

फिर गृह व्यवस्था का प्रश्न है। इस के लिये केवल ५ लाख रुपयों का प्रबन्ध किया गया है और वह भी बचत में से। रेलवे के कोयले की खानों में २५,००० श्रमिक काम करते हैं। मैं ठीक से नहीं जानता कि उन में से कितनों को घर दिये गये हैं, परन्तु बहुतों को नहीं दिये गये यदि उन्हें प्रति वर्ष ५ लाख रुपये दिये जायें तो उन्हें अधिक से अधिक १५० घर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार गृह व्यवस्था में ५० वर्ष लग जायेंगे।

अब मैं रेलवे की कोयले की खानों के श्रमिकों के लिये केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में कहता हूं। रेलवे को कोयले की खानों में श्रमिकों को बहुत समय से केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मिलते रहे हैं। परन्तु १९५० में उन के साथ अन्याय किया गया था और उन से रेलवे के श्रमिकों सम्बन्धी वे सुविधायें छीन ली गईं जो उन्हें दी जाती थीं, रेलवे की इन कोयले की खानों में सरकार स्वामी है और उसे आदेश प्रस्तुत करना चाहिये।

मैं अनुरोध पूर्वक कहता हूं कि रेलवे की कोयले की खानों के श्रमिकों के मामले

[श्री बिट्ठल राव]

को उद्योग न्यायाधिकरण के पास नहीं भेजना चाहिये तथा उन के वेतन के सम्बन्ध में केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहिये ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं इस कोयले की खानों की शनैः शनैः परिवृत्ति का स्वागत करता हूं जो संविदा प्रणाली को समाप्त कर के की जा रही है । एक कोयले की खान में मुझे बताया गया कि जब वे श्रमिक ६ दिन कार्य करते हैं तो उन्हें ५ दिन की मज़दूरी दी जाती है । इस प्रकार आप देख सकते है कि वह प्रणाली कितनी दूषित है, और इसे तुरन्त समाप्त कर देना चाहिये । जहां कहीं दिन प्रति दिन कार्य होता है वहां संविदा प्रणाली नहीं चलने देनी चाहिये ।

मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री गृह-व्यवस्था के प्रयोजन के लिये कुछ अनुदान ले रहे हैं परन्तु जैसा मेरे मित्र राव ने बताया इस प्रयोजन और कार्यक्रम के लिये आयव्ययक में रखी राशि बहुत कम है । हाल में मैं ने विक्टोरिया कोयले की खान में देखा कि वहां घर एक सुरंग अथवा मढवों के सामान हैं । छोटे छोटे कमरों में ३०, ३० व्यक्ति रहते हैं । ऐसी ही हालत मैं ने दक्षिण भारत के बाग़ान में देखी है । कोयले की खाने और बागान गुलामी की प्रथा में से उत्पन्न हुए और अभी तक उस गुलामी के पद चिह्न नष्ट नहीं हुए । आप को यह समस्या अपने हाथ में ले कर आदर्श निर्माण करना चाहिये । इस से ग़ैर सरकारी कोयले की खानों का भी तदानुसार विकास होगा । जब तक आप श्रमिकों के स्तर को ऊंचा नहीं करते आप का उत्पादन नहीं बढ़ सकता । संयुक्त राज्य में पिछले ४० वर्ष में निरन्तर प्रतिवर्ष ३ प्रतिशत वृद्धि हुई है । यह वृद्धि न केवल श्रमिकों ने की है वरन् श्रमिकों की सुधरी हुई परिस्थियों, उन के उच्च वेतनों और शिल्पिक सुधारों के कारण ऐसे हो सकता है । जब तक भारत में श्रमिकों की स्थितियों और उन के वेतन सम्बन्धी स्थितियों को नहीं सुधारा जाता यहां के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती । इस लिये मैं कहता हूं कि आप को आदर्श निर्माण कर श्रमिकों के लिये न्यूनतम शर्तों का उपबन्ध कर देना चाहिये । इस व्यवस्था से सरकार को अनुभव प्राप्त होगा और वह जान सकेगी कि वह कैसे भारत के श्रमिकों के लिये न्यूनतमशर्तों का निर्माण कर सकती है ।

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे प्रसन्नता है कि संविदा श्रम को अन्त करने और उस के स्थान पर विभागीय श्रम को स्थापित करने की प्रस्थापना का सभा में स्वागत किया गया है । केवल एक बात जो इस सम्बन्ध में कही गई है वह यह है कि ९ रेलवे की कोयले की खानों में से बाक़ी की दो खानों में संविदा श्रम के स्थान पर विभागीय श्रम को तुरन्त रख लेना चाहिये और इस १ अप्रेल १९५४ तक स्थगित कर नहीं करना चाहिये । सभा इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि जब भारत सरकार ने इस प्रकार का नीति सम्बन्धी निर्णय कर लिया संविदा श्रम के स्थान पर विभागीय श्रम रखा जाये, तो उस के पश्चात् इस निर्णय को ९ रेलवे की कोयले की खानों में पहले ही लागू किया गया है । बाक़ी की दो रेलवे की कोयले की खाने बोकारो और फारगली हैं जो रेलवे की सब से बड़ी खानें हैं और उन में बहुत अधिक श्रमिक लगे हैं । यह तो बहुत सुगमता से कहा जाता है इसे तुरन्त कर देना अच्छा है अर्थात संविदा श्रम के स्थान पर विभागीय श्रम अभी रख लेना चाहिये । परन्तु ऐसा करना संभव नहीं । इसे प्रभाव पूर्ण और संतोष जनक ढंग से करने के पूर्व हमें कुछ प्राथमिक पग उठाने हैं । इसी करण से एक लक्ष्य बिन्दु अर्थात् १ अप्रैल १९५४ की तिथी

निश्चित की है और उस तिथि से पूर्व हमें आवश्यक भवन निर्माण करने हैं और अन्य प्रबन्ध भी करने हैं, यदि इस हम जैसा कि पहले घोषणा की गई है संविदा श्रम के स्थान पर विभागीय श्रम रखना चाहते हैं। आवश्यक भवन इत्यादि निर्माण करने के प्रयोजन से ही हम ने इस सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की है जिस में नई सेवायें भी आ जाती हैं। इसलिये श्रीमान मैं आशा करता हूं कि इस तथ्य से कि हम इसे ६, ७ मास बाद में कर रहे हैं, उद्विग्न नहीं होना चाहिये। यदि हम यह कर सकें तो मैं समझता हूं कि हम अपने आप को बधाई दे सकते हैं कि हम ने इसे ठीक शीघ्र ही कर लिया है।

दूसरी बात अर्थात् गृह-व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उन माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में, जो अभी बोल चुके हैं, दो प्रकार के अभिमत नहीं हो सकते। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे श्रमिक चाहे जहां कहीं भी काम करते हों उन के रहने की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। मैं इस बात को भी मानता हूं कि हमारे श्रमिक जितने ही सन्तुष्ट होंगे उतने ही अधिक कार्य-कुशल होंगे और हमारे उद्योगों में उत्पादन भी उतना ही अच्छा होगा। इस विषय में किसी का मतभेद नहीं हो सकता। मैं यह भी मानता हूं कि जहां तक रेल कोयला खानों के श्रमिकों का सम्बन्ध है, अन्य कोयला खानों की तो बात ही क्या, कुछ कारणों से हम उन के लिये उतने सन्तोष-जनक प्रबन्ध नहीं कर सके हैं जितने कि करना चाहते थे। सरकार रेल कोयला खानों के श्रमिकों के लिये उचित गृह-व्यवस्था करने को बहुत उत्सुक है। मैं मानता हूं कि इस समय हमारे पास इस के लिये बहुत छोटा सा कार्यक्रम है। १९५३-५४ में हमारा १२४ मकान बनाने का विचार है और १९५४-५५ में और ३६२ मकान बनाने का विचार है। इस से पहिले कि हम ये कह सकें कि हम ने रेल कोयला खानों के श्रमिकों के निवास के लिये सन्तोषजनक व्यवस्था कर दी है हमें बहुत से मकान बनाने पड़ेंगे।

जब तक यह नीति थी कि श्रम मंत्रालय इस काम को करे और इस के लिये कल्याण उपकर निधि में से प्राप्त धन का उपयोग करे। उन के पास केवल एक यही साधन था। परन्तु अब हम ने उस नीति को बदल दिया है। अब रेल मंत्रालय इन कोयला खानों का स्वामी है परन्तु शीघ्र ही इनका स्वामित्व उत्पादन मंत्रालय को मिल जायेगा। हम एक ऐसी योजना पर विचार कर रहे हैं जिससे कि अपनी कोयला खानों के सभी श्रमिकों को मकान दिये जा सकें और मुझे आशा है कि इस योजना को यथा सम्भव जल्दी जल्दी सन्तोषजनक रूप से क्रियान्वित किया जायेगा। मुझे इस समय इस सम्बन्ध में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं।

तीसरी बात अर्थात् रेल कोयला खानों के श्रमिकों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। सामायिक मजदूरों और दैनिक मजदूरी की दर से सप्ताहान्त में मजदूरी पाने वाले मजदूरों पर केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होतीं। इस में केवल दैनिक वेतन के दर से मासान्त में वेतन पाने वाले मजदूरों का उल्लेख है। रेल कोयला खानों में इस प्रकार के मजदूरों की २३७ श्रेणियां हैं। इन २३७ श्रेणियों में से वेतन आयोग की सिफारिशें १५९ श्रेणियों के सम्बन्ध में स्वीकार कर ली गई हैं और क्रियान्वित कर दी गई हैं। श्रीमान् २२ और श्रेणियों के सम्बन्ध में उत्पादन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा है और आशा है कि वित्त मंत्रालय का

[श्री के० सी० रेड्डी]

अन्तिम निर्णय बहुत शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेगा। और ४३ श्रेणियों के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं और हमें आशा है कि इन के बारे में भी बहुत शीघ्र ही अन्तिम निश्चय हो जायेगा। इस प्रकार केवल १३ श्रेणियां शेष रह जाती हैं। उन के सम्बन्ध में हमें कोयला आयुक्त की सिफारिशें मिलने की आशा है और उन सिफारिशों के प्राप्त होते ही सरकार तुरन्त आदेश दे देगी। इस से यह प्रगट होता है कि बहुत सी श्रेणियों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं। केवल कुछ एक श्रेणियों के सम्बन्ध में अन्तिम कार्यवाही करना शेष है और मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि इन शेष श्रेणियों के सम्बन्ध में भी बहुत शीघ्र ही अन्तिम आदेश दे दिये जायेंगे।

कटौती प्रस्ताव पर बोलने वाले माननीय सदस्य ने यही तीन बातें कही थीं। मुझे आशा है कि मेरा उत्तर उन के लिये भी काफ़ी सन्तोषप्रद है और वे इन कटौती प्रस्तावों के विषय में अधिक आग्रह नहीं करेंगे।

सभापति महोदय : अब मैं कटौती प्रस्तावों पर सदन का मत ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि :,

उत्पादन मंत्रालय की पूंजी विनियोग सम्बन्धी १,००० रुपये तक की अनुपूरक अनुदान की मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

उत्पादन मंत्रालय की पूंजी विनियोग सम्बन्धी १,००० रुपये तक की अनुपूरक अनुदान की मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये :

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

उत्पादन मंत्रालय की पूंजी विनियोग सम्बन्धी १,००० रुपये तक की अनुपूरक अनुदान की मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'उत्पादन मंत्रालय के पूंजी विनियोग' के सम्बन्ध में जो व्यय होगा उसे पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को १,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विनियोग (संख्या ४) बिधेयक*

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय के निमित्त भारत की संचित निधि से और उस में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने के लिये एक विधेयक पुर-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"१९५३-५४ के वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय के निमित्त भारत की संचित निधि से और उस में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित।

के लिये **एक विधेयक** पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं :

"१९५३-५४ के वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय के निमित्त भारत की संचित निधि से और उस में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"१९५३-५४ के वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय के निमित्त भारत की संचित निधि से और उस में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ और ३ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ और ३ विधेयक का अंग बना लिये गये ।

अनुसूची, खण्ड १, नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिए गए

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"यह विधेयक पारित कर दिया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह विधेयक पारित कर दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार १६ सितम्बर १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी ।